खण्ड-192, अंक-2
मंगलवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(25 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ फरवरी, १९५८ ई०

वधान सभ ा की बैठक सभा-मडप, लखनऊ में ११ बजें दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
दर्वीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ला, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालक राम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानीमिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ़्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेश प्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डयाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री

हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री

हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री प्रतापसिंह के प्रश्नों का स्थगन

श्री अध्यक्ष--- मेरे पास श्री प्रतापसिंह का एक तार आया था कि उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जायं । वे किसी तरह से आ नहीं सके, इसलिये मैं उनके प्रश्न स्थगित किये देता हूं ।

**१-६—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[स्थगित किये गये ।]

कानपुर में टेक्सटाइल रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोलने तथा राज्य में चीनी मिलों के उत्पादन के संबंध में जानकारी

**७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने सूती कपड़े की विधि में सस्तापन लाने के लिये कोई प्रयोगशाला खुलवाने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो यह प्रयोगशाला अब तक क्यों नहीं खुल सकी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—दिसम्बर, १९५६ में उत्तरीय क्षेत्र की कपड़े की मिलों के एक सम्मेलन में सूती कपड़े की विधि में सस्तापन लाने तथा अन्य उद्देश्यों के हेतु कानपुर में मिलों द्वारा एक प्रयोगशाला । (Textile Research Institute) खोलने का निश्चय किया गया । किन्तु नवम्बर, १९५७ के उत्तरीय क्षेत्र के मिलों के एक दूसरे सम्मेलन में इस योजना को फिलहाल स्थगित करने का निश्चय किया गया है ।

**८—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों का उत्पादन गत पांच वर्षों में कितना प्रतिवर्ष हुआ ? सरकार चीनी उत्पादन उद्योग में अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? गत पांच वर्षों में चीनी का और पेरे जाने वाले गन्ने का औसत अनुपात क्या था ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिलान्तर्गत सरैया शुगर मिल्स, सरदारनगर में गिरफ्तारियां

**९—श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिलान्तर्गत सरैया शुगर मिल्स, सरदारनगर में गत १० फरवरी से गन्ना हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किसानों की क्या मांगें हैं तथा हड़ताल की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं । गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सरैया शुगर मिल, सरदारनगर में दिनांक १० फरवरी, १९५८ से कोई गन्ना हड़ताल नहीं चल रही है ।

**१०—श्री मदनपांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि सरदारनगर में गत ११ फरवरी, को कुछ आदमियों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गिरफ्तारियां किन कारणों तथा परिस्थितियों में हुईं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। दिनांक ११ फरवरी, १९५८ को सरदारनगर में कुछ व्यक्तियों को शांति भंग करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था ।

**११—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि सरदार नगर मिल जोन के गन्ना किसानों की मांगों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री धर्मसिंह—इस मिल के गन्ना किसानों की ओर से कोई मांग पेश नहीं की गई ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें किन किन दफाओं में गिरफ्तार किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—उन को शान्ति भंग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ।

श्री मदन पांडेय—क्या उन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कोई फायरिंग भी हुई थी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर दफा १४४ भी लगाई गई थी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि शान्ति-भंग के क्या कारण थे और उन्होंने किस वजह से शान्ति भंग की ?

श्री धर्मसिंह—कुछ लोग वहां पर गन्ने की गाड़ी आदि रोकने की बात करते थे कि वह न जाने पायें । यह आवश्यक था कि गन्ना सुविधा से वहां जा सके, लेकिन वह नहीं हो सका और इसी से शान्तिभंग हुई ।

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि यह मामला अदालत के सामने तो नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—जी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को या सरकार को जिलाधीश गोरखपुर ने इस बात की सूचना दी कि लोग सभा कर रहे हैं और उन्होंने उस सभा को गैरकानूनी जबानी घोषित कर दिया ?

श्री धर्मसिंह—आरम्भ में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वह समझाने बुझाने पर भी नहीं माने तब गैरकानूनी घोषित किया गया ।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार के पास वहां के गन्ना उत्पादकों की ओर से इस तरह की भी शिकायतें आईं कि जिस समय गिरफ्तारी हो रही थी उस समय वहां श्रीमती गुणवती देवी और श्रीमती गुल्कादेवी के बाल भी खींचे गये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह मामला अदालत में है इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो सभा गैरकानूनी घोषित की गई यह कानून की किस धारा के अनुसार की गई ?

श्री अध्यक्ष—कानून के बारे में यहां प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सभा गैरकानूनी करार दी गई थी वह एस० पी० ने गैरकानूनी करार दी थी या किसी मैजिस्ट्रेट ने दी थी?

श्री अध्यक्ष—यह ब्योरे का सवाल है ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रश्न को लेकर सदन में दो घंटे की बहस हो चुकी है और उसी पर फिर प्रश्न हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह वही प्रश्न हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

श्री उग्रसेन—उस समय तो लाठीचार्ज पर बहस हुई थी ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गाड़ियां रोकी जा रही थीं उनका उद्देश्य क्या था और किस वजह से उन्होंने गाड़ियां रोकने का प्रयास किया ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उनकी मांगें तो नहीं मालूम हैं लेकिन बाहरी लोग, एजीटेटर्स रोक रहे थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में निश्चित रूलिंग देने की कृपा करें कि कानूनी विषय पर, कौन धारा लागू हुई या नहीं हुई इस विषय में अगर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहे तो किस विधान या किस नियम की किस धारा के अनुसार वह नहीं पूछ सकता । क्या मैं वह नियम जान सकता हूं ? ३२ में कहीं पर नहीं है । इसलिये मैं अपनी जानकारी के लिये व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि यह उम्मीद किसी मंत्री से नहीं की जाती कि वह आपको कानूनी राय उठाकर दे दे । आप यह कहें कि कौन सी दफा लगायी गयी तो मैं ऐसे सवाल की इजाजत दे देता हूं । उसके लिये उन्होंने नोटिस मांग ली है । जब आप उनसे पूछते हैं कि किस धारा के अनुसार वह अनलाफुल डिक्लेयर हुई, यह धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी हुई है और वह आपको जानना चाहिये । किसी मंत्री से कानूनी प्रश्न आप नहीं पूछ सकते । यह कानूनी राय का प्रश्न हो जाता है इसलिये कानूनी राय की मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

देवरिया जिले की शिवरही शुगर फैक्टरी में कम्युनिस्ट नेता, श्री श्रीकृष्ण गुप्त, की भूख हड़ताल

**१२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले के शिवरही शुगर फैक्टरी (तमकुही रोड स्टेशन) पर मजदूरों और गन्ना उत्पादकों की मांगों को लेकर कम्युनिस्ट नेता श्री श्रीकृष्ण गुप्त गत १० दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—देवरिया जिले के शिवरही शुगर फैक्टरी के गन्ना किसानों और मजदूरों ने कोई मांग तो पेश नहीं की परन्तु कम्युनिस्ट नेता, श्री श्रीकृष्ण गुप्त, कुछ अपनी मांगों को लेकर गत ५ फरवरी से भूख हड़ताल कर रहे थे जिसे उन्होंने स्वयं १४ फरवरी को समाप्त कर दिया ।

**१३—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार मजदूरों और गन्ना उत्पादकों की मांगों के माने जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस मिल के मजदूरों और गन्ना उत्पादकों द्वारा कोई मांग पेश नहीं की गई ।

गोंडा जिलेमें राप्ती नदी पर पुल तथा बभनान-हरैया सड़क के निर्माण की आवश्यकता

**१४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि गोंडा जिले में राप्ती नदी पर पुल बनवाने के लिये सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब तक उसे पूरा कराने का विचार कर रही है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

**१५—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में हरैया जाने वाली सड़क बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब बरसात के दिनों में बाढ़ आती है और रास्ता बन्द हो जाता है तो क्या कारण है कि नदी पर पुल नहीं बनाया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह परिस्थिति तो हमारे सूबे में बहुत से स्थानों पर है। ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी हो। माननीय सदस्य उसको अनुभव भी करते हों, लेकिन धनाभाव के कारण वहां हम अभी पुल नहीं बना सकते।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राप्ती पर पुल बनाने के सम्बन्ध में जिला योजना कमेटी का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ?

श्री गिरधारीलाल—मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। अगर मुझे नोटिस दी जाय तो मैं बतला सकता हूं।

श्री रणबहादुरसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गोंडा जिले में बभनान से हरैया को जो सड़क जाती है उस के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या उसी प्रश्न के उत्तर में 'जी नहीं' का जवाब है ?

श्री गिरधारीलाल—यह जवाब तो दोनों प्रश्नों के उत्तर में है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां पर कोई ऐसा सर्वे कराया गया है जिससे मालूम हो सके कि उस जगह पर कितना उतारा होता है ?

श्री गिरधारी लाल—नहीं।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ में स्टेशन से शहर जानेवाली तथा मऊ-कोपागंज सड़कों के पुनर्निर्माण पर व्यय

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ स्टेशन से आजमगढ़ शहर को आने वाली सड़क को और इसी जिले की मऊ से दोहरीघाट जाने वाली सड़क को मऊ से कोपागंज के बीच तोड़ने और तह ऊंची करने और सड़क को पक्की करने में आज तक कुल कितना धन अलग-अलग व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—क्रमशः ३८,४३० तथा ५६,६०० रुपये ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ स्टेशन से आजमगढ़ शहर को आने वाली सड़क बिलकुल बढ़िया, तारकोल की सड़क थी ? इसी तरह से मऊ से कोपागंज जाने वाली सड़क थी ? उनको तोड़ने और नीचा करने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी इस वक्त मेरे पास इत्तला नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इसकी इत्तला उन्हें दूंगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ स्टेशन से आजमगढ़ शहर को आने वाली सड़क जो नीची की गयी उसमें एक पुल बनाया गया था, पुल बाढ़ में गिर गया था, उस पुल के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस की जरूरत होगी ।

*४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में ग्राम पंचायतों का चुनाव

*६—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं तथा उनमें से कितनी ग्राम पंचायतों का चुनाव हो चुका है ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव(श्री रामस्वरूप यादव)—जिला खीरी में कुल ११७२ गांव पंचायतें हैं जिनमें से ११७१ गांव पंचायतों का चुनाव हो चुका है ।

*७—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कौन-कौन सी गांव पंचायतों में कितने-कितने पंचों का चुनाव करवाना अभी शेष रह गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांव पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं जिनमें से न्याय पंचायत के पंच नामांकित होते हैं । माननीय सदस्य का आशय कदाचित् पंचायत के सदस्यों के चुनाव से प्रतीत होता है । यदि यही आशय है तो जिस जिस पंचायत में जितने जितने सदस्यों के पद रिक्त हैं, उसकी सूची मेरे पास मौजूद है, उसे सदस्य महोदय सुविधानुसार देख सकते हैं ।

श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी कितनी गांव पंचायतें हैं जिनमें से न्याय पंचायतों की नामजदगी नहीं हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—न्याय पंचायतों का नामांकन होता है । उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न में चुनाव दिया हुआ था तो उसके आंकड़े नहीं आसके ।

*८—श्री जगन्नाथप्रसाद—[हटा दिया गया ।]

नगरपालिकाओं के चुनाव पर व्यय

*९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी जो सन् १९५७ में नगरपालिकाओं के चुनाव हुये हैं उनमें उत्तर प्रदेश भर में सरकार को क्या व्यय करना पड़ा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय निकायों के १९५७ वाले चुनावों के सम्बन्ध में बिलों का भुगतान अभी हो रहा है इसलिये व्यय की धनराशि अभी निश्चित नहीं हुई है। उसके निश्चय होने पर और फिर ३ प्रकार की स्थानीय निकायों के बीच व्यय की बांट करने पर ही मालूम हो सकेगा कि नगरपालिका के चुनावों में क्या व्यय हुआ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बिलों का भुगतान किस तारीख तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना अभी सम्भव नहीं है। जैसे जैसे बिल आते जाते हैं उनका भुगतान हो जायगा। उसके बाद ही यह आंकड़े तैयार हो सकते हैं।

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जजी कचहरी में जगह की कमी

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जजी कचहरी में जजों के बैठने की जगह बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त आजमगढ़ में कितने जज हैं और पहले से उनके बैठने की कितनी जगहें बनाई गई थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यक्ष का अपने दौरा व्यय के संबंध में पत्र

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यक्ष ने हाल ही में प्रदेशीय सरकार को इस आशय का पत्र लिखा है कि वे बोर्ड द्वारा दौरा व्यय नहीं लेंगे और उस धन को किसी सहायक अध्यक्ष को देने की सिफारिश की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यक्ष ने सरकार को लिखा कि जितने दिन वे लोक सभा के अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे उस समय का उनको देय भत्ता बोर्ड के उपाध्यक्ष को दिया जाय तथा वे इस काल के लिये कोई भत्ता न लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र का सरकार की ओर से क्या उत्तर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने तो यही सूचित कर दिया है कि उपाध्यक्ष महोदय जब अध्यक्ष का कार्य करेंगे तो स्थानापन्न होने के वक्त का तो भत्ता मिल ही सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में और कितने ऐसे जिला बोर्ड के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस तरह का स्थान उपाध्यक्ष के लिये प्रदान किया है और उनको भत्ता भी दिया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। कोई स्थानापन्न अध्यक्ष अगर होता है तो वह पाता ही होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जबकि अध्यक्ष को नियमानुसार ऐसे पावर डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है तो यह पावर्स किस प्रकार डेलीगेट किये जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न डेलीगेशन का नहीं है। अगर अध्यक्ष छुट्टी लेकर जाता है, उन दिनों काम नहीं करता है तो नियमानुसार उपाध्यक्ष स्थानापन्न होंगे और काम करेंगे।

न्याय पंचायतों के चुनाव तथा अधिकार संबंधी नियमों के सम्बन्ध में पूछताछ

*१३—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ या १९५६ में जो अदालत पंचायतों के चुनाव हुये थे उनमें सरकार का क्या व्यय हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—अदालत पंचायत (न्याय पंचायत) के चुनाव नहीं होते, अपितु उनके पंच मनोनीत किये जाते हैं अतः चुनाव में व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

*१४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या व अदालत पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी या अधिकार सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

*१५-१७—श्री उग्रसेन—[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २०-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१८-१९—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले की नवीन सहकारी समितियां

*२०—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में सन् १९५७ माह जून से कितनी सहकारी समितियां बनाई गई हैं, वे किस-किस नाम से हैं और कहां कहां हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जिला अलीगढ़ में जून, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १३५ सहकारी समितियों की रजिस्ट्री हुई है, जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६३-१६९ पर)

*२१—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन समितियों को सरकार ने क्या-क्या सहायता दी ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने इन समितियों को कोई सहायता नहीं दी है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार बतायेगी कि जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड करायी जाती हैं उनको मदद देने के लिये सरकार ने कोई कायदा बना रखा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, कायदा है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार बतायेगी कि जो इतनी सोसाइटीज बनायी गयीं उनको कोई भी सहायता नहीं मिली, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—क्योंकि नियम के अनुसार उनको कोई सहायता नहीं दी जा सकती।

मुहल्ला सरायमियां स्थित पशुओं के कट्टीखाने को अलीगढ़ नगरपालिका से हटाने की प्रार्थना

*२२—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका के अन्दर मुहल्ला सराय मियां में जो पशुओं का कट्टीखाना है उसके बारे में सरकार के पास जनता की शिकायतें आई हैं कि उसको आबादी में होने के कारण वहां से हटाया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। मगर ऐसी शिकायतें म्युनिसिपल बोर्ड, अलीगढ़ के पास आई हैं और बोर्ड के विचाराधीन हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि म्युनिसिपिल बाई लाज में ऐसा है कि जो न्यूसेंस के या गन्दगी के काम होते हैं वह म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर न किये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न म्युनिसिपल बाई लाज से सम्बन्धित है। मेरे पास नियम नहीं हैं। नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत नगरपालिका के पास कब आयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

फीरोजाबाद नगरपालिका से औद्योगिक भट्ठियों के हटाने के लिये समिति

*२३—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के नागरिकों द्वारा समय-समय पर गत बीस वर्षों से आबादी के मध्य बीच नगर में विशेषकर घेर बौहारन के पीछे वाली सराय में जो पकाई की भट्ठिया चालू है उनको वहां से हटाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उस सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका फीरोजाबाद ने एक कमेटी बना दी है जो शहर के अन्दर की भट्ठियों को हटाने के बारे में वहां के सम्बन्धित सज्जनों से परामर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। घेर बौहारान के पीछे सराय वाली भट्ठियों के बारे में भी वही कार्यवाही की जावेगी जो अन्य भट्ठियों के बारे में होगी।

*२४—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उन औद्योगिक भट्ठियों, जिन से धुआं निकलता है, के बारे में फीरोजाबाद नगरपालिका को क्या आदेश दिया है तथा उक्त आदेश का फीरोजाबाद नगरपालिका ने अभी तक पालन किया है या नहीं ? अगर नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—औद्योगिक भट्ठियों, जिनसे धुआं निकलता है, के सम्बन्ध में माडल बाईलाज बना दिये गये हैं। उनको अपनाने के लिए नगरपालिका फीरोजाबाद ने एक कमेटी बना दी है। वह जो उनमें टेक्निकल दिक्कतें हैं, उन पर विचार कर रही है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार बतायेगी कि एक से अधिक बार सरकार ने उन भट्ठियों को नगर के मध्य से हटाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी—फीरोजाबाद नगरपालिका को क्या आदेश दिया है यह प्रश्न मैंने किया था। मुझे उस आदेश की कोई प्रति नहीं मिल सकी। क्या सरकार उस आदेश को बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—शासन ने यह आदेश दिया है कि जो माडल बाई-लाज हैं वे अपने यहां बना लें और उसके अनुसार अपने यहां भट्ठियों को बनावें।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार ने जो आदेश दिया है वह आदेश यह है कि जिन भट्ठियों से धुआं निकलता है उनकी चिमनी कम से कम ५० फीट ऊंची बनायी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—माडल बाई-लाज में इस तरह लिखा हुआ है। मेरे पास उसकी प्रतिलिपि नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—माडल बाई-लाज नहीं, मैं सरकारी आदेश के बारे में जिक्र कर रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरपालिका फीरोजाबाद को ऐसा आदेश भेजा है कि धुआं निकलने वाली भट्ठियों की चिमनी कम से कम ५० फीट ऊंची बनायी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

*२५—श्री जगन्नाथ लहरी—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में हसायन विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित नाले के संबंध में शिकायत

*२७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हसायन विकास क्षेत्र (अलीगढ़) में वार्ड अब्दुल हईपुर में स्थानीय गांव सभा तथा प्रधान ने एक नाला वर्षा का पानी निकालने के लिये खुदवाया था ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया ब्लाक का खर्च हुआ तथा उसमें कितने रुपये का श्रमदान हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। नाले पर पुल तथा पुलिया के निर्माण के लिये १,६०० रुपये ब्लाक का खर्चा हुआ और २,१९७ रुपये २५ नये पैसे का श्रमदान हुआ।

*२८—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि वह नाला हटा दिया गया है और उसके हट जाने से आस-पास के गांवों का वर्षा का पानी नहीं निकल पाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*२९—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है नाले के हट जाने से पानी न निकल पाया और वर्षा से सैकड़ों मकान गिर गये तथा सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने मकान गिरे और नाले के बन्द हो जाने से फसल का कितनी लागत का नुकसान हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके आंकड़े तो नहीं हैं, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि माननीय गौतम जी इस मौके पर खुद जांच करने गये थे और उन्होंने देखा कि हजारों मकान और फसल बरबाद हो गयी है और उसका जिम्मेदार एकमात्र ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर था ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो मालूम है कि नुक्सान बहुत काफी हुआ, लेकिन ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर उसका जिम्मेदार नहीं था। वहां के गांववालों ने वह नाला बन्द कर दिया था ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब नाला बन्द किया जा रहा था और ब्लाक का रुपया उसमें खर्च किया गया था तो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर ने कोई शिकायत की, रिपोर्ट या किसी प्रकार की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भेजी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नाला बनाने से पहले वह जमीन ऐक्वायर नहीं की गयी थी, इस वजह से नाला बन्द कर दिया गया । इस सम्बन्ध में कुछ आदमियों के खिलाफ दफा १३३ के मातहत कार्यवाही हुई । ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर ने रिपोर्ट की या नहीं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री उसे अब ऐक्वायर करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां की जो विकास समिति है उसने एक प्रस्ताव पास कर लिय है, उसके अनुसार वह रास्ता बदल कर उस नाले को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं और उसके अनुसार वह अपनी कार्यवाही करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय स्वशासन मंत्री बने की कृपा करेंगे कि जब जमीन ऐक्वायर भी नहीं हुई थी तो किस आधार पर ब्लाक डेवलपमेंट विभाग से १,६०० या कितना रुपया उसको खुदवाने के लिए दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—आमतौर से जो श्रमदान होते हैं उनमें पहले पूछ लिया जाता था। तो रजामन्दी लोगों ने दे दी। ब्लाक ने पुल बनाने के लिए रुपया अवश्य दिया और अगर ऐक्वायर करने के बाद नाला बनाया जाता तो इतनी जल्दी श्रमदान नहीं शुरू हो सकता था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता मंत्री, माननीय मोहनलाल गौतम, ने उनके पास इस फसल की बरबादी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने वहां देखा और जिला अधिकारियों से बातचीत कर ली। जिला अधिकारियों ने उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी की होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले के कलेक्टर या और किसी अधिकारी ने इस नाले के संबंध में माननीय मंत्री से जो बातचीत की है और उसके संबंध में कोई सूचना सरकार को दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि उन्होंने १३३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत मुकदमें उ[illegible] खिलाफ चलाये जिन्होंने नाले को बन्द कर दिया था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय कोआपरेटिव मिनिस्टर बताने की कृपा करेंगे कि जब वह वहां पर गये, उनसे शिकायत की गयी तो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का उन्होंने उसमें हाथ पाया ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं बहुत विस्तार की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन जो समस्याएं आयी थीं उनके सम्बन्ध में जिला अफसरों से बात-चीत कर ली, उन्होंने उस पर अवश्य कार्यवाही की होगी ।

बेहटाकलां, सहकारी बीज भंडार, जिला रायबरेली के बकायादार

*३०—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में बेहटाकलां सहकारी बीज भंडार में कुल कितने बकायेदार हैं और उनमें तीन साल के ऊपर के कितने हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—सम्बन्धित बीज भंडार में कुल बकायेदार २२१ हैं जिसमें ७० बकायेदार तीन वर्ष के ऊपर के हैं।

*३१—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार रायबरेली जिले के अन्तर्गत सरेनी, सेमरी तथा बेहटाकलां के सहकारी बीज भंडार के बकायेदारों के ऊपर उचित कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री गुप्तारसिंह—जो बकायेदार ३ वर्ष के ऊपर के हैं उनके साथ आज तक डिपार्टमेंटली या डिप्टी कमिश्नर द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? अगर की गयी, तो क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम—सबके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। कुछ की आर्बिट्रेशन द्वारा डिक्री भी हो चुकी है और वसूली हो रही है।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि इन बकायेदारों में से एक ही आदमी के नीचे ५ हजार से ऊपर रुपया है और कई बार कोआपरेटिव सोसाइटी के अफसर ने लिखा है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यह १९५४ का रुपया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इतना विस्तार से तो एक आदमी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। मैंने अर्ज किया कि सबके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है, आर्बिट्रेशन हो चुका है, सबके खिलाफ डिक्री हो चुकी है और कोई ऐसा आदमी बाकी नहीं है जिसके खिलाफ कार्यवाही न हुई हो।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपया करेंगे कि जो तीन वर्ष से ज्यादा के बकायेदार हैं, उन पर कितनी रकम बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—३० जून, ५७ तक कुल बकायेदार २२१ थे। उनसे प्राप्त धन १७,२०३ रुपये १७ नये पैसे थे। १९५५-५६ के कुल १५६ बकायेदार थे। उनके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की कार्यवाही हो चुकी है और १३,४९५ रुपये १७ नये पैसे की डिक्री हो चुकी है। १९५६-५७ के ६५ बकायेदार थे और उनसे प्राप्त धन ३,७०८ रुपये ५३ नये पैसे था।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सबसे ज्यादा बड़े ७० बकायेदार कितने हैं और उन पर कितनी रकम है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह लिस्ट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह—क्या यह सही है कि इस जिले के सबसे बड़े बकायेदार सुरेन्द्रबहादुरसिंह हैं और उनके ऊपर ५ हजार से ज्यादा बकाया है और डिप्टी कमिश्नर आज तक वसूल नहीं कर सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने अभी निवेदन किया था कि वह लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन सबके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है और रकम वसूल की जा रही है।

श्री गुप्तारसिंह—क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि इन बकायेदारों में ऐसे भी हैं जो समिति के सदस्य भी नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर माननीय सदस्य मुझे कोई सूचना देंगे तो अवश्य जांच कराऊंगा ।

*३२-३३—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—[स्थगित किये गये ।]

आगरा जिले की किरावली तहसील की सड़कें

*३४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की तहसील किरावली में पुरानी कच्ची सड़कों को पक्का बनाने तथा पुरानी पक्की सड़कों की मरम्मत कराने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई विचार है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी सड़कें होंगी और कब तक उन पर कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिले में विधून थाने के क्वार्टर्स

*३५—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस थाना विधून, जिला कानपुर के क्वार्टर्स (quarters) बनने का ठेका कितने रुपयों का था और वह कब से बन रहे हैं तथा उनका बनाना कब समाप्त होने वाला है ?

श्री गिरधारीलाल—पुलिस थाना विधून, जिला कानपुर के क्वार्टर्स के काम का ठेका २३,००० रुपये का था। यह कार्य फरवरी सन् १९५७ में प्रारम्भ किया गया था और अब पूरा हो चुका है ।

*३६—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या यह क्वार्टर्स (quarters) अमेरिकी पद्धति के बनेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। इन क्वार्टर्स का निर्माण मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा निर्मित स्टैन्डर्ड डिजाइन के आधार पर, जो कि पुलिस विभाग द्वारा मान्य है, किया गया है।

बस्ती जिले के खजुरिया ग्राम से कट्टीखाने को हटाने की प्रार्थना

*३७—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खजुरिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में आबादी के बीच स्लाटर हाउस होने के सम्बन्ध में क्या वहां के किसानों ने सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खजुरिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के लोगों के प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी सूचना नहीं है। पूछा गया था कि कोई प्रार्थना-पत्र आया या नहीं। इसका जवाब द दिया गया कि नहीं आया।

श्री प्रभुदयाल---क्या माननीय मंत्री जी इसको सूचना मान कर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, किसकी जांच करें जब कोई शिकायत नहीं ही है।

*३८---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

डी० सी० ओ० के नाम से डी० सी० डी० एफ० हरदोई के खाते में जमा कथित धन

*३९---श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह अक्तूबर, १९५६ में ५०० रुपये डी० सी० ओ० के नाम डी० सी० डी० एफ०, हरदोई के खाते में डाले गये हैं, उसकी रसीद डी० सी० ओ० से प्राप्त करली गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अक्तूबर, १९५६ में कोई भी धनराशि डी० सी०ओ० के नाम डी० सी० डी० एफ० हरदोई के खाते में नहीं डाली गई है, अतएव उसकी रसीद लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत सेक्रेटरियों के संबंध में परगना हाकिमों को अधिकार

*४०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत इन्स्पेक्टरों और सेक्रेटरियों को हाकिम परगना (तहसील) के मातहत करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। हाकिम परगना को केवल पंचायत सेक्रेटरियों को छुट्टी देने तथा छोटे मोटे दण्ड देने के अधिकार देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शासन में ऐसा परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो कोई खास परिवर्तन नहीं है कि हाकिम परगना सेक्रेटरीज को छुट्टी और छोटे मोटे दंड दे सकें क्योंकि हाकिम परगना ही उनसे काम भी लेता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इन सेक्रेटरियों को छोटे-मोटे दंड देने की मशीनरी क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर उनके अफसर थे जो उनका डिसमिसल कर सकते थे।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर के हाथ से यह अधिकार निकालने की क्या आवश्यकता आयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिसमिसल और नियुक्ति का अधिकार तो अब भी उन्हीं को है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर पूरे जिले में कई क्षेत्र का होता है और परगना हाकिम एक परगने का होता है और वहीं उसका हेडक्वार्टर भी होता है इसलिये उसमें असामी होती है इसी वजह से उनको यह अधिकार दे दिया गया है।

*४१-४२---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३---४४---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड बाराबंकी के चेयरमैन द्वारा नयी कार खरीदना

*४५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड के धन से नई लैन्ड मास्टर कार क्यों खरीदी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला बोर्ड बाराबंकी के अध्यक्ष को बोर्ड के कार्य के लिये दी गयी पुरानी कार इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी मरम्मत पर और अधिक व्यय करना मुनासिब नहीं था। अतः बोर्ड ने नियमानुकूल नई कार खरीदी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार कितने रुपये की खरीदी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१३,००० से कुछ कम ही रुपये में खरीदी गयी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसी महीने के अन्दर इस गाड़ी की मरम्मत में १,३०० रुपये लग गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—मरम्मत में तो उस पुरानी गाड़ी में सन् ५६ में लगे थे। यह गाड़ी तो जून में १२,६७५.७५ रुपये में खरीदी गयी, इसमें अभी कहां मरम्मत हुई ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बड़ा जरूरी सप्लीमेंटरी करना था।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। स्थानीय निकायों के बारे में बहुत अधिक प्रश्न आप कर भी नहीं सकते, बहुत ब्योरे में आप जा नहीं सकते। वे प्रश्न वहीं किये जाते हैं।

श्री राजनारायण—यह पता लगाना था कि किस चैयरमैन ने खरीदी गाड़ी।

श्री अध्यक्ष—उसका पता तो आप लगा सकते हैं।

बाराबंकी जिले के गल्ला रटोर्स

*४६—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने गल्ला स्टोर्स हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बाराबंकी जिले में कुल सरकारी गल्ला रटोर्स की संख्या २९ है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन ..	..	१ गल्ला स्टोर
२—कृषि विभाग ..	..	८ बीज स्टोर
३—सहकारिता विभाग ..	..	२० बीज स्टोर
योग	..	२९

व्यापारियों के गल्ला स्टोर्स की सूची इस समय सरकार के पास नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या यह सत्य है कि इन गल्ला स्टोरों से अधिक गल्ला व्यापारियों को दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, यह बात नहीं है बल्कि जो ६ फ़ेयर प्राइस शाप्स हैं उनको गल्ला दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इन सीड स्टोरों पर ज्यादातर गल्ला जो वसूलयाबी में आता है, उसमें नकद पैसे के रूप में अधिक आता है और गल्ला के रूप में कम आता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)---बीज स्टोर तो कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के हैं, इसकी तो मुझे बहुत ज्यादा इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण---तो, श्रीमन्, जिनको ज्यादा इत्तला हो वे मिनिस्टर जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष---(अन्न मंत्री से) तो आप नोटिस चाहते हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर---जी हां।

इटावा जिले के सहकारी कृषि फार्म

*४७---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने सहकारी खेती के फार्म हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इटावा जिले में सहकारी खेती के २ फार्म हैं। एक अशोकपुरी में और दूसरा भल्ला सैंया में।

*४८---श्री भजनलाल---उन सहकारी फार्मों में कितने-कितने मेम्बर हैं और उन फार्मों का रकबा क्या-क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---(१) अशोकपुरी समिति में १९ मेम्बर हैं तथा फार्म का रकबा ५०३ एकड़ है।

(२) भल्ला सैंया समिति में १५ मेम्बर हैं तथा रकबा करीब ८० एकड़ है।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह फार्म कब से चालू है और सरकार इन पर सालाना कितना व्यय करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भजनलाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दोनों फार्म आज घाटे में चल रहे हैं या मुनाफे में ?

श्री मोहनलाल गौतम---अशोकनगर सहकारी समिति में तो पिछले वर्ष ७२८ रुपये का लाभ हुआ है और भल्ला सैंया में वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतायेगी कि ७२८ रुपये का लाभ कितना रुपया खर्च होने पर हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---इन सहकारी समितियों के बारे में यह गलतफहमी है कि सरकार का खर्चा होता है। वे अपना रुपया इकट्ठा करते हैं, जमीन इकट्ठी करते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं। इसमें घाटा या लाभ उनका ही होता है। सरकार कोई रुपया नहीं लगाती। उनकी पूंजी है और घाटा या लाभ उनका ही है। उनके हिस्से की पूंजी १२,४२७ रुपया है। निजी पूंजी १५,८२१ रुपया है और कारोबारी पूंजी ४७,१२२ रुपये है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अशोकनगर फार्म में अलाभकर जोत वाले कितने किसान शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--- मेरी समझ में यह सवाल नहीं आया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतलायेगी कि साढ़े छः एकड़ से कम जोत वाले कितने किसान इस फार्म में शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--- इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भजनलाल---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि भल्ला सैंया के फार्म में जब रजिस्टर्ड रकबा ८० एकड़ है और इसके १५ मेम्बर हैं तो क्या वह इसका रकबा बढ़ाने के लिये सोच रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह मेरे काबू से बाहर है कि मैं दूसरे की जमीन लेकर उसमें शामिल करूं। अगर किसान शामिल होंगे तो जोत जरूर बढ़ जायगी।

बाराबंकी जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*४९---श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--- क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी नई सड़कें बाराबंकी जिले में निर्मित होनी हैं और उसमें कितनी धनराशि व्यय होगी और नई सड़कों के अलावा किन-किन पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार होना है तथा उन पर कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--- आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७० पर)

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सड़कें बनाने का निश्चय होता है वह किस आधार पर किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--- इसके दो कायदे हैं। एक तो स्टार ऐण्ड ग्रिड के सिद्धान्त के आधार पर यह तय किया जाता है और उसके बाद दूसरी योजना के तैयार होने के पहले हमने हर जिले में अपना एक सरकारी कर्मचारी भेजा था जिसन वहां के असम्बली के तथा पार्लियामेंट के सदस्यों, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों तथा और अन्य कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर के सलाह मशविरा किया और खुद भी देखा कि कहां और कितनी सड़कों की जरूरत है और उसके बाद जितने हमारे पास फंड्स थे उनके मुताबिक हमने यह कार्यक्रम तैयार किया।

जिला बोर्ड बाराबंकी के चेयरमैन द्वारा नई कार खरीदना

*५०---श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड बाराबंकी ने जो मोटर कार खरीदा है उसे सरकार का अनुदान प्राप्त है ? यदि हां, तो कितना रुपया कुल खर्च हुआ तथा उसमें सरकारी अनुदान क्या था ?

श्री राजस्वरूप यादव---(क) जी नहीं, ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव प्रसाद नागर--- क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसकी जगह पर यह नयी मोटर खरीदी गयी है वह पुरानी मोटर नीलाम कर दी गई है या अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खड़ी है।

श्री राजस्वरूप यादव---उसके नीलाम के बारे में विज्ञापन नेशनल हेराल्ड आदि अखबारों में निकाल दिया गया है और टेन्डर आने पर नीलाम हो जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व चेयरमैन ने जो मोटर खरीदी थी, चैयरमैन पद से हटने के बाद उन्होंने ही उस मोटर को २,६०० रुपये में नीलाम में ले लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो बहुत नवीन बात होगी।

*५१--श्री प्रताप सिंह--[स्थगित किया गया।]

*५२--श्री प्रताप सिंह--[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*५३--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में घोसी से नदवा सराय होती मुहम्मदाबाद जाने वाली सड़क के पक्की कराने का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा?

श्री गिरधारी लाल--इस सड़क का पक्का करना विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है।

*५४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस कार्य में क्या व्यय होने का अनुमान है?

श्री गिरधारी लाल--लगभग पौने पांच लाख रुपये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत है या पी० डब्ल्यू० डी० के?

श्री गिरधारी लाल--यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत है तो सरकार का विचार इसको पक्का कराने का क्यों नहीं है?

श्री गिरधारी लाल--पी० डब्ल्यू० डी० की हर एक सड़क को पक्का करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने पहले भी कई प्रश्नों के जवाब में बताया कि धनाभाव के कारण बहुत सी सड़कें पक्की नहीं की जा सकतीं। यह भी उन्हीं में से एक है, जिसको हम पक्की नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े महत्व की है और जिले की जनता की मांग है कि इसको पक्की कराया जाय, इसको ध्यान में रख कर उसे वह इस योजना में शामिल करने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारी लाल-- मैं बिना नोटिस के इन सब बातों का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि जरूर इसकी कुछ न कुछ विशेषता होगी।

उन्नाव जिलान्तर्गत सड़कों की निर्माण योजना

*५५--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत चकलवंसी से संदीला जाने वाली सड़क कब तक पक्की बन जायेगी? उक्त सड़क को पक्का करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है?

श्री गिरधारी लाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही इस सड़क के पक्की बन जाने की आशा की जाती है। इस सड़क के निर्माण-कार्य की प्रगति का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७१ पर)

*५६--श्री सजीवनलाल (अनुपस्थित)-- क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले के अन्तर्गत मोहान से लखनऊ आने वाली सड़क को दूसरी पंचवर्षीय योजना में पक्का करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--इस कार्य को आरम्भ करने का आदेश दिया जा चुका है।

*५७--श्री सजीवनलाल (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले के अन्तर्गत हसनगंज से रसूलाबाद जाने वाली कच्ची सड़क को दूसरी पंचवर्षीय योजना में पक्की बनाने का इरादा है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

टिहरी-गढ़वाल जिला बोर्ड की स्थापना के लिये प्रार्थना

*५८--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार आगामी मार्च महीने तक जिला टिहरी-गढ़वाल में जिला बोर्ड की स्थापना करने की कृपा करेगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*५९--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--[सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोआपरेटिव सोसाइटी, पुरसेनी, जिला लखनऊ में गबन

*६०--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में कोआपरेटिव बैंक, मोहन लालगंज से सम्बन्धित कोआपरेटिव सोसाइटी, पुरसेनी में अमानत में जमा किया गया तीन हजार रुपया गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

इस मामले की विभागीय जांच हो रही थी कि अमानतदार ने आर्बीट्रेशन दायर कर दिया और इस समय यह मामला आर्बीट्रेटर के विचाराधीन है।

*६१-६२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २३-२४ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*६३-६४--श्री भगवती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--[हटा दिये गये।]

गोरखपुर जिले में सीमेंट का वितरण

*६५--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ९ मास में गोरखपुर जिले को कुल कितना सीमेंट का कोटा दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--४,०४८ टन।

*६६--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त सीमेंट के कोटे से गत ९ मास में महाराजगंज तहसील को कुल कितना सीमेंट का कोटा दिया गया ?

श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य--४६२ टन।

*६७—श्री अमरनाथ—क्या सरकार गोरखपुर जिले के लिये सीमेंट का कोटा बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सीमेंट की उपलब्धता सभी जिलों में बढ़ गयी है। गोरखपुर जिले में भी इसी प्रकार सीमेंट का कोटा बढ़ गया है।

श्री अमरनाथ—एलाटमेंट में क्या सिद्धांत अपनाया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो आवश्यकता के ऊपर किया जाता है।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतावेंगे कि कितना कोटा बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास इसका विवरण इस समय नहीं है लेकिन पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के कोटे में से कितना सरकारी कामों में खर्च होता है और कितना जनता को बांटा जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अलग-अलग ब्योरा इस समय नहीं है।

श्री अमरनाथ—गोरखपुर जिले में कितना कोटा बढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष—पहले जवाब दिया जा चुका है।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या और जिलों की बनिस्बत गोरखपुर जिले को कम सीमेंट दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, मेरे खयाल में आबादी और जरूरत के हिसाब से वहां भी बंधी हुई है। गोरखपुर के साथ हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है।

*६८-७०—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले में धोहरा ग्राम की सस्ते गल्ले की दुकान

*७२—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या धोरहा ग्राम, जिला वाराणसी की सस्ते गल्ले की दुकान हटाकर मौजा हाजीपुर में कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला वाराणसी के ग्राम धोरहा में सस्ते गल्ले की दुकान अब चल रही है। बीच में अवश्य कुछ दिनों के लिये हटाकर हाजीपुर ग्राम में कर दी गयी थी।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या न्याय मन्त्री बतावेंगे कि हटाने का कारण क्या था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—हथवा और रजवाड़ी में दो अदालती पंचायतों में एक दूकान करने के आदेश के अनुसार यह दूकान वहां से हटायी गयी।

श्री लोकनाथ सिंह—धोरहा-कटहर परगने का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसमें क्या मन्त्री जी कुछ और गल्ला बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आवश्यकता होगी तो बढ़ाया जायेगा।

वाराणसी कांग्रेस पार्टी के चुनाव में सरकारी चुनाव कार्यालय से मतदान पेटियां लेना

*७३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या यह सत्य है कि ३ दिसम्बर, १९५७ को वाराणसी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिये वहां के सरकारी चुनाव कार्यालय से १०० मतदान पेटियां कांग्रेस पार्टी को दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

मंत्री शहर कांग्रेस कमेटी, वाराणसी ने अपने पत्र दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ द्वारा प्रार्थना की कि १०० मतदान पेटियां कांग्रेस कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में उनको चार दिन के लिये दे दी जायं । चूंकि उस समय कोई चुनाव होने वाला नहीं था और मतदान पेटियां केवल चार दिन के लिये उधार मांगी गयी थीं, वे दे दी गयी ।

यह स्पष्टतः निर्णय में भूल हुई ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मतदान पेटियां देने में, जैसा सरकार ने कहा है कि निर्णय में भूल हुई, तो यह बनारस के चुनाव अधिकारियों से हुई या सरकार से हुई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यह भूल मुझसे हुई और इसकी जिम्मेदारी मेरी है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि इन मतदान पेटियों का खर्चा भी, आने-जाने का, चुनाव अधिकारियों ने दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे मतदान पेटियां वापस कर दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वापस कर दी गयीं और उनके लाने व लेजाने का खर्चा भी चुनाव अधिकारियों पर नहीं पड़ा है । इसमें भूल मेरी हुई । उनकी चिट्ठी आई थी और यह सोचकर कि कदाचित इसमें कोई हर्ज नहीं है हमने कहा कि यदि हर्जा न हो तो दे दी जावें । स्वभावतः वह भूल थी, जिसका हमें खेद है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि अधिकारी अक्सर इस प्रकार की भूलें किया करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह स्वयं अपनी भूल कबूल करते हैं तो इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मन्त्री जी अपनी भूल को स्वभावतः और प्रत्यक्ष रूप से यहां स्वीकार करने पर मुझसे बधाई प्राप्त करते हुए कृपया यह भी बतलावेंगे कि यह फाइल उनके पास कैसे गयी और मिनिस्टर कन्सर्न्ड विद इलैक्शन्स के पास क्यों नहीं गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फाइल मेरे पास आने का तो प्रश्न नहीं है । मगर यहां सप्लीमटरी किया गया और उस पर मैंने समझा कि यह मुनासिब था कि जो कुछ हुआ है वह सच्चाई के साथ स्वीकार करूं, यदि गलती हुई तो उसे स्वीकार करूं ।

सुल्तानपुर-जौनपुर सड़क पर पीली नदी के कोयरीपुर पुल की निर्माण योजना

*७४--श्री कृ शीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सुल्तानपुर जिले में सुल्तानपुर से जौनपुर जाने वाली पक्की सड़क पर कोयरीपुर स्थान पर पीली नदी पर पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां ।

श्री कृशीप्रसाद पांडेय--इस पुल का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब खत्म हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--बहुत जल्द शुरू होने वाला है और पूरा होने के लिये जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा वैसे तय किया जायगा । मामूली तौर पर तीन वर्ष में एक पुल पूरा हो जाता है, हमें आशा है कि यह भी तीन वर्ष में होगा ।

श्री उग्रसेन--इस पुल को बनाने के लिये कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--इसका १ लाख ७० हजार का रफ एस्टीमेट था और डिटेल्ड एस्टीमेट में २ लाख ६१ हजार रुपया निकाला गया ।

*७५--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले में सीमेंट का वितरण

*७६--श्री रणबहादुर सिंह--क्या न्याय मन्त्री इसकी तहसीलवार सूचना देने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में जब से परामर्शदात्री समितियां सीमेंट बांटने के लिये बनायी गयीं तब से कितना-कितना सीमेंट बांटा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१३,४१० बोरी । ब्योरे की तालिका मेज पर रखदी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७२ पर)

श्री रणबहादुर सिंह--क्या बस्ती जिले में प्रत्येक तहसील में परामर्शदात्री समितियां नियमित रूप से बुलायी जाती हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--खयाल तो है कि बुलायी जाती हैं । मैं हर जगह का तो नहीं जानता हूं ।

घी बेचने के संबंध में लाइसेन्स

*७७--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या पूर्ति मन्त्री आजमगढ़ और लखनऊ नगर और जिले के उन व्यक्तियों की नामावली और पता बताने की कृपा करेंगे जिन्हें सन् १९४६ से १९५० तक घी सप्लाई या घी ग्रेडेशन का लाइसेन्स दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--घी ग्रेडेशन का कोई लाइसेन्स प्रदेशीय सरकार द्वारा नहीं दिया जाता । घी सप्लाई से यदि घी बेचने से तात्पर्य है तो जिन व्यक्तियों को यह लाइसेन्स दिये गये उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनके नाम और पता बताने से न कोई लाभ होगा और साथ ही सूचना एकत्रित करने में धन और श्रम का अनावश्यक ह्रास होगा ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या मन्त्री जी उन लोगों के नाम बताने की कृपा करेंगे जो घी का काम नहीं करते थे उनको परमिट दिये गये और उन्होंने उसे पैक कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता है। मन्त्रीजी यह कैसे बता सकते हैं। वह सर्वज्ञ नहीं हैं।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस प्रकार की भी कोई शिकायत आयी है कि उन लोगों को घी बेचने के लाइसेंस दे दिये गये जो इसका काम नहीं करते थे और उन्होंने उसको ब्लेक कर दिया ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। यह महकमा मेरे पास नहीं है इसलिये किस तरह का ब्लेक मार्केटिंग होता है, इसका मुझे अन्दाजा नहीं है।

बलिया जिले में धारा १०९ व ११० के अधीन चालान

*७८--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में १९५४, १९५५ और १९५६ में कुल कितने चालान धारा १०९ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत किये गये और उनमें से अदालतों द्वारा कितने प्रमाणित हुए ?

श्री सैयद अली जहीर--कुल ५८० चालान हुए जिनमें ४६६ प्रमाणित हुए।

*७९-८०--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

५० रुपये से अधिक किराये वाले मकानों पर से रेंट कन्ट्रोल हटाने की जानकारी

*८१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार ५० रु० से अधिक के किराये के मकानों पर से रेंट कण्ट्रोल हटाने जा रही है जैसा कि इकानोमी कमेटी ने सुझाव दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसा कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। इकानोमी कमेटी ने अभी तक कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया है।

*८२--श्री मुबारक अली खां (जिला बदायूं)--[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८३--श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)--[११मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८४-८५--श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)--[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी-सिद्धौर सड़क पर साइकिलों पर टैक्स

*८६--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी से सिद्धौर जाने वाली सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्धित है परन्तु उस पर साइकिल ले जाने वालों पर टाउन एरिया टैक्स पड़ता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। यह वसूली टाउन एरिया द्वारा बनाये बाईलाज के अन्तर्गत होती है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर टैक्स लगाने का अधिकार है ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरिया के बाईलाज में कुछ ऐसी अनियमितायें है, जिनके लिये उनका ध्यान दिलाया गया है कि वे अपने बाईलाज को संशोधित करें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि साइकिलों पर पहले टाउन एरिया टैक्स लगाती है, अगर वह गांव पंचायत में जाती है वह टैक्स लगाती है, म्युनिसिपैलिटी में जाती है तो वह टैक्स लगाती है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लगाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि गांव पंचायत टैक्स लगाती है या नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी उस टैक्स को वापस दिलाने की कृपा करेंगे जो टाउन एरिया ने अनियमितता से वसूल किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वापस दिलाना तो संभव नहीं है। यह अनियमितता बाईलाज बनाने की है। हो सकता है कि उसको रोका जाय।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय राजनारायण जी के प्रश्न के सिलसिले में जांच करने पर अगर सरकार को यह पता लगे कि साइकिल वालों से ३-३ टैक्स वसूल किये गये हैं, तो क्या वे इसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सुझाव पर विचार अवश्य किया जायगा।

हरदोई जिले में पंचायत मंत्रियों की मुअत्तली

*८७--**श्री बुलाकीराम वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या B. D. Os. को पंचायत मंत्रियों को मुअत्तिल करने का शासन द्वारा कोई अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो हरदोई जिले में कितने पंचायत मन्त्रियों को B. D. Os. ने अब तक मुअत्तिल किया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--पंचायत मन्त्रियों को मुअत्तिल करने का कोई अधिकार बी० डी० ओ० को नहीं दिया गया है। हरदोई जिले में दो पंचायत मन्त्रियों को उन के विकास अधिकारियों ने निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति से मुअत्तिल कर दिया था।

*८८--**श्री सुक्खनलाल** (जिला मुरादाबाद)--[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद जिले में सीमेंट का वितरण

*८९--**श्री सुक्खनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में प्रत्येक तहसील के लिये कितने-कितने बोरी सीमेंट जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक जनता को देने के लिये दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी अनुसूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७३ पर)

श्री सुक्खनलाल--क्या सरकार बतायेगी कि इसमें से कितना सीमेंट देहात को दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सूची में इसका जिक्र है। जो सीमेंट तहसीलों द्वारा वितरण हुआ है, वह देहातों को दिया गया है।

जिला बोर्डों के इंजीनियरों के प्रान्तीयकरण का इरादा

*९०—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का इरादा जिला बोर्डों की सेवा में रत इन्जीनियरों की सेवाओं का प्रांतीयकरण (Provincialisation of the services of engineers employed in district boards) करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला बोर्ड के पुनस्संगठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इन्जीनियरों की सेवाओं के प्रांतीयकरण के प्रश्न पर उसके साथ ही विचार किया जायगा।

श्री भारतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इंजीनियरों के साथ क्या सेक्रेटरियों, एकाउन्टेंट्स और मेडिकल आफीसरों का भी प्रान्तीयकरण किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसी वक्त सब के लिये विचार किया जायगा जब कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का प्रान्तीयकरण होगा।

श्री रामनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंजीनियरों का प्रान्तीयकरण करने का सवाल कब से विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—काफी समय से।

*९१—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९२-९३—श्री तारा चन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[सिंचाई मन्त्री से सम्बन्धित सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९१-९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने के लिये उपयुक्त भूमि सुरक्षित रखने का सुझाव

*९४—श्री भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा—क्या सरकार ने मिट्टी का बर्तन बनाने वाले व खिलौना बनाने वाले कुम्हारों के लिये ऐसी मिट्टी की भूमि सुरक्षित करने की व्यवस्था इस प्रदेश की ग्राम पंचायतों में की है जो खिलौने व बर्तन बनाने के लिये विशेषरूप से उपयुक्त है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*९५—श्री प्रतापसिंह—[नवें सोमवार में प्रश्न संख्या ८ से स्थानान्तरित किया गया।]

*९६—श्रीमती शकुन्तला देवी—[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९७-९८—श्री मंगलनाथ राय—[चौदहवें सोमवार म प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायत सेक्रेटरी व इन्स्पेक्टरों पर मुकदमे

*९९—श्री रामेश चन्द्र कपूर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसे पंचायत सेक्रेटरी कितने हैं जिन पर कि सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश में इस समय ३१ पंचायत सेक्रेटरियों पर सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं।

*१००—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसे पंचायत इन्सपेक्टर कितने हैं जिनपर कि सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चार पंचायत इन्सपेक्टर।

कानपुर जिले में सड़कों का निर्माण-कार्य

*१०१—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में गत पांच वर्षों में कितने मील सड़क (अ) कच्ची से पक्की की गयी तथा (ब) नई निकाली गयीं?

श्री गिरधारीलाल—(अ) कोई नहीं।

(ब) गत ५ वर्षों में ४१ मील ७ फर्लांग लम्बी नयी पक्की सड़कें तथा १३३ मील ५ फर्लांग कच्ची सड़कें बनायी गयी।

*१०२—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में कितने मील (१) नयी सड़क तथा (२) कच्ची सड़क को पक्की बनाने की योजना है? उपर्युक्त निर्माण का क्या व्यय होने वाला है अथवा हो चुका है?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में कोई भी नयी पक्की सड़क बनाने की योजना नहीं है। केवल झोझक-रसूलाबाद कच्ची सड़क (९ ३/८ मील लम्बी) को पक्का बनाने की योजना है जिसकी अनुमानित लागत ३.२८ लाख रुपया है।

मुगलसराय से बलुआ-चहनीया सड़क तक की कच्ची सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*१०३—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार परगना मछुआरी (जिला वाराणसी) में मुगलसराय से बलुआ-चहनीया सड़क तक जो कच्ची सड़क मौजूद है उसको पक्की करा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

फतेहपुर जिले में पुरानी मुगल सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*१०४—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी मुगल रोड का वह भाग जो सिर्फ फतेहपुर जिले में ही पक्का होना शेष रह गया है, कब तक पक्का करने की सरकार की योजना है? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—अभी पक्का करने की योजना नहीं है।

द्वितीय भाग—धनराशि की कमी के कारण।

नगरपालिका हरदोई में नालियों की सफाई

*१०५—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में किस ड्रेन की सफाई कितने वर्षों से नहीं की गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका हरदोई में स्थित प्रत्येक ड्रेन (नाली) की सफाई प्रतिदिन की जाती है, ऐसी सूचना नगरपालिका से मिली है।

पंचायत मंत्रियों को ठीक समय पर वेतन न देने की शिकायत

*१०६--श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात का पता है कि प्रदेश में पंचायत मंत्रियों को उनका वेतन हर महीने में ठीक समय पर नहीं मिलता ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यथासंभव पंचायत मंत्रियों को उनका वेतन हर महीने ठीक समय पर ही दिया जाता है।

गोरखपुर जिले में गल्ले की दूकानें

*१०७--श्री अमरनाथ--क्या सरकार इस बात का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सन् १९५६ एवं १९५७ में किन-किन स्थानों पर गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं और किन-किन दुकानदारों को दी गयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जिला गोरखपुर में सन् १९५६ एवं १९५७ में कुल २३६ दुकानें खोली गयीं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इनमें वह दूकानें भी जो निरस्त या निलंबित कर दी गयी हैं या जिनको दूकानदारों ने स्वयं छोड़ दिया, सूची में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १७४-१८२ पर)

गोरखपुर जिले में हड़हवा घाट पर पुल की आवश्यकता

*१०८--श्री गौरी राम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में फरेंदा कानूनगो वार्ड के अन्तर्गत हड़हवा घाट के पुल को बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०९--श्री प्रताप सिंह--[स्थगित किया गया।]

गुलावठी, जिला बुलन्दशहर के नलकूप को बिजली न मिलने की शिकायत

*११०--श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में नलकूप लगे दो वर्ष से अधिक हो गये परन्तु वह अभी तक बिजली न होने के कारण पानी नहीं देता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां। यह नलकूप मार्च, १९५६ में बन चुका था लेकिन इसका विद्युतकरण अभी तक नहीं किया जा सका।

*१११--श्री जगवीर सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार इसका तुरन्त कोई प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में नैपुराघाट पर गोमती के पुल तथा कोठी से नैपुराघाट तक लिंक सड़क की निर्माण योजना

१--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत नैपुरा घाट पर जो गोमती नदी पर पुल बन रहा है वह कितनी लागत का है ?

श्री गिरधारीलाल---इस पुल के निर्माण की अनुमानित लागत ७,४१,००० रुपये है।

२---श्री जंग बहादुर वर्मा---क्या सरकार बाराबंकी जिले में नैपुराघाट से कोई नई सड़क निकालकर के हैदरगढ़ से जो बाराबंकी रोड है, उसमें मिलाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल---कोठी से नैपुराघाट तक लिंक सड़क के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है

३---श्री मुबारक अली खां---[११ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

पंचायत मंत्रियों की पंचायत इन्स्पेक्टरों के पद पर उन्नति

४---श्री वासुदेव दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्रियों में से पंचायत इन्स्पेक्टर पद के लिये कितने प्रतिशत मंत्री लिये जाते हैं तथा अब तक प्रदेश में कितने मंत्री इन्स्पेक्टर पद पर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---पंचायत इन्सपेक्टरों के जो पद रिक्त होते हैं उनमें से ३३ प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाता है जिनमें पंचायत मंत्री भी होते हैं। पंचायत मंत्रियों के लिये पृथक से कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है। अब तक प्रदेश में ५ पंचायत मंत्रियों को इन्स्पेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है।

इलाहाबाद में डकैती और कत्ल के संबंध में काय-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द मोहिले का आया है। उसी के साथ एक तार भी है जो इस प्रकार है---

"Dacoity and murder in city. Citizens pannicy

Ram Manohar Pandey, (Citizens).

कल २४ तारीख में डकैती और मर्डर की कोई घटना हुई और उसके ऊपर वे कामरोको प्रस्ताव ला रहे हैं। वे मेरे पास आये थे तो मैंने उनको कह दिया था कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जो माननीय सदस्य उनके दल के ही शायद कल भाषण दे रहे थे, उनका भाषण जारी होगा, तो उनसे जरा वे कृपा करके कह दें कि वे अपने भाषण में इस तरह की चीजों का जिक्र कर दें कि इस तरह की घटनायें एकाध रोज होती चली जा रही हैं। बजट विवाद के समय इस तरह के कामरोको प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं और न उसके पढ़ने की ही कोई आवश्यकता है। सदस्यगण बजट के वादविवाद में उसका जिक्र कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह खत्म हो गया।

इन्टरमीडिएट एजूकेशन संशोधन विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---एक सूचना मैं देना चाहता हूं जो विधान परिषद् सचिवालय की तरफ से आई है, वह इस प्रकार है:---

"आपके पत्र संख्या एल०ए०---१३२-एस-१३२-५७, दिनांक ५ फरवरी, १९५८ के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की नियमावली के नियम १९६ (३) के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ फरवरी,

[श्री अध्यक्ष]

१९५८ की बैठक में शिक्षा मंत्री का प्रस्ताव कि 'उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५७ ई० के इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय' स्वीकार कर लिया है।

विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त समिति पर कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है—

१—श्री रामकुमार शास्त्री,
२—श्री शांति स्वरूप अग्रवाल,
३—श्रीमती सावित्री श्याम,
४—श्री श्याम बिहारी विरागी,
५—श्री प्रतापचन्द्र आजाद,
६—श्री बालक राम वैश्य,
७—श्री शिवकुमार लाल श्रीवास्तव,
८—श्री कन्हैयालाल गुप्त।"

ये ८ सदस्य वहां निर्वाचित हुए हैं। अब १६ सदस्य विधान सभा की तरफ से चुने जाने हैं। उसके लिये मैं समझता हूं कि कल तक का समय ठीक होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कुछ क्षण पश्चात्)

कल तक उनके नाम उपस्थित कर दिये जायं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं थोड़ी देर में नाम दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने कल तक का समय रख दिया है, इस बीच में आप जब चाहें तब दे सकते हैं। हां, एक बात है कि १६ से अधिक नाम हुए तो फिर चुनाव हो जायगा।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २५७९,आर/१-अ—१०५१-५७, दिनांक २० दिसम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के लिए श्री श्रीनाथ भार्गव की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—डाक्टर श्रीनाथ भार्गव ने एक प्रार्थना पत्र भेजा है। वह प्रार्थना-पत्र प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१(२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने पर, इजाजत देने के संबंध में है। उनका पत्र इस प्रकार है:

'प्रिय महोदय,

पिछले विधान सभा के अधिवेशन में अपनी अनुपस्थिति के विषय में मैं लिख चुका हूं कि मुझे हृदय का दौरा हो चुका है और चिकित्सकों तथा हृदय रोग विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार मुझे पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है।

*छापे नहीं गये।

इसी संबंध में जब कि विधान सभा का वर्तमान अधिवेशन जो दिनांक ३ फरवरी, १९५८ से आरम्भ हो गया है, मुझे निवेदन करना है कि आगरा के हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर के० एस० माथुर की सलाह के अनुसार मुझे अभी और पूर्ण विश्राम करने की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि मैं इस अधिवेशन में सम्मिलित न हो पाऊंगा और मेरा मासिक वेतन न काटा जाय।"

यह जो उनको प्रार्थना है मैं समझता हूं सदन उसके ऊपर अपनी अनुमति देगा। प्रश्न यह है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

१९५८-५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा।

*श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, आपने सब को कुछ अधिक समय प्रदान किया है मुझे भी कुछ और समय दें।

श्री अध्यक्ष---आप के ५ मिनट शेष हैं।

श्री खजान सिंह चौधरी---मैं कल यह कह रहा था कि उधर के माननीय सदस्यों ने जो बजट भाषण दिये हैं वह विरोधी दल के लोगों के समर्थन में ही ज्यादातर दिये हैं। माननीय ब्रजभूषणशरण साहब (कांग्रेस) ने फरमाया कि घाटा ११ करोड़ से ४ करोड़ रह गया, फूड ग्रेन्स पर से टेक्सेज हटा दिये जायं, यह भी पूरा हो जायगा। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का हिसाब नहीं दिया गया। सब ही स्कीमें घाटे में हैं, चारों तरफ अंधेरा है। पर-कैपिटा आय घट रही है। हमारे सुझाव नहीं माने जाते हैं। ज्यादा स्टाफ भर्ती किया जाता है और एलमूनियम फैक्ट्री के लिये बिजली असली लागत से भी कम पर दी जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिये। उन्होंनें कहा कि जुडीशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग किया जाय। कम्प्लेंट आफिसर कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाय तो उन्होंने बिलकुल विरोधी दल का समर्थन किया है।

इसके बाद माननीय गनेशीलाल चौधरी ने जो कांग्रेसी सदस्य हैं, अपनी बड़ी ही दुखभरी कहानी सुनाई है और जो उन पर बीत रही है उसको बताते हुए उन्होंने भी विरोधी दल का ही समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बजट अच्छा नहीं बनता, घाटे का बजट मैं पसन्द नहीं करता। हरिजनों की हालत बहुत खराब है और फिर भी हरिजन हिन्दू धर्म से चिपटा हुआ है। मुझे बड़ा दुख है कि हरिजनों की इस सदन में ऐसी आवाज आती है। मुझे ११ साल इस सदन में आये हुए हो गये रोजाना मैं उनकी दुखभरी कहानी यहां सुनता हूं।

श्री गोविन्दसहाय जी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। श्री नवल किशोर जी ने कहा कि अफसरशाही का बोलबाला है और मंत्री जी अगर किसी उद्घाटन में जाते हैं तो दसवीं, ग्यारहवीं पंक्ति में हम बिठाये जाते हैं।
किसान गरीब हैं और यहां पर मजदूर भी बहुत गरीब हैं।

महात्मा गांधी ने मरने से एक दिन पहले जो प्रार्थना सभा में कहा था, वह मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ़ कर लाया हूं और आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---इतना ही पढ़ कर आप खत्म कर दीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खजान सिंह चौधरी—थोड़ा सा सुझाव और दूंगा, वह मेरा एक निराला और अनोखा सुझाव होगा....

श्री अध्यक्ष—वह सुनाइये आप ।

श्री खजान सिंह—यह महात्मा गांधी का मरने से एक दिन पहले का प्रचवन है "मेरा कहना माना जाय तो मैं कहूंगा कि हमारे गवर्नर जनरल और प्रधान मंत्री किसान हों । बचपन में मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के साम्राज्य के उत्तराधिकारी किसान ही हैं । मैं किसान केवल उसको कहता हूं जो स्वयं परिश्रम करके अन्न उपजाता है । सम्भव है कि गवर्नर जनरल और प्रधान मंत्री होने लायक किसान अशिक्षित हों परन्तु उसे शूर, देशभक्त और सच्चा अवश्य होना चाहिये। देश की असली सम्पत्ति के वे ही उत्पादक हैं । अतः वे ही उन पदों के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं । मेरी धारणा तो यह है कि सचिवालय के मुख्य पदों पर भी किसान ही हों ।"

श्री अध्यक्ष—समय हो गया अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य से) मैं समझता हूं कि आप बीस मिनट में अपना भाषण खत्म कर देंगे ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जैसी आप की आज्ञा हो ।

श्री अध्यक्ष—बीस मिनट में आप समाप्त करने का प्रयत्न करें । फिर पांच मिनट शायद और बढ़ जायं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से इस सदन के सामने १९५८–५९ के बजट के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है । मेरा खयाल है कि उसके सम्बन्ध में यदि आज मैं पुनरावृत्ति करने लगूं और उन सभी माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देना चाहूं, जो उन्होंने इस सदन के सामने कहीं है, तो शायद वह बहुत उचित न हो । मोटे तौर पर इसके सम्बन्ध में, जो आलोचनाएं सदन के सामने हुई, उनको दो भागों में बाटा जा सकता है ।

एक में यह कहा गया कि बजट निर्जीव है, कलरलेस (colourless) है, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बिजनेस-लाइक (business like) है । एक ओर के वर्ग ने यह कहने की चेष्टा की कि यह बजट पूंजीवादी बजट है और यदि समाजवाद की कुछ प्रगति की ओर इस सरकार ने कभी कदम बढ़ाया था तो वह कदम पीछे हटा लिया गया है । एक ओर यह भी कहा गया कि इस बजट का निर्माण जैसा होना चाहिए, जैसा इसे बनाया जाना चाहिए, वैसा नहीं बनाया गया । कुछ वैधानिक आपत्तियां भी, मेरे मित्र, माननीय नारायणदत्त जी ने उठाने की चेष्टा की । उन्होंने बताया कि बजट मैनुअल अभी तक जो कि १९४८–४९ की है उसको दोबारा नहीं बनाया गया और विधान की धाराओं का पालन बजट के बनाने में नहीं किया जाता । यह भी कहा गया कि इस बजट के द्वारा सरकार निरन्तर इस प्रदेश के ऋण की मात्रा को बढ़ाती जा रही है । यह प्रदेश ऋणी होता जाता है । यही नहीं, मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने यह भी कहा कि बजट जिस प्रकार से बनाया गया है वह निस्सन्देह इस प्रदेश को पीछे ले जाकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जिससे कभी इस प्रदेश के लिए उभरना सम्भव नहीं हो सकेगा । बराबर डेफिसिट (deficit) बजट लाया जाता है, लेकिन वर्ष के अन्त में देखा जाता है कि वह डेफिसिट (deficit) बजट नहीं रह जाता बल्कि सरप्लस (surplus) बजट हो जाता है । कहने का तात्पर्य शायद यह था कि सरकारी मशीनरी अपनी अयोग्यता के कारण जो रुपया बजट में रखा जाता है उसको खर्च नहीं करती है ।

जैसा कि मैंने श्रीमन्, प्रारम्भ में कहा कि उन सभी बातों का, जो कि विभागीय दृष्टि से आलोचना हुई उसका, उत्तर दिया जा सकना कदाचित् सम्भव नहीं होगा । किन्तु जहां

तक कि इन बातों का तात्पर्य है और जहां तक कि बजट की इस रूपरेखा का तात्पर्य है उनको यदि हम मोटे तौर पर विचार करें तो श्रीमन्, मुझे यह कहने की धृष्टता के लिए क्षमा करें कि यदि इस बजट का मूल्यांकन उस दृष्टिकोण से किया जाय जो कि आज इस प्रदेश में नहीं अपितु इस देश में है और जिसका कि अन्दाज बहुत सारी योजनाओं से लगाया जा सकता है, तो कदाचित् इस सदन के माननीय सदस्य यह पायें कि यह बजट निश्चित रूप से, मौलिक रूप से, एक क्रान्तिकारी कदम की ओर इस प्रदेश को ले जाने का प्रयास करेगा। यह कहा जाता है कि विधान की धाराओं का पालन नहीं किया गया तो मैं चाहता था कि मेरे माननीय मित्र कुछ उन विधान की धाराओं को भी बताते जिनका कि पालन इस बजट के बनाते समय नहीं किया गया। बजट मैनुअल एक चीज है। बजट मैनुअल को किस प्रकार से बनाते हैं और वह किस कार्य के लिए बनाया जाता है, वह सरकारी मशीनरी का कार्य है और अधिकारी वर्ग की गाइडेंस के लिए, उनको बजट बनाते समय किस मार्ग पर चलना चाहिए, केवल उसके लिए है। यदि बजट को देखा जायगा तो उसमें कंसालिडेटेड फंड (consolidated fund) कंटिंजेंसी फंड (contingency fund) और इस प्रकार के कई हेड्स आफ एकाउंट (heads of account) मिलेंगे जिनका कि जिक्र बजट मैनुअल में कहीं नहीं है। उनके बजट मैन्युअल में न होने से यह बजट किसी प्रकार भी विधान के विरुद्ध हो, ऐसा समझना कदाचित् गलत होगा।

जहां तक यह कहा जाता है कि बजट बनाते समय यू० के० और यू० एस० ए० की प्रथा का अनुसरण किया जाता है और स्वीडेन की प्रथा का अनुसरण किया जाना चाहिए, मुझे नम्रतापूर्वक यह कहने दें श्रीमन्, कि स्वीडेन की प्रथा जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा, बहुत सम्भव है कि वह स्वीडन में प्रचलित हो। लकिन जहां तक इग्लैन्ड की प्रथा का ताल्लुक है और कई जगह उसका अनुसरण किया जाता है। जहां तक कि प्लान्ड इकानामी (planned economy) का सम्बन्ध है यह कहा गया कि विरोधी दलों की राय बजट बनाते समय ली जानी चाहिए। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है श्रीमन्, कदाचित् नारायणदत्त जी को ज्ञात हो और और भी माननीय सदस्यों को ज्ञात हो कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी तो इस देश के प्रत्येक विरोधी दल को प्लानिंग कमीशन ने बुलाया, उनकी राय ली और उन सबकी राय से यह दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी। आज जो बजट बनाया जाता है वह उसी दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बनाया जाता है। प्लानिंग कमीशन द्वारा जो निर्धारित कार्य हैं उनको इस बजट में स्थान दिया जाता है। इसलिए मूलतः विरोधी दलों की उस सम्बन्ध में सम्मति ले ली गयी है और आज उसके अनुसार कार्य किया जाता है। यदि स्वीडेन में कोई दूसरी प्रथा है तो एक प्रकार से उसका पालन इस देश की सरकार के द्वारा भी किया गया है।

जहां तक यह प्रश्न है कि बजट, जिसमें कि घाटा दिखाया जाता है वह बचत का बजट बन जाता है तो यदि मेरे मित्र, श्री नारायणदत्त जी या विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी, इस बजट साहित्य के पृष्ठ २ के आइटम (item) नम्बर २ को देख लेते तो उनको ज्ञात हो जाता कि घाटे का बजट बचत में कैसे परिणत होता है। उसके सबके कारण हैं। इसमें जहां पर १९५६-५७ में यूनियन एक्साइज ड्यूटीज (Union excise duties) की ३,३२,१५,००० रुपये की रकम थी, मेरे मित्र देख सकेंगे कि वह रकम बजट एस्टीमेट (Budget estimate) में १९५८-५९ में ११,४५,२३,००० रुपये की हुई। यही नहीं बजट एस्टीमेट (Budget estimate) १९५७-५८ में भी वह रकम केवल ३,४६,१४,००० रुपये की थी। इस प्रकार से एकदम करीब ७ या ८ करोड़ रुपया यूनियन एक्साइज ड्यूटीज (Union excise duties) से मिला। इसी प्रकार से जो कि इन्कम टैक्स की रकम है वह भी ९ या १० करोड़ के स्थान पर करीब साढ़े १३ करोड़ रुपये की हुई। इसी प्रकार से कुछ और मदें हैं जैसे रेलवे फेयर (railway fare) के टैक्स उसकी भी कुछ अनुमानित आय करीब २ करोड़ रुपये की नई मिली। इस प्रकार से यह बहुत आवश्यक

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

था, यह सम्भव था कि जो घाटे का बजट था निःसंदेह वह बचत के रूप में परिणत होता। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि चाहे नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं किन्तु चूंकि अब इस प्रदेश की आय १०८ करोड़ रुपये हुई इसलिये यह खयाल किया जाना चाहिये कि वह रुपया किसी न किसी प्रकार से नये टैक्स लगा कर यह सरकार वसूल करेगी। विरोधी दल के नेता जब कि बजट साहित्य सदन की मेज पर मौजूद हैं तब इस प्रकार की कोई चर्चा कर सकें यह सदन के लिये कहां तक उचित होगा। निःसंदेह रुपया बचा है, रुपया नया मिला कर उसके द्वारा वह घाटे का बजट बचत के बजट के रूप में परिणत हुआ तो कहीं इसके बारे में कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसको यह सदन न समझ सके।

श्रीमन्, मेरे मित्र नारायणदत्त तिवारी जी ने बार-बार चर्चा इस बात की की कि इस प्रदेश पर ऋण छाता चला जाता है। उन्होंने बताया ३२९ करोड़ रुपये का ऋण इस प्रदेश पर करीब-करीब अब है। शुरू-शुरू में वह ऋण शायद ३२ करोड़ उन्होंने बताया या ४० करोड़ की रकम बतायी थी। मेरा खयाल है कि जहां तक आंकड़े हैं बात सही है। सचमुच करीब ३२९ करोड़ रुपये का ऋण इस प्रदेश के सामने है। लेकिन मैं नहीं समझ सका कि मेरे मित्र इस प्रदेश की खुशहाली, सम्पत्तिशालीनता और इस प्रदेश के धन को निःसंदेह सम्पत्ति की ओर बढ़ने का कदम कहेंगे या एक प्रकार से पीछे हटने का कदम कहेंगे? बहुत स्पष्ट रूप से इसमें दिया हुआ है। यदि मेरे मित्र केवल कुछ रकमों को देख सकें तो स्थिति स्पष्ट हो जाय। लोन्स फार प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऐन्ड अदर स्कीम्स यानी हमारे यहां विकास के कार्यों के लिये जो ऋण लिया है, उसकी रकम १४९ करोड़ रुपये के करीब है। यह ऋण की रकम प्रदेश के पास में वह है जो केवल हमने विकास के लिये ली है। कुछ ऋण ऐसे भी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि निःसंदेह वह एक प्रकार से ऋण नहीं है और उनकी रकम बहुत बड़ी है। कम्पेन्सेशन बांड्स अन्डर जमींदारी ऐक्ट, एल० आर० ऐक्ट, वह करीब ५० करोड़ ९१ लाख के करीब है। रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट बांड्स अन्डर जैड० ए० और एल० आर० ऐक्ट उनकी रकम १३ करोड़ ९५ लाख है। यानी ६५ करोड़ की यह रकम है, जो बांड्स के रूप में हम दे रहे हैं। अब इसको किस प्रकार ऋण समझा जा सकता है यह मैं सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर छोड़ूंगा। इसी प्रकार से जो स्पेशल लोन्स, प्राविडेंट फंड डिपाजिट्स, डिपाजिट्स आफ लोकल फंड्स, सिविल डिपाजिट्स हैं। यह भी करीब २९ करोड़ की रकम है। अपने मित्र की चिंताओं को दूर करने के लिये एक और आंकड़ा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसी में जहां ऋणों का प्रश्न आया है, मेरे मित्र मद नम्बर २ के नीचे देखेंगे, ३ परसेंट यू० पी० लोन जिसकी अदायगी १९५८ में हमारे ऊपर आती है। इसके लिये भी २ करोड़ ५० लाख की रकम अपने बजट में हमने रखी है। मद नम्बर ७ में प्रतिवर्ष जो यू० पी० के लोन्स हैं, उनकी किस प्रकार से हमको अदायगी करनी है, इसका पूरा ब्योरा है। कोई भी ऐसा ऋण इस सारे ब्योरे में मेरे मित्र नहीं पायेंगे जिसके बारे में वह शिकायत कर सकें कि इस ऋण की अदायगी के बारे में इस प्रदेश की सरकार ने कोई कार्य न किया हो और यदि इसके लिए हमारे पास भी धन है और हम निरन्तर इस धन को दे रहे हैं तो मेरे मित्र ऐसे कर्जे की अदायगी के बारे में चिन्ता करें, यह उचित नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंकिंग फंड अकाउंट क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं समझा। उसके बारे में मैं केवल इतनी सी याद दिला दूं कि यदि मेरे मित्र माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण को पढ़े होते तो यह प्रश्न उनके सामने नहीं होता। उन्होंने उसमें क्लियर किया है कि लोन की अदायगी सिंकिंग फंड के द्वारा कर

रहे हैं। मेरे मित्र ने एक सवाल निरन्तर रखा। उन्होंनें कहा कि क्या यह उचित है कि इस प्रदेश में कर्जे की अदायगी के लिए और कर्जा लिया जाय। श्रीमन्, मैं बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं कि यह निस्संदेह उचित है। मैं उनको १९५४-५५ और १९५३-५४ के यू० के० के बजट की ओर ले जाना चाहता हूं। उनके ऊपर भी ऋण हैं। उसके लिए उनको ऋण लेना पड़ा और सूद देना पड़ा। यदि इस प्रदेश को सरकार को, जो विकास के कार्यों में लगाये हुए ऋणों की अदायगी के लिए ऋण लेकर या कैपिटल फंड में से कुछ प्राविजन करना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि यह उचित हीं नहीं बल्कि अपेक्षनीय है, इसकी आवश्यकता है। अगर विकास के लिए ऋण लिया जाता है तो यह लज्जा की नहीं बल्कि गौरव की बात है।

श्रीमन्, और भी बहुत सी आलोचनाएं इस सदन के सामने हुईं। मुझे माननीय झारखंडे राय जी को आलोचना के लिए उनको बधाई देनी है। मैं खयाल करता हूं कि उनकी बातें स्पष्ट हैं और हम उनको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत भी हैं। उन्होंने, जिस प्रकार से कि उनको करना चाहिये, साम्यवाद के सिद्धान्त को फिर प्रतिपादित करने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि दूसरे प्लान में बड़ी इंडस्ट्री के लिए केवल साढ़े चार करोड़ के लगभग रखा गया है। छोटी इंडस्ट्री के लिए कहा कि रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन वह पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहने की चेष्टा की कि यहां पर जो रुपया आज दिया जा रहा है उसके जरिये इस प्रदेश का विकास ४,००० या ४०,००० वर्षों में भी होने वाला नहीं है। उनको यह अधिकार है कि वह इस सदन में यह कहें कि चीन में प्रोडक्शन तिगुना हो गया। वह यदि यह भी कहें कि चीन में इतने-इतने टैक्स हैं और जितना रुपया विकास कार्यों में लगता है उसमें से १५ परसेंट जनता देती है तो ज्यादा स्पष्ट हो जायगा। चीन की प्रगति के सम्बन्ध में मैं स्वयं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं यह खयाल करता हूं कि शायद झारखंडे राय जी को ज्यादा अनुभव हो। मैं सदन से इतना कहना चाहूंगा कि चीन वाली प्रगति को तो हमने स्वीकार नहीं किया और यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमने जहां झारखंडे राय जी के राजनैतिक दर्शन को आज तक स्वीकार नहीं किया वहां आगे भी नहीं करेंगे। जनता के हितों का जो वह प्रतिपादन करते हैं वह सदन स्वयं जानता है। लेकिन आज मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमने समाजवाद को अवश्य स्वीकार किया और समाजवाद के जरिये से इस प्रदेश की प्रगति हो इसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने समाजवाद को स्वीकार किया वह उन उद्देश्यों के लिए नहीं है जिनको कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से चीन में स्थान दिया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि किसी भी देश का बजट और अनुमानित आय-व्ययक का ढांचा निस्संदेह उस प्रदेश या देश की राजनीति, अर्थ नीति और प्रगति का द्योतक होता है। यदि आज यह कहा जाता है कि इस बजट के द्वारा....

श्री अध्यक्ष—आपके २० मिनट समाप्त हो गये हैं। अब आप ५ मिनट और ले लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—धन्यवाद, श्रीमन्, इस बीच में बहुत कुछ देश को समझने सोचने का अवसर मिला है। बहुत से कमीशन मुकर्रर हुए हैं और बहुत सी रिपोर्टें भी बनी हैं और निस्संदेह बहुत कुछ कार्य इस देश में किया गया है। मैं कोई बहुत ज्यादा समय इस सदन का इसकी चर्चा में नहीं लेना चाहूंगा किन्तु जो एक प्रकार से अंतिम रिपोर्ट इस प्रदेश के सामने, इस देश के सामने, इस देश और इस प्रदेश की परिस्थितियों के सामने आयी है, वह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके संबंध में माननीय नारायणदत्त जी और उनके अन्य साथी शायद यह नहीं कह सकते कि वह किसी सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट है। मैं ऐसा खयाल करता हूं कि सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को कहां तक स्वीकार करेगी,

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यह तो आगे की बात है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट कुछ तथ्यों को रखने की क्षमता रखती है। अपनी रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में उन्होंने यह कहने की चेष्टा की है कि :—

"The assessment that we have made of the likely supply and of the demand for foodgrains shows that food position will continue to be difficult."

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हिन्दी में अनुवाद करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिन आंकड़ों पर और जिन चीजों पर हमने विचार किया है और जो खाद्यान्न हमको मिल गये और जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, उससे यह बात स्पष्ट है कि इस देश की खाद्य स्थिति अभी कठिन रहेगी।

श्रीमन्, बहुत लम्बा विवरण इस रिपोर्ट में बहुत सी चीजों का आता है। उन्होंने बतलाया कि निस्संदेह सारे देशों में खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी हुई है और खाद्यान्न ज्यादा पैदा हुए हैं लेकिन कमी का कारण उन्होंने बतलाया है कि १२.५ प्रतिशत यहां की आबादी बढ़ गयी है और आगे और भी बढ़ सकती है। दूसरा कारण यह भी बतलाया गया है कि जो लोग अच्छा अन्न नहीं खाते थे वह अब अच्छा अन्न खाने लगे हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि आमदनी भी लोगों की बढ़ गयी है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में रुपये मिले और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में भी मिलते जा रहे हैं, इसके द्वारा लोगों को अधिक अन्न खरीदना पड़ेगा। इसको सामने रखते हुए वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं और यदि आवश्यकता होगी तो हिन्दी अनुवाद भी पढ़ने की चेष्टा करूंगा—

"The relevance of the consideration of changes in the per capita national income lies in the fact that all available data relating to the consumer expenditure, both past and more recent, show considerable income elasticities of demand for foodgrains throughout the existing range of consumer incomes. This means that with higher income to spend the consumers tend to spend a high proportion of the increased income on foodgrains."

इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि अधिक लोगों की आमदनी बढ़ गयी है इसलिये खाद्यान्नों की कमी पड़ेगी। इसलिये अंत में वह श्रीमन्, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ सालों तक खाद्यान्नों में जो कठिनाई है वह चलती रहेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हमें आगे बढ़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। श्रीमन् मैंने प्रारम्भ में कहा था कि निसन्देह यह बजट एक क्रान्तिकारी बजट इस माने में है कि यदि इस बजट का अध्ययन किया जाय तो मेरे मित्र पायेंगे कि वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन को एक मंजिल पर ले जाने के बाद यह कहने की चेष्टा की है कि इतना इतना कार्य हमने खेती के लिये किया है, उद्योगीकरण के लिये हमको यह कार्य करना है और इस बजट में हम को ये ये कार्य पूरे करने हैं। उन्होंने जो नया रुपया लिया है उसको छोटे और बड़े उद्योगों में लगा कर किस प्रकार इस प्रदेश को प्रगति की ओर मंजिल दरमंजिल ले जा सकेंगे इसका वर्णन किया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने एक पूंजीशाही और नौकरशाही बजट को क्रान्तिकारी सिद्ध करने की जो चेष्टा की यद्यपि वह असफल रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष साबित करने में जिस वाक्पटुता और विवादचातुर्य का परिचय दिया उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं आज सदन को आपके द्वारा यही बता देना चाहता हूं कि बजट कैसा है।

बजट के संबंध में मोटी सी बात यह है कि उद्देश्यों, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये बनायी गयी नीतियों और उन नीतियों के अमल में फर्क होता है। मैं मानता हूं कि सरकार का उद्देश्य अच्छा है, ऊंचा है, पवित्र है लेकिन सरकार ने उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जो नीतियां बनायी हैं, वे अधिकांश गलत हैं और उन नीतियों पर जिस तरह से अमल होता है वह तो सब गुड़ गोबर कर देता है। जिस नौकरशाही शासन की मशीन के जरिये से ये नीतियां कार्यान्वित की जाती है वह जन कल्याणकारी राज्य के और समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का दावा करने वाले काम के लिये सर्वथा अनुपयुक्त और बेमौजूं है। यह बजट इस बात का सबूत है। सरकार का दावा है कि उसका राज्य जन-कल्याणकारी है वह समाजवादी ढंग का समाज कायम करना चाहती है। लेकिन जो बजट हमारे सामने पेश है वह पूंजीशाही और नौकरशाही बजट है, न वह सर्वोदयी है न समाजवादी और न वह जन-कल्याणकारी है। बजट जो बनाया जाता है वह विभागों के अधिकारियों द्वारा उस परम्परा के अनुसार बनाया जाता है जो उन्हें अंग्रेजी राज्य से विरासत में मिली हुई है। बजट के बनाने वाले अधिकारियों का दृष्टिकोण विभागीय दृष्टिकोण होता है। वह दृष्टिकोण सर्वोदय और समाजवादी तो हो ही नहीं सकता, जनतन्त्रीय भी नहीं है। इसलिये परिणाम क्या होता है? बजट बनाते वक्त उन अधिकारियों को सबसे पहले अपना परिवार बढ़ाने की, अपना स्टाफ बढ़ाने की स्वभावतः सूझती है। उसके बाद उनका ध्यान जाता है भत्ते बढ़ाने की ओर, पे-स्केल बढ़ाने की ओर, विशेष वेतन बढ़ाने की ओर और सालाना तरक्की बढ़ाने की ओर और उसके बाद जो बचता है, अगर मैं माननीय त्रिपाठी जी की भाषा का प्रयोग करूं तो वह यज्ञ शेष, थोड़ा सा जनता की सामाजिक सेवाओं के लिये दे दिया जाता है और इसीलिये होता यह है कि प्रशासकीय खर्चा ज्यादा बढ़ता है और सामाजिक सेवाओं पर खर्च कम बढ़ पाता है। सच्ची बात तो यह है कि सुरसा में और हनुमानजी में जो होड़ पड़ी हुई थी, जिसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—

"जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु दुगुण कपि रूप दिखावा।"

तो जिस तरह से सामाजिक सेवायें अपने आकार को बढ़ाती हैं उसका दूना प्रशासकीय खर्च बढ़ जाता है।

सबूत में सिर्फ दो उदाहरण ही दूंगा क्योंकि ३० मिनट के अन्दर बजट जैसे महत्वपूर्ण और व्यापक विषय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। वे दो उदाहरण यह हैं कि पिछले १० वर्ष के अन्दर पुलिस का खर्चा दुगुना हो गया है और दूसरा उदाहरण यह है जो शायद त्रिपाठी जी से संबंध रखता है कि सूचना विभाग का खर्चा दुगुना नहीं बल्कि बीस गुना हो गया है। यह दो उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं। मैं यह कहता हूं कि प्रशासकीय खर्चे में और सामाजिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के खर्चे में कोई सही अनुपात नहीं है, कारण मैंने बताया कि जिस तरीके से जो मशीनरी बजट बनाती है उस मशीनरी से वह अनुपात बन ही नहीं सकता। चूंकि इस मशीनरी का और इस वर्तमान नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही ही होगा। उसका बजट भी नौकरशाही ही होगा, जो कि यहां अंग्रेजी राज्य के जमाने के बजट में रहा है। अब कांग्रेसी राज्य के जमाने के बजट में उस परम्परा में एक फर्क जरूर पड़ा है और वह यह कि जो बजट साम्राज्यशाही नौकरशाही के होते थे अब वे पूंजीशाही नौकरशाही के हैं। नौकरशाही के दोनों हाथों में लड्डू रहे। अंग्रेजी राज्य के जमाने में उनके पौ बारह थे और कांग्रेसी राज्य में भी उनकी पांचों घी में हैं लेकिन साम्राज्यशाही की जगह पूंजीशाही ने ले ली है।

अभी माननीय लक्ष्मीरमण जी ने यह कहा कि संविधान की कहीं भी हमने अवहेलना नहीं की। मैं उनका ध्यान संविधान के आदेश की अवहेलना की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में यह लिखा हुआ है कि बजट इस प्रकार का बनाना चाहिये जिससे सम्पति का समान वितरण हो लेकिन बजट मेरे सामने भी है और माननीय लक्ष्मीरमण जी के सामने भी है। मुझे बताया जाय कि क्या उसके अनुसार इस बजट में सम्पति

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

का समान वितरण हुआ है ? इस बजट का परिणाम क्या यह नहीं हुआ है कि अमीर की अमीरी बढ़ी है ? क्या शहरों की अमीरी और आमदनी बढ़ी है ? पर-कैपिटा इनकम शहर में बढ़ी है ? लेकिन गरीबों की गरीबी बढ़ी है और गांवों की पर-कैपिटा इनकम उस अनुपात से नहीं बढ़ी है अगर कम नहीं हुई है । मैं ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहता जिससे कहा जाय कि मैं अत्युक्ति करके कोई बात कहता हूं । मैं पसन्द करता हूं कि अपनी बात को कम करके कहूं जिससे मुझसे यह नहीं कहा जा सके कि मैंने अत्युक्ति से काम लिया । मेरा प्रयत्न यह रहता है कि अगर मुझसे गलती हो जाय तो मैं उस गलती को मानने के लिये तैयार रहूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस अनुपात से शहरों की आमदनी बढ़ी है उस अनुपात से गांवों की आमदनी नहीं बढ़ी है । यह बजट अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ाने वाला है । यह बजट शहर के लोगों में और गांवों के किसानों में, अमीर और गरीबों में भेदभाव को और भी गहरा और चौड़ा करने वाला है। तो फिर क्या यह संविधान के आदेश को पालन करता है, जिसकी ओर लक्ष्मीरमण जी नें अपना संकेत किया । सही बात तो यह है कि गांवों और शहरों के संबंध में सरकार की नीति बिलकुल दुरंगी है । सरकार की राय में शहरी पूंजीपति और नौकर-शाही उसके लाडले बेटे हैं । इसके बरअक्स गांवों के किसान, मजदूर, गरीब जनता उसके सौतेले बेटे हैं । मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जब से देश स्वाधीन हुआ है तब से बावजूद इसके कि मिलों द्वारा तैयार हुए माल के भाव बढ़े हैं, बावजूद इसके कि उनका मुनाफा बढ़ा है और बावजूद इसके कि उनकी आमदनी बढ़ी, उनका टैक्स कम किया गया है । उनको रियायत पर रियायत दी जा रही है और दूसरी तरफ गरीब जनता के साथ क्या किया जा रहा है ? उपभोक्ताओं में तमाम गरीब जनता आ जाती है । पूजीपतियों के साथ पक्षपात का यह बजट जब बनता है तो वह मध्यवर्गीय और गरीब लोगों के लिये अहितकर होता है और पूंजीपतियों के लिये फायदेमंद होता है । उनके टैक्सेज कम किये गये लेकिन उपभोक्ता जनता के साथ क्या किया गया ? उनके साथ यह किया गया कि उनके उपयोग की चीजों पर दस सालों के अंदर तिगुना टैक्स लगा दिया गया । डेढ़ अरब से बढ़ा कर साढ़े चार अरब कर दिया गया । यह क्या समता है, इसका उत्तर लक्ष्मीरमण जी मुझे देने की कृपा करें । उपभोक्ताओं में बेकार हैं, अर्ध-बेकार हैं, उनके पीछे उनके आश्रित हैं और आधी से ज्यादा जनसंख्या की आमदनी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आठ आने से ज्यादा नहीं है, कम है, उन लोगों के खाद्यान पर टैक्स लगा दिया गया है । महात्मा गांधी कहते थे कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है और मेरा ख्याल है कि लक्ष्मीरमण जी और त्रिपाठी जी शायद महात्मा गांधी को प्रतिक्रियावादी और विरोधी कहने का साहस नहीं करेंगे । महात्मा गांधी को मानने वाली यह सरकार गरीबों के खाद्यान्नों पर टैक्स लगाती है । मैं कहता हूं कि अगर नमक पर टैक्स लगाना पाप है तो इन खाद्यान्नों पर टैक्स लगाना महापाप है । यह नहीं लगना चाहिये था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का टैक्स लगाना संविधान के आदेशों को पूरा करना है ?

बजट में खासतौर पर दो प्रकार की नीतियों पर ध्यान देना होता है । पहली टैक्स की पालिसी और दूसरी एक्स्पेंडिचर (खर्च) की पालिसी । टैक्स की पालिसी का मैं थोड़ा सा जिक्र कर चुका और इतना और कह दूं कि जब पूंजीपतियों पर टैक्स कम किया गया है उस समय उपभोक्ताओं पर टैक्स बढ़ाया गया और इसके साथ ही गांव वालों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया । उनकी आबपाशी की दरों को बढ़ाया गया । बिजली की दरें इतनी हैं कि सरकार का ही कहना है कि उनकी वजह से किसान ट्यूबवेल से पानी नहीं ले पाता । तो यह क्या है ? क्या यह समता के अनुसार बजट बना है ? संविधान के आदेशों के अनुसार यह बजट नहीं है ।

अब खर्चे की नीति को देखिये । शहरों की आबादी १० फीसदी है और शहरों और कस्बों को मिलाकर २० फीसदी होती है , खींच खांच करे फिर भी २० फीसदी से कम ही रहेगी ।

आमदनी की ओर देखिये। अप्रत्यक्ष कर शहरों और गांवों दोनों पर एक सा लगता है। गांव की आबादी ८० फीसदी से ज्यादा हो है इसलिये जो इनडाइरेक्ट टैक्स लगता है उनको आमदनी किसानों से ही ज्यादा होती है। डाइरक्ट करों का यह हाल है कि इन्कम टक्स उन पर भी लगता है। सिर्फ एक टैक्स ऐसा है कि जिसको कसम खाने के लिये कहा जा सकता है कि वह सिर्फ शहरों पर लगता है और वह है मोटर का टैक्स। वह भी अगर गांव में किसी के पास हैं तो उन पर लगता है, लेकिन उसके जवाब में गांववालों पर लगता है वृहत् जोत कर।

श्री चरण सिंह—आपको पसंद नहीं है ?

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—मैं आप की नीति की बात कहता हूं और अभी तो दास्तान खत्म नहीं हुई। सुनते जाइये। मैं मान लूं कि डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्स बराबर हैं, लेकिन २१ करोड़ की आमदनी मालगुजारी से है और ३करोड़ की आमदनी आबपाशी से। यह २४, २५ करोड़ का डाइरेक्ट टैक्स अकेले गांव वालों पर ही पड़ता है जिससे शहर के लोग बरी हैं। २४–२५ करोड़ के करीब है, उनका हिस्सा ज्यादा है।

श्री चरण सिंह—मैं आपको इनफारमेंशन के लिये बता दूं कि आबपाशी ३ करोड़ से ज्यादा है।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—मैं अपने आंकड़ों को कम कर के ही यह साबित करना चाहता हूं। इसीलिय मैं यह कह रहा था कि खर्चा शहरों पर ज्यादा है और आमदनी गांवों से ज्यादा है, आबादी गांवों की ज्यादा है, चौगुनी इसलिये में चाहूंगा कि खर्चे की नीति को वित्त मंत्री जो सदन के सामने रखें। ८० फीसदी गांवों की आबादी है जिनसे ७५ फीसदी के करीब टैक्स वसूल होता है, लेकिन उन पर खर्चा, सिर्फ १०–२० फीसदी होता है और शहरों और कस्बों की आबादी यदि १०–२० प्रतिशत मान ली जाय तो कम आमदनी होते हुए भी उन पर ८०–९० प्रतिशत तक खर्च किया जाता है। क्या यह आप संविधान के आदर्श को पूरा कर रहे हैं ? यह मैं आपको बता रहा हूं कि आप विधान की अवहेलना कैसे कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति की यह भावना हर बात में प्रतिलक्षित होती है।

देखिए कि सरकार की नीति क्या है ? शहरों में औद्योगीकरण के नाम पर, प्राइवेट सेक्टर के नाम पर, पूंजीवाद को पनपाया जा रहा है और गांवों में सीलिंग करके, कोआपरेटिव फार्मिग की बात कह कर, समाजवाद को फैलाने का प्रयत्न किया जाता है। यह आपका बहुत अच्छा न्याय है। यही आपकी करनी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है ?

अब खर्च को बता दिया, टैक्स को बता दिया और समाजवाद को भी बता दिया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिन बातों से गांववालों के साथ बराबर अन्याय होता है। मैं केवल अन्याय पर ही नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं कि सरकार की तरफ से यह कहा जायगा कि सामुदायिक विकास योजनायें राष्ट्रीय विस्तार योजनायें और मेरा खयाल है चौधरी चरण सिंह जो चकबन्दी के बारे में कहेंगे कि इनके जरिये से किसानों का हित किया जा रहा है। इनके बारे में भी मैं कह देना चाहता हूं कि इससे सिर्फ बड़े किसानों का जो कि १० प्रतिशत ही हैं, केवल उनका ही भला होता है और जो ९० प्रतिशत छोटा किसान है उसको नुकसान ही पहुंचता है। इस प्रकार से आप शहरों में ही नहीं गांवों में भी पूंजीवाद का पोषण कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह—तो क्या आपका खयाल है कि किसानों से वृहत् जोत कर को हटा दिया जाय ?

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—मैं उस टैक्स की मुखालफत कहां कर रहा हूं ? मैं तो यह कह रहा था कि जिस प्रकार से मोटर बेहिकिल्स टैक्स शहरों में है, उसी प्रकार वृहत्

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जोतकर गांवों में है। इस प्रकार से टैक्सों में बराबरी की बात मैं कह रहा था। इससे मैंने किसी भी बिल का विरोध या समर्थन नहीं किया बल्कि जब यह बिल इस सदन में आया था तो मैंने उसका समर्थन ही किया था। इस समय मेरे कहने के ये माने कतई नहीं हैं कि मैं मोटर वेहिकिल्स टैक्स या वृहत् जोतकर को बुरा समझता हूं। इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता।

गांवों की जो ८० प्रतिशत की आबादी है, उससे इस कांग्रेसी राज्य में टैक्स ही ज्यादा नहीं लिया जाता बल्कि पूंजीशाही और नौकरशाही के द्वारा उसका शोषण होता है। नौकरशाही शासन में जोर जुल्म की, रिश्वतखोरी की बात होती है। एक्सपर्ट अधिकारियों की यह राय है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के २० वर्षों में और स्वाधीन होने के बाद कांग्रेसी राज्य के १० वर्षों में इनएफिशिएंसी, करप्शन और मालऐडमिनिस्ट्रेशन, यह इंटेंसिटी में घटा नहीं है बल्कि बुराई बढ़ी है। यह एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार है। उसमें भी मतभेद हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरी राय तो उससे बहुत आगे है कि यहां जनता की राय का कोई मूल्य नहीं है, एक्सपर्ट्स की राय ही बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसलिये मैंने एक्सपर्ट्स की राय को, आपकी आज्ञा से, सदन के उधर के सदस्यों के सामने पेश कर दिया है।

जहां तक पूंजीशाही का ताल्लुक है, आज भी गांवों का शोषण हो रहा है। जिस तरह से पहले अंग्रेज साम्राज्यशाही में देश का धन विदेशों को जाता था, उसी तरह से आज गांवों का शोषण शहरों द्वारा, पूंजीपतियों और मिलमालिकों द्वारा हो रहा है। उनका धन शहरों की ओर जा रहा है जिससे शहर तो आबाद हो रहे हैं, लेकिन गांव बरबाद हो रहे हैं। महात्मा गांधी का यह कहना था कि शहर वाले शोषक हैं और गांव वाले पोषक हैं। मैं फिर कहता हूं कि त्रिपाठी जी इसके लिये यह न कहेंगे कि यह पालीवाल का कहना है, महात्मा गांधी का यह कहना था कि शहर वालों ने गांवों का जो अब तक शोषण किया है और अब तक गांवों की जो उपेक्षा की गयी है, उसके लिये शहर वालों को चाहिये कि वे प्रायश्चित करें। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपनी इस नीति को बदले और प्रायश्चित करे। आप कह सकते हैं कि हमने जमींदारी का ऐबालिशन किया। मैंने भी उसका समर्थन किया था और उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन बोहरों से किसानों को बचाने के लिये आपने अब तक क्या किया है? (व्यवधान) मैं आपको बतला दूं कि मजदूरों में भी देशद्रोही होते हैं, दूसरे वर्गों में भी देशद्रोही होते हैं, किसानों में भी हो सकते हैं मैं उसका जबाब नहीं देना चाहता। दूसरे वर्ग में जो बड़े-बड़े बोहरे हैं वे ही समाजवादी, कांग्रेसी और कम्युनिस्टों में भी नेता बन जाया करते हैं। छोटी छोटी बातों में मत जाइये, व्यक्तिगत बातों में मत जाइयें वरना मैं बड़ा करारा जबाब दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शहर अब गांवों का शोषण करना छोड़ दें। सहकारी मंत्री जी ने इस सदन में यह कहा कि हमने गांव वालों को ८ प्रतिशत कर्जा दिया है बाकी ९२ प्रतिशत के लिये आपने क्या किया है, यह मैं जानना चाहूंगा? क्या आपने उनको बोहरों के ऊपर छोड़ दिया है कि वे उन गरीब किसानों का शोषण करें? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे जमींदारों से कम बुरे हैं, कम शोषण करते हैं? सरकार को चाहिये कि वह सस्ते और आसान तरीके से गांव वालों को कर्ज देने का इन्तजाम करे। मैं पूछता हूं कि पिछले १० वर्षों में क्या किसानों की हालत कुछ अच्छी हुई है? आप समाजवाद की बात करते हैं, चकबन्दी की बात करते हैं, लेकिन बोहरों के खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही करने में आपको डर लगता है, न अक्ल काम करती है, न कुछ और, लकवा सा मार जाता है।

एक बात और है कि कीमत के बारे में आप क्या करते हैं। दुनिया भर में यह सिद्धान्त मान्य है कि एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल, खेती की पैदावार और मिलों की पैदावार में पैरिटी होनी चाहिये, अनुपात होना चाहिये। इसकी बात को छोड़ दिया जाय तो भी प्राइस एस्टेबिलाईजिंग कमेटी की सिफारिश को देखें, एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की सिफारिश को देखें, कांग्रेस इकनामिक प्रोग्राम कमेटी की सिफारिश को देखें, फूड ग्रेन प्राइस कमेटी, १९४८ की

सिफारिश को देखें। इन चारों कमेटियों ने लगातार सिफारिशें की हैं कि किसानों के लिये सस्ते रेट पर ऋण देने का इन्तजाम किया जाय और उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमतें मुकर्रर की जायं। क्या आपने इस संबंध में कुछ किया ? यानी यह जो असमानता है उसको दूर करने के लिये आपने कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया ? आपने किसानों को तो इस तरह के गड्ढे में डाल दिया है कि फसल के वक्त तो पूंजीवादियों द्वारा उनकी पैदावार के भाव को सस्ता कर दिया जाता है, यही क्रान्तिकारिता है, इसकी परिभाषा मैं अब श्री लक्ष्मीरमण जी आचार्य से पूछूंगा। शायद उन की नई डिक्शनरी में क्रान्तिकारिता की कोई ऐसी परिभाषा हो। अगर है तो जनता आपको इसका जबाब और देगी। अभी तो जनता ने दिखा दिया कि एक तिहाई इधर का दल हो गया और अभी आपको और दिखायेगी। सत्ता के भुलावे में न रहिये, गलत नीतियों पर गर्व न कीजिये। यह मैंने इस सरकार की नीति बताई।

अब मैं आप की गन्ने के संबंध में जो नीति है उस के बारे में कहूंगा। यहां किसानों के गन्ने के दाम कम किये जाते हैं। १ रुपया ८ आना मन के दाम थे जब कोई सड़क खराब हो गई तो ३ आना काट दिये, उनके दाम कम किये जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिल मालिकों के साथ क्या किया जाता है ? उनकी शकर के दाम दुनिया के दिखाने के लिये २७ रुपया कायम किये जाते हैं, लेकिन वह उसको बेचते हैं ३७ रुपए मन पर।

एक सदस्य---वे एलेक्शन में पैसा भी तो देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आपने मिल मालिकों का हमेशा पक्ष लिया है। मैं जानता हूं कि अगर मिल मालिक किसानों का रुपया रोकते हैं तो लोक दिखावे के लिये आप ने तय कर दिया कि साढ़े ७ प्रतिशत का ब्याज उस रुपये पर किसानों को मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों को किस प्रकार से और कहां साढ़े ७ प्रतिशत पर रुपया मिल जाता है ? क्या यह मिल मालिकों के साथ पक्षपात नहीं है ? क्या यही आपकी क्रान्तिकारिता और समानता है ? यह सब बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार अब तक जिस नीति का पालन करती चली आ रही है या जो आगे करने जा रही है उसका एक परिणाम होने वाला है कि सरकार छोटे किसानों की स्माल होल्डिग्ज को और किसनई के खेती के धन्धे को बरबाद करना चाहती है। इसके बारे में मैं एक बात और कहूंगा कि योजना आयोग ने एक बेसिक होल्डिग की बात कही थी यानी आधारभूत जोत हो। उसने यह कहा था कि यहां पर १० से १५ एकड़ की जोत बेसिक होल्डिग मानी जायगी, लेकिन हमारे यहां तो ६ प्रतिशत से दस प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास बेसिक होल्डिग हैं और बाकी ९० से ९४ प्रतिशत ऐसे किसान हैं कि जिनके पास बेसिक होल्डिग्ज नहीं है। तो क्या जो नब्बे फीसदी किसान हैं उनकी खेती छीनी जायगी ? क्या होगा ? किसानों का ही क्या, आज जिसको मजदूर कहा जाता है उनकी भी क्या हालत है ? सन्त विनोबा कहते हैं कि बढ़ई लोहार और करघे का काम करने वालों के धन्धे नष्ट हो रहे हैं और मैं जानता हूं कि इन धन्धों में काम करने वाले आदमी आपको अवश्य आशीर्वाद देते होंगे।

मैं अन्त में यह कहूंगा कि सरकार अपनी इस नीति को बदले में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस नीति को छोड़कर सर्वोदय और विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाये। अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार से शहरों के द्वारा गावों का शोषण होने दिया या गरीबों का अमीरों के द्वारा शोषण होने दिया तो गांव और शहरों के बीच, अमीर और गरीब के बीच, शोषक और शोषित के बीच एक महान संघर्ष होगा और वह महाक्रान्ति बड़ी प्रलयंकारी और भयानक होगी। एक ओर शहर और देहात के बड़े अमीर शोषणकर्ता होंगे और दूसरी ओर किसान मजदूर, गरीब गांव के लोग होंगे उस भयानक बवंडर में सर्वनाश न हो, इसलिये मैं आपसे प्राथना करुंगा कि देश के हित में आप अपनी इस गलत नीति को छोड़कर, राज हठ को छोड़कर सही रास्ते पर आयें और

[श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल]

विकेन्द्रीकरण और ग्रामोद्योग की क्रान्ति की ओर कदम बढ़ायें। मेरा कहना सरकार से यही है कि गरीबों को, किसानों को, गांव वालों को कोई मिटा नहीं सकता। संसार का इतिहास पुकार-पुकार कर कहता है कि जिस-जिस ने इनको मिटाने की कोशिश की वह नाकामयाब रहे और खुद मिट गये। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि किसानों के या जनता के असंतोष के ज्वालामुखी को फटने न दीजिये। अगर वह फट गया तो ईश्वर ही आप का रक्षक है।

श्री वीरेन्द्र शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १९५८-५९ के बजट को एक क्रान्तिकारी बजट मानने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं। मुझे गत् वर्ष एक उत्साहवर्धक बजट कहने में खुशी हुई थी क्योंकि कई एक कदम ऐसे रचनात्मक उठाये गय थे जैसे गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह में पांच रुपये प्रतिमास की वृद्धि की गयी थी और साथ ही छठी कक्षा में फीस को माफी दी गयी थी। वृद्धावस्था में पेंशनों की भी व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस वर्ष के बजट नें इन तीनों बातों में से एक भी बात देखने को नजर नहीं पड़ती। पिछली दफा यह आशा बंधी थी कि किसी योजना के मातहत गरीब और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में वृद्धि की जायगी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होने पर पांच रुपये प्रतिमास की वृद्धि गरीब कर्मचारियों के वेतन में की गयी तो मैंने यह आशा की थी और सुझाव भी दिया था कि एक योजना के अनुसार अगर हम चलें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह प्रयत्न किया जाय कि हमारे प्रदेश का कोई भी कर्मचारी ऐसा न हो जिसकी तनख्वाह ६० रुपये प्रतिमास से कम हो। उसके साथ ही साथ यह भी एक सुझाव रखा गया था कि जो उच्च तनख्वाह प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में किसी प्रकार कमी की जाय। जब गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि न हुई और ऊंची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में किसी प्रकार की कमी न की गयी और जो बड़ी और ऊंची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, वे वहीं बने रहे तो किस प्रकार हम समाजवादी ढांचे को ला सकते हैं?

इसके साथ ही साथ एक प्रश्न बिजली का हमारे सामने आता है। प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि करने के लिये काफी रुपया सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इर्रीगेशन पोटेंशल को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं किया जाता। क्यों नहीं वह पूर्ण रूप से उपलब्ध हुआ, इसमें किसका दोष है? जब हमारे देश में पैदावार की इतनी कमी है कि हमें मजबूर हो कर अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है और जहां लाखों करोड़ों रुपये सिंचाई की व्यवस्था के ऊपर लगें तो फिर क्या वजह है कि हम उन सिंचाई के कुओं पर जल्दी बिजली न पहुंचा सकें? जो हमारे प्रदेश में बिजली की पैदावार हो रही है उसके रेट्स इतने ऊंचे क्यों रखे जायं जिसको प्राप्त करने में किसान कठिनाई महसूस करे? एक ओर हम बड़े-बड़े मिल मालिकान को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को रुपया देते हैं और सस्ते रेट पर बिजली इस कार्य के लिये देते हैं कि प्रदेश का औद्योगीकरण वह कर सकें, लेकिन दूसरी ओर सिंचाई के रेट्स में हम इतनी भी कमी न कर सकें जिससे कि किसान सिंचाई की उन योजनाओं से लाभ अपने और अपने प्रदेश के खाद्यान्न की कमी को पूरा कर सके और वह जिन्दा भी रह सके। उठाकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, न जाने कितने ट्यूबवेल प्रदेश में ऐसे आज भी पड़े हैं जिनमें कि बिजली न पहुंचने के कारण उनसे आज किसान की सिंचाई नहीं हो पा रही है। न जाने कितनी बार इस सदन में और इस सदन के बाहर भी प्रार्थना की गई कि सिंचाई और बिजली विभाग का एकीकरण कर दिया जाय और एक माननीय मंत्री के अधिकार में दिया जाय। मालूम नहीं, हमारा सुझाव व्यर्थ था अथवा जो मौजूदा तरीका है वह उसके मुकाबिले में ज्यादा सार्थक और ज्यादा वजन रखने वाला था।

गन्ना किसान की बात कहते हुए मुझे दुख होता है। पिछले तीन या चार साल से मई के मास में रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत कम की जाती है। गन्ना किसानों के

प्रतिनिधि प्रदेश के और देश के गन्ना फेडरेशंस की तरफ से प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकारों के सामने हर साल यह मांग रखते हैं कि जिस समय ऐग्रीमेंट गन्ना किसान के साथ हो जाता है तो उस गन्ना किसान के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि जितना उसका गन्ना मिल मालिकान के साथ बांड किया गया, उतना सब गन्ना उसी कीमत पर लिया जाना चाहिय जितनी कीमत सरकार ने न्यूनतम मुकर्रर की है। मई का मास प्रारम्भ हुआ। मिल मालिकान ने प्रयत्न शुरू किये। केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री उनकी सहायता के लिये पहुंचे। केन्द्रीय किसानों ने सर्वसम्मति से शोर मचाया और मांग की कि अगर प्रारम्भ से लेकर आखिर सीजन तक गन्ने की औसतन रिकवरी ९.६ जिसके ऊपर कि चीनी की और गन्ने की कीमत निर्धारित है, उससे कम नहीं होती और तमाम सीजन में रिकवरी ९.६ से अधिक रहती है, तो क्या वजह है कि बेचारा गरीब किसान मांग करने के बावजूद भी उस न्यूनतम मूल्य से भी कम लेने के लिये मजबूर किया जाय। मुझे मालूम नहीं कि कौन वजूहात ऐसी हैं जिनकी बिना पर किसान की यह न्यायोचित मांग अभी तक स्वीकार नहीं हो पायी है। मैं समझने में असमर्थ हूं, आज तक हमारे प्रदेश के जितने भी कृषि के फार्म हैं जिनका सरकार की ओर से संचालन किया जाता है उसमें कुछ तो तजुर्बे के आधार पर होते हैं और कुछ कमर्शियल बेसिस पर चलते हैं। जो कमर्शियल बेसिस पर हमारे फार्म चलते हैं वह भी इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं जितना कि उत्पादन कम खर्च पर उन्हें करना चाहिये। खर्चा अधिक और उत्पादन कम, इससे हम कौन सी मिसाल प्रदश के किसानों के सामने रख सकेंगे? कौन सा रास्ता इंटेंसिव कल्टीवेशन का हम किसानों के सामने रखने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमारे कृषि फार्मों के व्यय में आज काफी कमी करने की आवश्यकता है और उसकी पैदावार में भारी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। इस बजट में मुझे नजर नहीं पड़ा कि फेमिली प्लानिंग की ओर कितना ध्यान दिया गया है। पैदावार में वृद्धि चाहे सूखे के कारण चाहे अतिवृष्टि के कारण न हुई हो चाहे ट्यूबवेल से बिजली उपलब्ध न होने के कारण सिंचाई से पूरा फायदा किसान न उठा सके हों, लेकिन यह बात भी सत्य है कि हमारी आबादी में वृद्धि अवश्य हुई है। उस ओर फेमिली प्लानिंग की दृष्टि से खास तौर से गांवों मे कितना कदम आगे बढ़ा है, मैं समझने में असमर्थ हूं। अतः मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि फेमिली प्लानिंग की ओर हमें खास तौर से अपना कदम बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे हम देश की आबादी पर कण्ट्रोल कर सकें और जब हम प्रदेश की पैदावार बढ़ा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि कर सकेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने १९५८-५९ का बजट है। इसके सम्बन्ध में विरोधी दल के लोगों ने, खास करके विरोधी दल के नेता ने, अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमारे दल के, जनसंघ के नेता ने जो विचार व्यक्त किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस बजट के सम्बन्ध में, जैसा कि उधर के बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बजट जो होता है वह आईना होता है कि हम इस वर्ष क्या करने जा रहे हैं वह सारी चाजें होती हैं। इस चीज को जब हमने पहले सुना तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। ३ दिन की बहस के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा उससे हमको यह ज्ञात हुआ कि दरअसल बजट आइना होता है। इस तरह से ज्ञात हुआ कि उस तरफ बैठने वाले भी हमारे बहुत से भाइयों ने जैसा कि बजट अपने असली रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसकी आलोचना ही की। आलोचना इसलिये की कि बजट में कोई भी तथ्य नहीं है। हमारे सामने जैसा कि अभी श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी ने कहा कि गांव की आबादी ८० फीसदी होती है, लेकिन इस बजट में गांव के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मपालसिंह]

मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि १० साल पहले जो काश्तकार लगान देता था उससे आज उस काश्तकार को लगान ज्यादा देना पड़ता है। कांग्रेसी सरकार ने जब जमींदारियों को खत्म किया तो यह कहा कि हम जमींदारी के साथ लगान भी कम करेंगे, लेकिन आज किसी भी काश्तकार का लगान जो १० साल पहले वह देता था उससे कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही गया है। इसके अतिरिक्त...

श्री चरणसिंह---कहां की बातें हो रही हैं ?

श्री धर्मपालसिंह---यू० पी० की।

श्री चरणसिंह---झूठ बताने से सच्चाई छिप जायगी क्या ?

श्री धर्मपालसिंह---मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में ४ रु० ६ आ० ८ पा० पर एकड़ लगान लिया जाता है, पंजाब में १ रु० १ आ० ६ पा०, आसाम में २ रु० ६ आ० ८ पा०, बंगाल में १ रु० ३ पैसा, मध्यभारत में २ रु० ९ आ० ९ पा०, मध्यप्रदेश में १ रु० ५ आ० ३ पा०, ट्रावंकोर कोचीन में २ रु० ४ आ० ४ पा० है और बिहार में १ रु० २ पैसा फी एकड़ है। तो अब आप देखिये कि बिहार, जो हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है वहां प्रति एकड़ १ रु० २ पैसा लगान लिया जाता है और हमारे यहां ४ रु० ६ आ० ८ पाई लगान लिया जाता है। यह अंतर क्यों है ? आज किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। लगान ही नहीं बल्कि तरह-तरह के टैक्स गांव समाज द्वारा लगाये जाते हैं। आज उसको मकान बनाने के लिये खपड़ा तक नहीं मिल पाता है। जहां खपड़ा मिलता था और गोचर भूमि थी वह सब अब खेती में परिणत हो गई है। उसको छप्पर छाने के लिये फूस तक नहीं मिलता है। खपड़ा वह लेना चाहता है तो वे उससे टैक्स लिया जाता है, ईंट पर उससे टैक्स लिया जाता है, यहां तक कि अगर वह गड्ढे से मिट्टी लेता है तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है।

मैं आज सहकारिता मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों को जो गल्ला सरकारी बीज गोदामों से दिया जाता है तो उनसे उसका सवाया क्यों वसूल किया जाता है ? सैंकड़े पर २५, भला बताइये कितना अन्धेर है। कहीं भी इतना ज्यादा व्याज किसी से नहीं लिया जाता है, लेकिन किसानों से सैंकड़े पर २५ गल्ला वसूल किया जाता है। इसके अलावा गल्ला भी उसको खराब दिया जाता है। उसके उदाहरण में मैं कहना चाहता हूं कि बस्ती और गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो एक ही में लगे हुये हैं, बस्ती में जो गल्ला सीड स्टोर का खरीदा उसको १९ रुपये १० आने मन दिया गया और हमारे गोंडा में जो प्लानिंग की १० तारीख को मीटिंग थी जिसमें प्लानिंग आफिसर ने बताया कि वह ३० हजार मन गल्ला खरीदना चाहते हैं और कुल ३ हजार मन खरीद पाये हैं। मेरे भाव पूछने पर उन्होंने बताया कि १३ रुपये मन के हिसाब से खरीद रहे हैं। अब जो वह गल्ला ३० हजार मन खरीदेंगे तो सड़ा गला ही मिलेगा और उससे काश्तकार कोई फायदा उठा नहीं पायेंगे बल्कि उल्टे उनकी हानि ही होगी।

आज मैं गोंडा में जो दो तीन बांध हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। जहां तक मेरा खयाल है इसको विरोधी दल की तरफ से भी छोड़ दिया जाता है और कांग्रेसी पक्ष की तरफ से भी गोंडे का नाम लेना पाप समझा जाता है। तीन बांध सरकार द्वारा बनाये गये हैं जिनमें रबी की फसल के लिये पानी नहीं रहता है। अगर बरसात अच्छी हो गई तो खरीफ के लिये पानी रहता है और रबी के लिये नहीं रहता है। अगर वर्षा कम हुई तो खरीफ की फसल के लिये भी पानी नहीं मिल पाता है।

हम लोगों ने कहा कि ट्यूब वैल का बोरिंग कराया जाय तो हमें बताया गया कि यहां सक्सेसफुल नहीं होते हैं। पचपेड़वा में सफल हुआ है और तुलसीपुर में केन डेवलपमेंट की

तरफ से बोरिंग किया गया है, वह भी सफल हुआ है। और इसी तरह से एक और जगह भी सफल हुआ है। इसलिये सरकार इधर ध्यान दे और बजाय बड़े बड़े बांध बनाने के जिसमें लाखों रुपया बरबाद कर देते हैं, किसानों को पानी भी नहीं मिल पाता है और रबी की फसल को भी पानी नहीं मिलता है, ट्यूबवेल्स का बोरिंग कराया जाय और उससे पानी दिया जाय तो मेरे खयाल से वहां के किसानों का अधिक लाभ हो सकता है।

गल्ला, जैसा कि मैंने बताया, वहां १३ रुपये मन का रेट है और बस्ती में १९ रुपये १० आने मन का रेट है। इस तरह से सस्ते दामों पर खराब गल्ला खरीद कर किसानों को देने की प्रवृत्ति को रोका जाय।

मैं सहकारिता मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो गल्ला सीड स्टोर से दिया जाता है वह बिला तौले दिया जाता है और कोई बोरा ऐसा नहीं होता है जिसमें ७-८ सेर कम न निकलता हो। जब किसान वहां जा कर कहता है तो वह फटकार पाता है। इसके विपरीत जब सवाई के रूप में वह गल्ला वसूल किया जाता है तो पहले वह खूब साफ कराया जाता है और उसके बाद कांटा करके लिया जाता है। इस तरह से किसान को परेशान किया जाता है। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीड स्टोर से तौल कर गल्ला दिया जाय और तौल कर लिया जाय। मैंने यह भी देखा है कि वहां के सुपरवाइजर निजी खरीद कर के गल्ला रख लेते हैं। जब किसान गल्ला लाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारा गल्ला खराब है, यह नहीं लिया जा सकता, तुम नकद रुपया दे दो और जब वह कहता है कि हम नकद दाम नहीं दे पायेंगे तो कहते हैं कि गल्ला हमारे पास है, इसे खरीद कर दो और १५ रुपये मन पर खरीदा हुआ गल्ला १८ रुपये मन उसको दे कर के सरकारी तौल से तुलवा कर लिया जाता है।

तो आज जैसा कहा जा रहा है कि किसानों की हालत अच्छी होती जा रही है, मेरा ऐसा खयाल है कि उनकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने ठीक ही कहा था कि किसी बजट को देखते समय हमें तीन चीजों को देखना होगा, उद्देश्य, नीति और संचालन। मैं भी इस बजट को इसी रूप में देखने का प्रत्यन करूंगा और इसी प्रकार मैंने इसको पढ़ा है।

जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, उसमें उन्होंने भी कहा कि कोई खराबी नहीं है और न मुझे ही उस सम्बन्ध में कुछ कहना है। वह उद्देश्य हमारे संविधान में निहित हैं और उन्हीं के अनुसार हमें चलना है।

जहां तक नीतियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में चल रहे हैं और उसके बनाने में हमारी उन सब नीतियों को सामने रखा गया है जिनके ऊपर चल कर हमें इस उद्देश्य को पूरा करना है। मैं तो केवल एक ही प्रकार से इस बजट को देखूंगा और संचालन के विषय में बाद में बात करूंगा। यदि यह बजट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक होता है तो यह बजट और माननीय वित्त मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। अगर यह बजट उस ओर हमें ले जाता है तो मैं यही कहूंगा कि यह हमें आगे ले जाने वाला बजट है।

इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में सब से पहला लक्ष्य है बेरोजगारी को दूर करना। यहां माननीय सदस्यों ने कहा भी कि इस बजट में कहीं बेरोजगारी का जिक्र भी नहीं है, वास्तव में वित्त मंत्री जी के व्याख्यान में कहीं बेरोजगारी का जिक्र नहीं आया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने का एक ही तरीका है और वह यह कि उद्योगों को बढ़ाया जाय और उद्योगों में भी खासतौर से छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाय। पिछले बजट से आगे बढ़कर इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। १८ करोड़ ५४ लाख रुपये में से १३ करोड़ ७७ लाख रुपया लघु और मध्यम उद्योगों

[श्री जगदीशप्रसाद]

के लिये रखा गया है। लघु और मध्यम उद्योगों के लिये हमारे प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस बजट में यह देखते हैं कि प्राविधिक शिक्षा की ओर सरकार ने काफी कदम उठाया है। इस बजट में प्राविधिक एजुकेशन बोर्ड कायम करने की व्यवस्था की गई है जिसकी आवश्यकता इस प्रान्त में बहुत समय से महसूस की जा रही थी। इस बजट में प्राविधिक शिक्षा के लिये कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में डिगरी कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। पहले डिप्लोमा कोर्स की वहां पर व्यवस्था थी। कई संस्थाओं में जो पोलीटेक्निक स्तर के थे उनको जूनियर स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। इस प्रकार से प्राविधिक शिक्षा की प्रगति के लिये काफी समाधान किया गया है।

एक खास जरूरत छोटी इण्डस्ट्री के लिये थी। उसके लिये एक स्माल स्केल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन की व्यवस्था कर दी गई है। यद्यपि उसके लिये जो रुपया रखा गया है वह कम होगा। १२ लाख ५० हजार से शुरु किया गया है, लेकिन फिर भी यह शुरुआत तो है और फिर धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज इस बजट में आप देखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनाज की वृद्धि की योजना रक्खी गई है जिसकी देश को अत्यन्त आवश्यकता थी। यद्यपि अनाज की वृद्धि की योजना पहली योजना में विशेषरूप से रखी गई थी किन्तु इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश के लिये १ करोड़ टन अनाज की वृद्धि की व्यवस्था की गई है जिसमें २४ लाख टन हमारे प्रदेश के हिस्से में आया है तो उस तरफ ५ लाख टन की वृद्धि हमारे यहां पिछले एक वर्ष में हुई है जिससे आशा की जा सकती है कि हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे। यह भी हमारी सफलता है तो फिर हम कैसे मान लें कि हमारा कदम आगे नहीं बढ़ रहा है? यदि इस बजट को वैज्ञानिक ढंग से देखा जाय तो आप को यह मालूम होगा कि इसमें इन सब बातों का सन्निवेश है। जिन पूर्वी जिलों में बाढ़ के कारण पैदावार अच्छी नहीं होती है तो वहां पर कौन सी फसल पैदा हो सकती है इस बात का अन्वेषण किया जा रहा है। इन सब बातों का ध्यान करके ही इस बजट के अन्दर इस आइटम को रखा गया है। इस प्रकार से मैं यह समझता हूं कि यह बजट हमको उन लक्ष्यों की पूर्ति की तरफ बढ़ाता है।

जहां तक संचालन का प्रश्न है इसके ऊपर यहां पर बहुत बहस हुई। संचालन में त्रुटि है और खराबियां हैं, मैं भी इसको मानता हूं। परन्तु जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने इसकी तरफ इशारा भी किया, मैं आप से पूछता हूं कि क्या वे खराबियां ऐसी हैं कि यदि उस स्थान पर बाबू सम्पूर्णानन्द जी न हों और माननीय त्रिलोकीसिंह जी बैठ जायं तो वे खराबियां दूर हो जायंगी? क्या वे खराबियां ऐसी हैं कि यदि एक दल का शासन न रहे और दूसरा दल आकर वहां बैठ जाय तो वे खराबियां नहीं रहेंगी? हम यह महसूस करते हैं कि इन सर्विसेज की मनोवृति में कुछ परिवर्तन करना है। हम यह नहीं कहते कि सब लोग ईमानदार हैं लेकिन यह भी हम नहीं कह सकते हैं कि सब बेइमान हैं। हम इस बात को कहते हैं कि उनमें काफी ईमानदार तथा कार्यकुशल आदमी हैं, लेकिन जिस प्रकार से भी हो हमें इन सर्विसेज से ही काम लेना होगा। इन दिक्कतों को दूर करने के लिये मैं तो एक तरीका समझता हूं और वह यह है कि जैसे-जैसे हम एफिशियेन्सी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो उसी तरह से हम इन दिक्कतों से आगे निकलते चले जायंगे। इस संचालन के विषय में यहां पर एक खास जिक्र चीन का आया और कहा गया कि यहां पर चीन की नीति को नहीं अपनाया गया है। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने इसके मुताल्लिक जवाब दिया कि हमने उस नीति को यहां के लिये नहीं अपनाया है, उस पर माननीय सदस्यों ने आवाज दी कि जनता के हित के लिये उसको अपनाइये। सम्भव है कि चीन की नीति अपनाने से हमारी प्रगति कुछ तेज होती या आगे बढ़ने में हमारी गति कुछ ज्यादा होती मगर एक बात को मानना होगा कि यदि चीन की नीति को अपनाया जाता तो

यह ४१ के १४४ नहीं हो सकते थे इन सामने की बेंचेज पर जो कि उस तरफ हमें आज दिखाई देते हैं, वहां तक इसी (कांग्रेस) दल के सदस्य होते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जनता के हित में तो है ही, विरोधी दल के हित में भी है कि इसी नीति को अपनाया जाय जो अब तक चल रही है। इस संचालन के विषय में जनतन्त्र में प्रगति करने का यही तरीका है कि एफिशियेन्सी को बढ़ाते चले जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत विवाद का प्रश्न यह रहा है कि अनाज के उत्पादन का औसत हम अपने देश में नहीं बढ़ा पाये। उसको बढ़ाने की अपेक्षा वह घटा यह यहां पर कहा गया। अब जहां तक मैंने आंकड़े देखे उसके अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह पब्लिकेशन है जिसमें एग्रीकलचरल स्टेटिस्टिक्स दिये हुये हैं। वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि ५१-५२ में जहां ७ मन प्रति एकड़ उपज थी वहां ५५-५६ में ७·२२ मन उपज हो गई है। सब वर्षों के आंकड़े मैंने नहीं निकाले जो मेरे पास हैं उनको आप देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे दो, तीन मिनट और दे दिये जायं। मैं एक बात के लिये माननीय मुख्य मन्त्री को अवश्य धन्यवाद दूंगा और वह है गाड़ियों का विड्ड्राल। हम लोग कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस के लिये कदम उठा कर जो गाड़ियां वापस की हैं उस के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दो तीन सुझाव और सरकार को देना चाहता हूं, यदि आप समय दें तो कह दूं।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट को देखने के लिये मैं समझता हूं कि तमाम तथ्यों को देखने से ज्यादा अच्छा तथ्य यह है कि वह स्वयं जैसा अपने में है उसको ही हम अपने सामने रखें। तीन चार दिन से आज बहस चल रही है और जैसा कि प्रारम्भ में इस सदन के विरोधी दल के आदरणीय नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था और उन्होंने एक विशेष आपत्ति उठायी थी यह कह कर कि इस बजट के संबंध में हम समुचित विचार नहीं कर सकते, इस कारण कि इससे संबंधित जो साहित्य हम को दिया गया है उसमें दो प्रकार के आंकड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि इस आपत्ति को देखते हुए या तो स्पष्ट शब्दों में निराकरण किया जायगा शासक दल की ओर से अथवा उसे स्वीकार किया जायगा। किन्तु इसके विपरीत जिन आदरणीय सदस्यों ने सरकार की ओर से भाषण किये उन में उन्होंने प्रायः यही कहा कि हमको आंकड़ों में नहीं जाना चाहिये। मैं विशेषकर गोविन्द सहाय जी का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि हम आंकड़ों में जाते हैं तो हम एक जंगल में पड़ जायंगे, विपन्न स्थिति में पड़ जायेंगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं कि अगर बजट में से आंकड़ों को निकाल दें तो शेष क्या बच रहता है। आंकड़े ही उसका आधार हैं, बुनियाद हैं, दीवारें हैं, सब कुछ हैं और इसलिये उनकी शुद्धता आवश्यक है बजट के लिये। अगर ऐसा न हो तो कोई बजट मेरे विचार में विचारणीय नहीं हो सकता। किन्तु मैं निवेदन करूंगा कि यह बजट प्रस्तुत करते समय हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक बहुत विद्वता का परिचय दिया है। उनका भाषण भी छोटा है और इसलिये मैं अपने विचार संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

श्रीमन्, जैसे कि हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, विरोधी पक्ष के सदस्यों के, हम एक ही कार्य कर सकते हैं बजट के अवसर पर भी और अधिकांश और औसरों पर भी कि हम सरकार की सामान्य नीतियों में जहां कहीं दोष हो, उसकी नीति जहां कहीं भ्रामक हो, उनकी कार्य-प्रणाली, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन जहां पर समुचित न हो वहां हम सरकार का ध्यान दिलायें और बजट के समय यह प्रक्रिया कटौती के रूप में इस सदन में होती आयी है, इस प्रकार की परंपरा रही है। हमें कहीं भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार वैद्य]

हम उन राशियों को जो स्वीकृति के लिये रखी जाती हैं उनको बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकें। तो जो बारबार कहा जाता है कि विरोधी दल समालोचना करता है तो उसे सुन कर मुझे आश्चर्य होता है। विरोधी पक्ष के पास दूसरा और क्या आधार अथवा रास्ता है? वह तो एक ही बात कर सकता है कि आप को स्वस्थ्य सुझाव दे, आपको आपकी भूलें बतायें और यह निवेदन करे कि यह जनता के हित में है, इसे कीजिये और जो आप भ्रमवश, प्रमादवश अथवा नीतियों की त्रुटि के कारण कर रहे हैं उससे बाज आइये। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हम से कहा जाता है कि बजट को एक नियोजन के अधीन प्रस्तुत किया गया है यानी यह कि यह बजट एक श्रृंखला की कड़ी है जो कई सालों से हमारे प्रान्त में चल रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और द्वितीय योजना का भी दूसरा वर्ष चल रहा है। तो हमें तो यह अधिकार है ही कि हम यह देखें कि उस महान् लक्ष्य की ओर चलने में, जिस ओर हम पंचवर्षीय योजना की पूर्ति करते हुए चलना चाहते हैं और जिसके लिये हमारा शासक दल बराबर हमारा आवाहन करता रहा है, उसमें कहां-कहां पर भूलें और त्रुटियां हैं। तो इस उद्देश्य से, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मौजूदा बजट हमारे सामने आया है वित्तीय वर्ष १९५८-५९ का उसमें हमें सब से अधिक धनराशि मिली सर्विसेज को दी जाने वाली। इसके अतिरिक्त हमें और भी बहुत सी बातें मिलीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में उस भावना, नीति या शैली का दिग्दर्शन नहीं हुआ जिससे हमारा प्रदेश आर्थिक रीति से अग्रसर हो।

कुछ छोटे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने व स्कूली छात्रों को सुविधा देने की बात कह कर सरकार ने समाजवाद का परिचय देने की कोशिश की है। लेकिन मैं आशा करता था कि छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारियों को कुछ समुचित राहत दी जावेगी और सिंचाई के टैक्स में किसानों को राहत मिलेगी। हमारी बिजली की दरों के बारे में एक बड़ा असामान्य विवाद खड़ा है और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने आंकड़ों से सिद्ध किया कि हमारे प्रान्त में बिजली की दरें अधिक ऊंची हैं और उनमें इस बजट में कोई कमी नहीं है। मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाया गया है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे पहला लक्ष्य खाद्यान्न की उत्पत्ति बढ़ाना है। सरकार ने बार बार इसकी घोषणा भी की है। मैं कृषि मन्त्री और वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में हमें दूसरी वस्तुओं की मूल्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जैसे सब्जियां और फल हैं, जिनका मूल्य कम नहीं है। हमारा प्रान्त आलू का बहुत बड़ा पैदा करने वाला है। उसमें बहुत बड़ी बीमारी हुई, मगर हमारे कृषि विकास के कर्मचारी शान्त बैठे रहे और किसानों को नहीं बताया कि यह कैसे दूर हो सकती है। इस तरह से लाखों बल्कि करोड़ों रुपये का आलू तबाह हो गया।

कुटीर उद्योगों के लिये सरकार कहती है कि वह उसकी क्षमता बढाना चाहती है और ग्रामों के लाखों लोग जिसमें काम करते हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार उन कुटीर उद्योगों के उत्पादन की बिक्री के बारे में क्या कर रही है, इसका इस बजट में कुछ जिक्र नहीं है। पिछले १० वर्षों में बहुत सा धन व्यय करने के बाद जो कुटीर उद्योग बढ़े हैं उनके उत्पादन के विक्रय का क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है? मेरे अपने ही जिले में कपड़े की छपाई और बुनाई का बड़ा सुन्दर उद्योग कई सौ वर्षों से है। उसमें लाखों रुपया १९५३-५४ में कमाया भी क्योंकि विदेशों में वह कपड़ा गया। हमारी सरकार कुटीर उद्योगों की चर्चा तो करती है, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं देती है जैसा भाई जगदीश प्रसाद जी ने कहा, सरकार के उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं, किन्तु उनके कार्यान्वित करने की कोई निश्चित नीति नहीं है। अनिश्चित रूप में राशियां यहां से बहुमत के आधार पर स्वीकार

करा ली जाती हैं। अतः मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता और जो विचार माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह जी ने, पालीवाल जी ने तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं कि उन्होंने सन् १९५८-५९ का बजट प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने हमारे प्रदेश के उत्थान के लिये सभी विभागों में व्यय करने के लिये रुपया बजट में रखा है। जब बहुमत दल के मनुष्य जनहित का कार्य करते हैं तो विरोधी पक्षवाले भाई उस में कुछ न कुछ कमी निकाला ही करते हैं और वैसे भी कोई न कोई कमी रह जाती है। हमारी सरकार में हम लोगों के परखे हुए नेता हैं जिनके पीछे लगकर हमने आजादी हासिल की है, हमें उन पर भ्रम नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, हमारी सरकार ने हमारे लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया है परन्तु जैसा हम चाहती थीं वैसा नहीं हो पाया है। हमारे देश में ऊंची श्रेणी की महिलायें कहलाने-वाली इतना अछूत समझती हैं कि जानवर से भी अधिक, परन्तु हमारी सरकार ने हमारे लिये बहुत कुछ किया है। हम इसके लिये सरकार के कृतज्ञ हैं। जो महिलायें राज्य संस्थाओं के काम करती हैं यदि वे सच्चे हृदय से हम में काम करतीं तो आज हरिजन महिलाओं की यह दशा न होती। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करती हूं कि अधिक कन्या पाठशालायें खोलकर वहां भिन्न-भिन्न प्रकार की शिल्पकलाओं की ट्रेनिंग दें। हरिजन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमन्, आपके द्वारा अन्त में मैं वित्त मन्त्री जी को हृदय से बधाई देती हूं कि इस बजट के बनाने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह बात सही है कि बजट से किसी सरकार के संबंध में अनुमान लगाया जाय तो ऐसा कहना उचित होगा कि यह सरकार कुछ चीजों को बढ़ाने वाली है और उनमें खास तौर से तीन चार चीजों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। गरीबी व अमीरी, उत्पादन व दुर्भिक्ष और विषमता। (व्यवधान) थोड़ा धैर्य रखकर मेरी बात सुनें और फिर निश्चय करें कि सरकार के बारे में मेरा कहना सही है या गलत। मेरी गुस्ताखी माफ हो, उधर बैठने वालों में से कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जिनको मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा मैं समझता हूं कि वे मुझसे कम समझदार नहीं हैं, कम देशभक्त नहीं हैं और कम गरीबों के हित चाहने वाले नहीं हैं, लेकिन जांच करनी पड़ती है काम से। जैसा कि कहा गया है कि यह बजट, किसी सरकार की सूरत देखने के लिए दर्पण है। जब उस दर्पण के हिसाब से मैं इस बजट को देखता हूं तब मैं जिस नतीजे पर पहुंचता हूं वह मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सितम्बर, १९५७ की रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ कर सुनाऊंगा। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं उसका ठीक अर्थ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह अंग्रेजी में है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लें तब शायद ज्यादा आसानी से वह बात आपके पास पहुंच जायगी। यह मैं उस रिपोर्ट के ८४० वें पन्ने से पढ़ रहा हूं। जो मंत्री महोदय, इस समय यहां बैठे हुए हैं, बाद को मैं उनके पास भेज दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि :--

"Profits were higher than in any other year of the First Plan period including the Korean boom year of 1951. Profits before tax which had fallen sharply from Rs. 85 crores in 1951 to Rs. 56 crores in 1952 due to the post Korean recession, rose continuously to Rs. 97 crores in 1955."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

यानी जो मुनाफा १९५२ में ५६ करोड़ हुआ वह सन् ५५ में ९७ करोड़ तक पहुंच गया । यह उन कम्पनियों का है जिनकी देखभाल रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी तरफ से की । इस प्रकार से हम समाजवाद की ओर जा रहें हैं । एक सेंटेन्स उसमें से और मैं पढ़ देना चाहता हूं :-

"The proportion of provisions for taxation to profits before tax declined somewhat from 44 per cent in 1952 to 39 per cent in 1955."

मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन जो टैक्स हम उन पर लगाते हैं और जिसका उपयोग हम गरीबों के लिये करते हैं वह पहले ४४ प्रतिशत था, लेकिन सन् ५५ में बाद को वह ३९ प्रतिशत हो गया । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि किस चीज पर, इस सरकार के बारे में मैं अपनी राय कायम करूं ।

बजट को तो ज्यादा पढ़ने की मैंने कोशिश नहीं की क्योंकि वह एक मोटी पुस्तक है,लेकिन उस पुस्तक का जो मूल आधार है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भाषण, उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा । मैं समझता हूं कि सरकार के पास कुछ जादूगरी की चीज है । सरकारी साहित्य को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार कुछ जादू करके उत्पादन को बढ़ा देती है । उपाध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट के कामों में हम यहां काफी रुपया मंजूर करते हैं । पिछले तीन वर्षों की फिगर्स यहां दी हुई हैं । इन तीन वर्षों में डेवलपमेंट के कामों पर हमने करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन उन करोड़ों रुपये के न खर्च करने के बावजूद भी, जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट था, हमने उसको पूरा ही नहीं किया वरन् हम उससे आगे भी बढ़ गये । इतना ही नहीं, उस अवस्था में आगे बढ़ गये जब कि खुदा मियां भी खासतौर से हमारे सूबे पर नाराज थे । उन्होंने नाराज होकर हमारे सूबे पर कहर डाला और बावजूद इसके भी कि माल विभाग से हमारा बड़ा झगड़ा इस बात पर रहता है कि उसका अन्दाजा कम रहता है, उसके अन्दाज में १३६२ फसली में १९,५७,७८९ एकड़ में खेती बरबाद हुई ।१३६३ फसली में ६६,५०,३०९ एकड़ फसल बरबाद हुई और सन् १३६४ फसली में ७५,०१,७९७ एकड़ फसल बरबाद हुई । सवा ११ लाख के करीब मकानात गिरे । मकानों के गिरने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक वर्ष में ७५ लाख एकड़ की फसल बरबाद हुई, दूसरे वर्ष में ६६ लाख एकड़ की फसल बरबाद हुई और तीसरे वर्ष में २० लाख एकड़ की फसल बरबाद हुई । इस तरह से इन तीनों वर्षों में लगातार फसल बरबाद हुई उपरोक्त क्षेत्रों में रुपये में १२ आने की बरबादी कही जा सकती है और कहीं-कहीं रुपये में ८ आने की बरबादी भी कही गई है । इन बरबादियों के बाद भी, श्रीमन्, सन् १९५०-५१ में जो १०७ लाख ९० हजार टन अनाज की पैदावार थी, सन् १९५४-५५ में ही १२४ लाख ५० हजार टन की पैदावार होगई। ये सब वर्ष वही हैं जिनमें प्राकृतिक विपत्तियां और आपदायें आयीं । १२४ लाख ५० हजार टन तो ५५-५६ में योजना के अन्त में उत्पन्न कर लिया। सन् ५६-५७ में ३,९४,००० टन अधिक अनाज पैदा करने का टारगेट था। लेकिन उससे भी बढ़कर ५,०१,०००टन अधिक अनाज हमने पैदा कर लिया। जिस वर्ष में ७५लाख एकड़ जमीन की फसल बरबाद हो गयी थी, उस वर्ष की यह बात है । ५७-५८ के अन्त में, जैसा कि मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर साहब से सुना है उन्होंने फरमाया कि जितना अन्न पैदा करने का हमारा टारगेट था उसको तो हमने एचीव कर लिया है । जितना अन्न उत्पादन करना था, उतना अन्न उत्पादित कर लिया है । अब, उपाध्यक्ष महोदय, ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, इनके ऊपर जरा विचार करें । १२१ लाख टन अनाज सन् ५६-५७ में पैदा करने की बात है, मैंने हिसाब जोड़ा तो ३२,७०,००,००० मन के लगभग होता है । ३२ करोड़ ७० लाख मन पैदावार होने के बाद भी आज हमारी यह हालत है कि हमारे राज्य में, करोड़ों आदमी मैं न कहूं तो कुछ भाइयों को सन्तोष होगा, लेकिन लाखों मेहनतकश लोग हैं जो चाहे गांवों में बसते या शहरों में हैं, वे आधा पेट खाकर अपनी जिन्दगी काट रहे हैं और कभी-कभी भूख से मौतें भी होती हैं । आपको यह कुछ बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन बात सत्य है । अगर हम हिसाब लगायें उपाध्यक्ष महोदय, तो देखेंगे कि ८ छटांक एक व्यक्ति के हिसाब से जोड़ते हैं तो साढ़े ६

करोड़ व्यक्तियों के लिये साढ़े २९ करोड़ मन तक पहुंचता है । आज हमारा उत्पादन ३२,७०,००,००० मन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां की यह स्थिति है ।

सबसे खूबी की बात यह है कि हमारी सरकार जादूगरनी है । वह जादूगरी इस तरह से करती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम यह भी कहते जाते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, लेकिन हम अपने टारगेट को पूरा करते चले जाते हैं और हम सारे हिन्दुस्तान में सबसे आगे भी हैं, लेकिन यह सब होने के बाद भी एक जगह इनकी कोर दबती है और वह कोर कहां दबती है ? कहा जाता है कि नेशनल इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन दूसरी ओर पर कैपिटा इनकम जो है वह घटती चली जा रही है । अगर दो-तिहाई नेशनल इनकम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और एक तिहाई अरबन सेक्टर से आता है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है । इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हिसाब-किताब तो ठीक ही है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कोई कैसे गलती कर सकता है । उसमें गलती कम होने की गुंजायश है कपड़ा और चीनी मिलों में तैयार होता है, उस सबका तो रिकार्ड है, बाजार में वह बिकता है और कम्पनियों में उसका हिसाब-किताब रहता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप के दस मिनट तो हो गये, आप कितना समय और लेंगे ।

श्री गेंदासिंह—दस मिनट आप और दे दें वर्ना जैसी आपकी इच्छा हो ।

श्री उपाध्यक्ष—आप ५ मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिये ।

श्री गेंदासिंह—तो वहां तो हम यह समझते हैं कि थोड़ी पकड़ हो जाती है । सारा प्रोडक्शन बढ़ने के बाद यह क्या बात है कि प्राइस इनडेक्स तो ऊंचा जा रहा है, फिर भी यह पर कैपिटा इनकम घट क्यों रही है ? किसी साहब ने कल कहा था कि यहां की चूंकि पापुलेशन बढ़ रही है इसलिये वह बढ़ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्लानिंग करते वक्त इस बढ़ती हुई आबादी का ध्यान नहीं रखा गया था ? मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि प्लानिंग कमीशन इतना अहमक नहीं है । उसने जब हिसाब जोड़ा था तो उसने हर दस वर्ष में कितनी आबादी बढ़ेगी इसका हिसाब लगा लिया था और उसी हिसाब से कहा था कि १५ वर्ष में यहां पर कैपिटा आय दुगुनी होगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस जादूगरी का क्या भेद है ? विकास के कामों में सन ५६-५७ में ५१९ करोड़ रुपया जो खर्च होना चाहिये था वह खर्च नहीं हुआ । समय कम है वर्ना मैं इसकी तफसील भी बता देता । मैंने यह आंकड़े केवल बजट भाषण से ही देखें हैं । ४७५ लाख केपिटल सेक्शन में भी कम खर्च किया गया है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता ही गया । ५७-५८ में हमने २७६ लाख ऐसे कामों में कम खर्च किया जो अगर करते तो प्रोडक्शन बढ़ता । कम्पेनसेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं बटी, उससे खेती करने वालों को कुछ सुविधा दी जाती तो लाभ होता । विकास के सब काम में १५७ लाख की कमी हुई जिसमें कृषि, पशुपालन आदि के काम हैं । तो यह तमाम रुपया कम खर्च होने के बाद भी और ५७-५८ की सारी मुसीबत के बावजूद प्रोडक्शन बढ़ गया और बढ़ता जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि फिर पर-कैपिटा आय क्यों घट रही है ?

मैं साफ कहना चाहता हूं, आप क्षमा करें कि यह सब फर्जी हिसाब है और उसको लगाकर सरकार हमें भूखों मारना चाहती है, उनको उसी हालत में रखना चाहती है जो आज अर्द्धनग्न और भूखे हैं । यह एक उपहास की सी बात है । आप सारे संसार में दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भूखा-नंगा नहीं है, लेकिन आप इसके दोषी हैं । मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से और उधर के बैठने वाले सभी सदस्यों से पूछूंगा कि क्या आज भी इस प्रदेश में गोबर से अनाज निकाल कर खाने वाले लोग हैं या नहीं हैं । उस तरफ के लोगों में से लखनऊ के पश्चिम के लोग चाहे न स्वीकार करें, लेकिन बाराबंकी से पूरब के लोगों से मैं पूछूंगा कि वह दिल पर हाथ रखकर ठंडे दिमाग से बतायें कि बस्ती, गोरखपुर,

[श्री गेंदासिंह]

देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और बनारस के जिलों में आज भी हरिजन भाई गांवों में क्या ऐसे नहीं हैं कि जो गोबर से निकाल कर अनाज खाते हैं ? क्या यहां भीख मांगने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है ? कोढ़ियों की संख्या इस प्रदेश में बढ़ी है, या नहीं ? ऐसी सभी चीजों में वृद्धि हुई है, रिश्वतखोरी में वृद्धि हुई है, चोरी में वृद्धि हुई है, डकैती में वृद्धि हुई, अमीरी में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई। मैं कहता हूं कि प्रोग्रेस हुई है, लेकिन प्रोग्रेस कुछ थोड़े से लोगों के लिए है। उस प्रोग्रेस का लाभ हम भी उठा रहे हैं। हम असेम्बली के मेम्बर हैं। सरकार के बड़े-बड़े नौकर-चाकर हैं। पार्लियामेंट, असेम्बली, मिनिस्टर, सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। प्रोग्रेस हमारी हुई। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज खेतों में काम करने वाले मजदूर, खेती से पैदा करने वाले जो मर-मर कर काम करते हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। आप धोखे में हैं।

मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाऊं। हमारे सूबे में अगर चीनी उद्योग को कोई बुरी आंख से देखेगा तो इस सूबे की हुकूमत नहीं चल सकती। हम समझते हैं कि बुरी निगाह से देखा जा रहा है। हमारा एक अरब मन से ज्यादा गन्ना पिछले पांच वर्षों में सस्ते दामों पर मिल मालिकों को दिलाया गया। हमारे ऊपर कानून का बंधन डाला गया कि हम किसी भी हालत में जहां हमको ज्यादा दाम मिल सके उसको हम न बेचें। सरकार का डंडे का बल है। जब बम्बई में गन्ना ४६ रुपये टन बिक रहा है, मद्रास और आंध्र दोनों सरकारें भी ज्यादा कीमत दिलाने के लिये सचेष्ट हैं और मुझे मालूम है कि बिहार में भी दुअन्नी ज्यादा ज्यादातर फैक्टरियों में मिल रही है, यू० पी० सरकार मालूम नहीं किस वजह से इतना कम दाम दिलवा रही है। अपने दिल को टटोलना चाहिए। जो० यू० पी० ५० प्रतिशत से ज्यादा चीनी पैदा करता है वह क्यों नहीं अपने मामले को केन्द्रीय सरकार के सामने रखता ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा भारी पाप है। इसी रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन में पढ़ा कि जो भी एक्साइज ड्यूटी शकर और कपड़े आदि पर बढ़ायी गयी है उसमें यू० पी० सरकार की भी सलाह ली गयी थी। इनकी सलाह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी गयी। इसका देनदार कौन है? भीख मांग करके जो एक गज कपड़ा खरीदता है उसको भी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। सरकार ने कोई दूकान खोल रखी है जिसमें भीख मांगने वाला या मजदूर जो एक्साइज ड्यूटी नहीं बरदाश्त कर सकता उसके लिए एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं कहता हूं कि जो भी रकम आपने ज्यादा वसूल की और वसूल करने के बाद खर्च नहीं की तो दो बातों में एक बात कबूल करें। या तो यह कि अदूरदर्शिता थी और नहीं तो दूसरी बात कबूल करें कि जुल्म करने की इच्छी थी, जुल्म करना चाहते थे। अनाज पर टैक्स लगा कर लोगों को तंग करना, परेशान करना, मारना चाहते थे, नहीं तो अक्ल की कमी थी। १९५६-५७ में सेल्स टैक्स से ३८५ लाख रुपया वसूल किया और आज कितने करोड़ रुपया डेवलपमेंट में खर्च नहीं किया। अगर खर्च नहीं करना था तो इस तरह का पाप करने की क्या आवश्यकता थी ?

मैं एक बात कह कर छुट्टी चाहूंगा। सरकार मजबूर करती है हमको और मैं समझता हूं कि सरकार अगर सचमुच गांधी जी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है तो जो सरकार यह जुल्म करती है, अमीरों को अमीर करना, गरीबों को करीब करना, तो इस प्रकार के जुल्म का विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है, धर्म है। सरकार उस वक्त यह दुहाई न दे कि हम कानून तोड़ रहे हैं। मैं इस पवित्र अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह बजट अधिवशन जो हुआ करता है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर सरकार से जरूर इस बात को निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार आज कानून तोड़ रही है, सरकार अपने डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल से अलग जा रही है। डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल को मनवाने के लिए हम किसी अदालत में नहीं जा सकते। हमारे लिए फिर यही है कि हम बातचीत से

सरकार को राजी करें । अगर बातचीत से सरकार को नहीं राजी कर सके तो फिर कुर्बानी करने का हमारा हक है और उस कुर्बानी करने को अगर सरकार यह कहे कि हम धमकी देते हैं तो हम धमकी नहीं देते हैं । हम किसी को धमकी नहीं देना चाहते हैं । हम अपने कर्त्तव्य से प्रेरित हैं । हम गान्धी जी के स्कूल में पढ़े हैं जहां हमने समझा है कि हमें अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए । हम किसी को धमकी नहीं देना चाहते । सरकार को इस बात पर ध्यान देकर के इस बजट को इस तरह से देखना चाहिए ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के दोनों ओर से जो भाषण इस बजट पर हुए हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मैंने कोई समय नहीं बिताया कि जब मैंने भाषणों को समझने की कोशिश न की हो । मुझे खेद है कि बजट को जिस निगाह से देखा जाना था उस निगाह से देखने का सिवाय एक माननीय सदस्य के इस सदन में कोई प्रयास नहीं किया गया । हमें सरकार के आंकड़ों को, सरकार की किताबों को नहीं देखना है । साढ़े छः करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता, उसके पहाड़, दर्रे, मैदान, उसकी नदियां, उनका नक्शा जिस सदस्य के सामने हो, उसके सामने अगर आंकड़े पेश होते हैं तो मुझे खेद है कि वे आंकड़ों को लेकर इस देश का विकास करना चाहते हैं । मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं, विकास किया गया । वह विकास की कड़ी हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर, हमारे उत्तर प्रदेश के मैदानों में अंकित है, उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता । परन्तु उसके साथ-साथ मुझे खेद यह है कि बुद्धि से बजट को बनाने में काम नहीं लिया जाता है । मैं इस बात का कायल नहीं कि सरकार का यह दावा सही है कि उत्तर प्रदेश से भुखमरी को, इल्लिटरेसी को, अज्ञानता को, दुख और दरिद्रता को वह इससे दूर कर सकेगी । यह बात कब हो सकती है ? यह तो मैथेमेटिकल कैलकुलेशन की बातें हैं । आज एक तरफ बच्चे लाखों और करोड़ों की तादाद में पैदा होते हैं । आपका कम्पलसरी एजूकेशन जब तक उत्तर प्रदेश में नहीं होता, तब तक मैं आपके इस दावे को मान नहीं सकता । वह बुद्धिहीन होंगे जो आपके इस दावे को मानेंगे । बजट में मैं जब उत्तर प्रदेश के साढ़े छः करोड़ लोगों की सूरत देखता हूं, आदमियों की और बच्चों की तो करोड़ों की सूरतें इस बजट में मुझे डार्क दिखाई देती हैं । उसका क्या कारण है ? हमारे देश में नंगे, भिखमंगे, नोमेडिक ट्राइब्स चारों ओर चक्कर काटते फिर रहे हैं । मैं बराबर इस सदन में चिल्लाता आया हूं, सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया ।

क्या आप समझते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों के प्रति अपना उत्तर-दायित्व पूरा कर रहे हैं जिनकी बदौलत आप इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ? मुझे खेद है, महान खेद है । उत्तर प्रदेश के उस नक्शे को इस सदन में इस सरकार को बतलाना होगा । क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती है ? क्या आपको भत्ते नहीं मिलते हैं ? आपने उत्तर प्रदेश के विकास के नक्शे को इस सदन में क्यों नहीं पेश किया । आज साढ़े दस साल हमको इस सदन में हो गए । मुझे अफसोस है जहां चाहें वहां यूनिवर्सिटी खोली जायं, जहां चाहें वहां डिग्री कालेज खोले जायं, मुझे बताइये फिगर कि साढ़े छः करोड़ जनता के लिये कितने डिग्री कालेजेज हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, यह मनमानी बातें, कैसे इस प्रदेश में होती हैं ? क्या इस प्रदेश में इन्सान नहीं रहते हैं, क्या इस देश के अन्दर बुद्धिजीवी लोग नहीं रहते हैं ? हमें बताइए कि यह बजट विकास की कड़ी को जोड़ता है । उस विकास के नक्शे को हमारे सामने बताइए । मैं मानता हूं आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरे विकास की कड़ी है, दूसरी किश्त है । क्या आप उत्तर प्रदेश के सारे विकास को दस किश्तों में पूरा करना चाहते हैं ? उत्तर प्रदेश का सेचुरेशन, उसके एजुकेशन का, उसकी इकोनामी का, लोगों को खाने पीने के जरिये मुहैय्या करने का, यह कब पूरा करने जा रहे हैं ? आज हजारों लोग दुख और दर्द में हैं, स्टेशन के प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं । जाकर चारबाग स्टेशन पर देखिए, क्या इसमें सबूत की जरूरत है ? क्या आंकड़ों की जरूरत है ? न्याय करने के लिये इंसान ही आंकड़े हैं । वह आपके सामने मौजूद हैं । अगर आंखे होते हुए भी आप अंधे की तरह चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करते हैं, मुझे खेद है ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कहा जाता है कि इस देश में घूसखोरी है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जो इस सच्चाई पर परदा डालना चाहते हैं वह प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सरकार को उसके कारण देखने चाहिये कि हमारी बीमारियां क्या हैं जिनसे हमारा देश आज पीड़ित है, उन कारणों को ढूंढ़िये। आपके अस्पताल खोलने से हमारे प्रदेश का दुख और दर्द दूर नहीं होगा। जब जनता को भर पेट खाना मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा तब आपके अस्पतालों की जरूरत ही क्या रहेगी 'hospitals are no remedy'। इसलिये अस्पताल और यूनिवर्सिटीज पर नाज करना बिलकुल बेकार है। इनसे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। विकास तो हो सकता है जब प्रदेश की जनता को खाने पीने के जरिये सरकार मुहैया कर सके। जिस मुल्क के अन्दर भिखमंगे आज वोट देने के अधिकारी हों, आज उसकी इस बजट में कोई सूरत नहीं दिखाई देती। यह न्याय है? इसी को इकोनामिक जस्टिस कहते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं? मैं नहीं चाहता आप इतनी जल्दी विकास करिये। आप चारों तरफ तो हाथ फैलाते हैं, लेकिन किसी एक भी कदम को आपने कन्सालीडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने प्राइमरी स्कूल खोले। उनकी क्या दुर्दशा है, यह भी आपने देखी। कहीं मास्टर नहीं, कहीं बोर्ड नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसको कन्सालीडेट कीजिये। आपने काम अच्छे किये, लेकिन बदनाम बहुत हुए। उसका कारण यही है कि हाथ तो बहुत फैला दिया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाये।

कब जमाना आयेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका जवाब, जबकि हमारे सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के जो दौरे मुल्क में होते हैं, जो बड़ी-बड़ी दावतें होती हैं वह बन्द होंगी। इस गरीब जमाने में जब कि जनता इतनी तकलीफों में है, उन दावतों का खर्चा कहां से आता है? वह पैसा भी जनता से ही लिया जाता है। इस प्रथा को छोड़ दिया जाय। वह लोग छोटे नौकरों की जेब से रुपया लेकर पूरा करते हैं। जो १२० रुपये तनख्वाह पाता है एक थानेदार या और छोटा कर्मचारी वह अपने पास से इतना कभी नहीं खर्च कर सकता। याद रखिये यह पैसा जनता के खजाने से जाता है। बीस-बीस आदमी चार, चार दिन खाना खायें और बिल पेश हो बड़े साहब के सामने १० रुपये का, बुद्धजीवी सोचो, यह अन्याय क्यों हो रहा है?

मैं चाहता हूं आप लिखे-पढ़े बड़े-बड़े लोग हैं जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और निष्पक्षता के साथ हमारा काम चलायेंगे। क्या प्रदेश की जनता अपने को गौरवान्वित समझेगी?

अब जहां इंडस्ट्री की बात की जाती है मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उसमें हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां हैवी इंडस्ट्रीज को इस्टैब्लिश होना चाहिये था, बजट को देखिये उसमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। आप काटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन वह भाई जो काटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं उन्होंने देखा नहीं, जितना रुपया सरकार ने काटेज इंडस्ट्रीज पर बहाया है उसका अपव्यय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हम तजुर्बे से नहीं सीखते। सारा रुपया चन्द लोगों की जेब में और पेट में चला गया और कहीं भी काटेज इंडस्ट्री का नाम निशान नहीं। सब लूजिंग कन्सर्न्स हैं, कोई भी प्राफिटेबिल कन्सर्न अभी तक आपने बनाया नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हैवी इंडस्ट्रीज के चालू करने में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार पीछे रही है। बड़े-बड़े कल-कारखाने जब खुल जायंगे, हमारे देश में धन-दौलत बड़ी तादाद में आयेगी, तब चारों तरफ का विकास होगा। आपने चारों तरफ हाथ फैलाकर जो नीति बरती है उससे उस विकास के साथ आपकी अंगुलियां और हाथ-पैर जकड़ गये हैं। इसलिए मैं इन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने पौड़ी की हालत देखी और माननीय कमलापति जी ने भी देखी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस जमाने में हम ४ आने का एक क्वनस्तर पानी पौड़ी में खरीदते हैं। ठीक है, आप नहरें निकालिए, मेरा समर्थन आपके साथ है। बड़े-बड़े डैम बनाइये, सभी कुछ करिये, लेकिन हमको पीने का पानी दीजिए। खेद है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट लिखें, यहां के मिनिस्टर उसको सपोर्ट करें और उसका बजट में कहीं नामोनिशान नहीं, । हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने को दीजिये, हम आपकी नहर नहीं चाहते ।

(लाल बत्ती जलने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं २ मिनट चाहता हूं ।

हमारे सारे प्रदेश के मुकदमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फैसले होते हैं। आज हम जनता के हितैषी हैं और जनता के विश्वासपात्र हैं, इस सदन में बैठे हैं। सरकार मुझको समझाये, मेरी समझ में नहीं आता, बुद्धि अगर मेरी अल्हड़ हो, उस लाजिक और सेंस को बता दीजिये कि हमारे दूर-दूर के जो जिले हैं उनकी अपीलों की सुनवाई के लिए हमें लखनऊ से टिकट खरीद कर इलाहाबाद जाना पड़ता है, इसमें क्या सेंस है ? केवल एक ही सेंस हो सकता है और उसको वह 'सेंस' कहते हैं जिस शब्द को मैं कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को और लिटिगेंट पब्लिक को मौका दिया जाना चाहिये कि हमारे मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हो जाय। चन्द वकीलों की रोजी चलाने के लिए और उनके पेटों को पालने के लिए अगर यह सरकार हजारों और लाखों जनता के पैसे को बरबाद करने के लिए तैयार है तो आपकी इच्छा है जैसा चाहें आप करें। अगर जनता की सुभीते की बात सुनना चाहते हैं, मुल्क की आवाज के दर्द की आवाज को सुनना चाहते हैं तो वह गरीब जनता जो आपको टैक्स देती है, जो कोर्ट फीस देती है वह सरकार की उस जिम्मेदारी की कीमत है कि वह उसके मुकदमों का फैसला कराये, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता। क्या कारण है कि वह इलाहाबाद का किराया दे ?

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिक समय के लिए धन्यवाद।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर मैंने सबके भाषण बहुत ध्यान से सुने और जहां तक मैं समझ पाया सब ओर से इसकी निन्दा की गयी है, लेकिन जहां तक इसका सम्बन्ध गरीब अध्यापकों की निःशुल्क दवा होने और बीमारियों के उन्मूलन करने के संकल्प से और किसी नये कर के न होने से है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैंने, श्रीमन्, इस बजट पर विवाद को बहुत गौर से सुना और चारों तरफ से, विरोधी दल की ओर से माननीय त्रिलोकीसिंह और नारायणदत्त तिवारी ने इस बात का जब रदस्त भय बताया कि सरकार के ऊपर ऋण का भार बहुत जबरदस्त होता चला जा रहा है और यह भी बताया कि ३२८ करोड़ रुपया तक कर्जा हो चुका है। सरकारी पक्ष के लोगों ने भी इस भय को माना। लेकिन, श्रीमन्, उसके विपरीत उसी बजट में सरकार ने और आहुति दी है ९ करोड़ रुपये की, तो मैं यह समझा कि इस भय को देखते हुए कि नारायणदत्त जी शायद यह समझ बैठे हैं कि यह रुपया हमें पटाना पड़ेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयेगी। सरकार की नीति को तो मैं समझता हूं कि "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्", यानी कर्ज लेंगे और खूब घी पीयेंगे। जो बात होगी, क्या होगी, मैं नहीं समझ सकता हूं लेकिन श्रीमन्, आंकड़ों का तर्क चारों तरफ से उपस्थित हुआ है। कुछ आंकड़े विरोधी दल की तरफ से पेश किये गये कि पर कैपिटा इनकम घट रही है और कृषि की पैदावार घट रही है। कृषि मंत्री जी बतलाते हैं कि अन्न की पैदावार बढ़ी है और माननीय अली जहीर साहब बतलाते हैं कि लोग आम की गुठली खाकर मर रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि कौन से आंकड़े सही हैं, उधर के लोगों ने भी कहा कि आंकड़ों पर हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिये। यह कैसे आंकड़े बनते हैं, इसके संबंध में आपको

[श्री बलदेव सिंह]

बतलाता हूं कि एक लेखपाल ने मुर्गियों के आंकड़े दो घंटे में तैयार करके भेज दिये जिसके हल्के में ५००पुरवे थे। इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गई। एक राजा ने कौए के आंकड़े जमा करने के लिये कहा। उसके मंत्री ने बताया कि ९ करोड़ हैं। राजा ने कहा कि मैं दुबारा गिनती कराऊंगा। इसलिये कि यह आंकड़े गलत न हों। इस पर उसने कहा कि यदि किसी दिन मेहमान आ गये तो बढ़ जायंगे और किसी दिन कुछ कौए किसी बारात में चले गये तो कम हो जायंगे। लेकिन कौओं की सही संख्या यही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह आंकड़े इसी तरह से तैयार होते हैं।

श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भी कहा है कि सहकारिता से खेती कराइये और यहां सहकारिता मंत्री भी बैठे हैं। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि बस्ती में एक लाख का गबन है और बलिया में ४२ हजार का घपला है। सिवाय इसके हम और कुछ नहीं पाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह हमारे जीवन को इसी तरह से खतरे में डालना चाहते हैं।

तीसरी बात मैं कृषि मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने भी कही और सभी भाइयों ने कही। सब लोगों ने मुल्क की जिम्मेदारी लेने को कहा था। गेंदा सिंह जी ने भी कहा था कि हम मुल्क चलायेंगे, यादवेन्द्रदत्त जी ने भी कहा था कि हम लोग मुल्क की बागडोर संभालेंगे, लेकिन जनता ने कांग्रेस सरकार का विश्वास किया और उसको मुल्क की बागडोर दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब चीनी २७ रुपये मन बिकती थी तब भी गन्ने का दाम १ रुपया ५ आने मन था और अब जब ३८ रुपये मन बिकती है तब भी गन्ने का वही एक रुपये ५ आने मन दाम है। इसका क्या कारण है? क्या कोई देशभक्ति की बात है? किस लिये ऐसा किया गया है? इसे बताने की वह कृपा करेंगे।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि दिन दहाड़े कत्ल होते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। अभी हमारे जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ता को दिन दहाड़े तीन बजे दिन के लाठियों और बल्लमों से मार डाला और कातिल अदालत से छूट गया। दिन दहाड़े बस बारह कत्ल गोंडे में हुये हैं। हजारों आदमी मौजूद थे और हजारों शहादत भी हो सकती थीं, लेकिन सब के सब छूट गये। अभी भी एक मुकद्दमा चल रहा है इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन बड़ा टेढ़ा सवाल है कि बलरामपुर से दो आदमी मोटर साइकिल पर आते हैं, बन्दूक साथ लिये हुये हैं, दोनों की हत्या की गयी और वह कत्ल का मुकदमा न चला कर डकैती का मुकदमा चलाया गया और असली कातिल जिनकी बन्दूक से कत्ल हुआ उनका पता नहीं कि कहां चले गये और क्यों छोड़ दिये गये।

न्याय व्यवस्था का जहां तक सवाल है, मामूली-मामूली १०७ के मुकदमें दो-दो साल से मुतवातिर चल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ तारीख पाते चले जाते हैं। अगर आप वहां जायं तो वहां एक ऐसा षडयन्त्र मालूम होता है कि अगर कोई भला व्यक्ति गिरफ्तार हो जाय और आप जमानत की दरख्वास्त दें तो दरख्वास्त देने पर फौरन् ए० पी० पी० की रिपोर्ट के लिये भेजी जाती है और रिपोर्ट आने पर जमानत तसदीक कराने के लिये तहसील जाती है, फिर उसमें लिखते हैं, "वेरीफ़ाइड फ्राम दि तहसील"। उसके माने होते हैं कि ५० रुपये का एक्स्ट्रा चेक उन तहसील के आदमियों को दे दिया और वह आदमी १५ रोज तक परशान रहता है। तो यह हालत न्याय की और आम की कचहरियों की है।

अन्त में मैं कृषि मंत्री जी से खासतौर से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वे बतायें कि क्या कारण है कि जब चीनी २७ रुपये मन थी तब भी गन्ने का दाम १ रु० ५ आ० था और आज जब चीनी का दाम ३८ रुपये मन है तब भी गन्ने का दाम वही १ रु० ५ आ० मन क्यों है?

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कोई भी बजट सरकार का दर्पण होता है और इस बजट को देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि इस सरकार की नीति साफ है। यह सरकार कम से कम ९५ साल तो इस बात में लेगी कि इस प्रदेश के सेंट परसेंट बच्चे पढ़ सकें और कम से कम ८० साल इस बात में लेगी कि सब लोगों को खाना अच्छी प्रकार से मिल सके। अगर इस बजट से किसी को एतराज हो तो कोई एतराज की बात नहीं है। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो यह चीज जाहिर है, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि पर कैपिटा इन्कम यू० पी० में घट रही है। हिन्दुस्तान में ८० फीसदी आबादी देहातों में रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ८६ फीसदी आबादी देहातों में रहती है। हिन्दुस्तान भर में जो खेती से आमदनी होती है उसकी बनिस्बत उत्तर प्रदेश में कम होती है,। हिन्दुस्तान में जहां इल्लिट्रेसी ८० फीसदी है वहां उत्तर प्रदेश में ८६ फ़ीसदी है। मतलब यह कि हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे से यहां की सरकार किसी चीज में भी अच्छी नहीं है, लेकिन बजट में यहां हर साल १० करोड़ रुपया ज्यादा हो जाता है। इस पर भी बजट के आंकड़ों से यह चीज साफ है कि सन् ५०-५१ की बनिस्बत प्राइमरी स्कूलों की तादाद यहां कम हो गयी है, ६ साल से ११ साल तक के पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम हो गयी। रूस और कैनाडा जैसे देशों में जहां ९५, ९६ फ़ी सदी लिटरेसी है वहां आप ८६ फीसदी इल्लिटरेसी में ही विश्वास करते हैं। आखिरकार यहां की सरकार क्यों प्रदेश और देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करती है ?

श्री उपाध्यक्ष—'गद्दारी' शब्द अनुचित है।

श्री बलवानसिंह—यदि यह अनपार्लियामेंटरी है तो मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री राज नारायण—क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह 'गद्दारी' शब्द अनपार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—जब उन्होंने उस शब्द को वापस ले लिया तो यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री बलवानसिंह—अब मैं कुछ चीजें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे खेद है कि माननीय चरणसिंह जी यहां से चले गये। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं जिस तरीके से आपका यह खेती का कायदा है इस तरीके से खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आप की जो यह सिंचाई की योजना है जिससे आप ३ लाख एकड़ हर साल बढ़ात चले जाते हैं तो इससे आप को कम से कम ९५ साल लगेंगे। उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में यह सरकार यह चाहती है कि इस सूबे में पैदावार बढ़े तो इसका सबसे पहला कदम यह होना चाहिये कि जितनी भी सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें हैं उनको यहां पर लागू करें। बड़ी बड़ी योजनाओं पर खर्चा २६० रुपये फी एकड़ पड़ता है, लेकिन छोटी योजनाओं पर १०० रुपया प्रति एकड़ आता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो आप करोड़ों रुपये बाहर देशों से अनाज मंगाने के लिये देते हैं, उसके बजाय इस सरकार को यह करना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करके २ लाख कुयें और उन पर रहट का इन्तजाम यह सरकार कर दे तो उन २ लाख कुंओं से कम से कम ३५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और उससे १ करोड़ मन गल्ला सालाना पैदा हो सकेगा। मैं यह आप को एक ठोस सुझाव देता हूं कि उन बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी योजना को लागू करें। विरोधीदल की ओर से यह ठोस सुझाव है और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे। अगर आप इस तरीके से कुयें बनायें तो गांव वाले भी आप को मदद देने के लिये तैयार हो जायेंगे। आज भी सरकार जमीन की क़ीमत के अनुसार तक़ावी देती है। अगर उस जमीन की कीमत के बजाय भूमिधर राइट के अनुसार १०० गुना या २०० गुना तकावी देदे तो फिर गांव वाले अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

खर्चे से ही सरकार से मोड़ा बहुत खर्चा लेकर कुंओं का इन्तजाम कर सकते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर इस सुझाव के अनुसार यह सरकार काम करे तो यह गल्ले की कमी पूरी हो सकती है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि किसी भी देश की अच्छी हालत तब होती है जब कि वहां पर एक आदमी को न्याय आसानी से और बगैर किसी खर्चे के मिले। इस सूबे के अन्दर न्याय अगर मिलता है तो वह सिर्फ अमीर को मिलता है। गरीबों को नहीं मिलता है। अब मेरा कहना यह है कि इस सरकार को यह चाहिये था कि चाहे वह १०, १५ या २० करोड़ रुपया भी इस बजट में रखती, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको न्याय जल्दी और सस्ता मिलना चाहिये था। अभी तक इस सूबे में हालत यह है कि गांव के अन्दर लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बजट में उसका कोई प्राविजन होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि अगर यह सरकार अनाज की पैदावार बढ़ाना चाहती है तो मेरा यह सुझाव है कि यह सरकार ५ मील के रेडियस पर अपना एक एक सीड स्टोर खोले। हालांकि सीड यदि अच्छा हो तो उससे २ या ३ परसेण्ट पैदावार बढ़ती है। मगर मेरा सुझाव यह है कि अच्छे बीज और अच्छे खाद का इन्तजाम उसी सीड स्टोर के अन्तर्गत होना चाहिये। जिस तरीके से सीड का अनाज वसूल किया जाता है उसी तरीके से बी० डी० ओ० या ऐग्रीकल्चरल आफिसर के जरिये से खाद की वसूलयाबी का इन्तजाम हो जाय तो मेरा खयाल है कि इससे पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सकती है। अगर ५ मील के रेडियस पर बीज गोदाम और नये खाद का इन्तजाम हो जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो आप की योजनायें हैं उनसे दुगुना अनाज इस सूबे के अन्दर पैदा हो सकता है। अगर कोई इस बात के लिये मुझको चैलेंज करता है तो मैं उसके लिये तैयार हूं। क्योंकि कृषि का मैंने भी अध्ययन किया है। सिर्फ सिंचाई और खाद के इंतजाम से इस सूबे की सरकार अपनी पैदावार को दूना कर सकती है। यह मैं एक ठोस प्रोग्राम इस सरकार को देता हूं।

मुझे, श्रीमन्, एक बात की ओर और सरकार का ध्यान दिलाना है और वह यह कि आपने बजट में ९ आना खर्च उन चीजों पर रखा है कि जो खेती की पैदावार को नहीं बढ़ातीं और ७ आना खर्च उन चीजों पर रखा है कि जो पैदावार में सहायक हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस आंकड़े को मोड़ दे। ९ आना खर्च वह इन चीजों पर करे कि जिनसे पैदावार बढ़ सकती हो। चाहे वह खाद का मसला हो या नहर का या सड़क का, लेकिन बजट के ९ आना भाग का खर्च उन चीजों पर होना चाहिये कि जिससे यहां की इकोनामी सुधरे। अभी तक आप जिस तरह से खर्च कर रहे हैं उससे यहां की आर्थिक हालत सुधरेगी नहीं। पुलिस को ही देखिये। पांच छः साल पहले से आप पुलिस पर १ करोड़ ६५ लाख रुपया खर्च करते थे, लेकिन आज आप उस पर ९ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और फिर बेईमानी कितनी होती है इसे देखिये। मैं तो सदन के सामने कहता हूं कि आप जिले में जायं और सी० आई० डी० लगा कर देखें कि डिप्टी कलेक्टर का नया बंगला कैसे बन गया, अफसरान को इतनी ज्यादा आमदनी कहां से होती है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर किस तरह से रहता है। आप कचेहरियों में भी देखें और दूसरी जगह भी और पता लगायें कि वहां रिश्वत किस तरह से चलती है। ऐसा करने से संभव है कि करेप्शन में कुछ कमी आये। करेप्शन होना सरकार के लिये शर्म की बात है। समाजवादी सरकार में खास कर भ्रष्टाचार नहीं होता और अगर होता है तो इस बात को समझना आवश्यक होता है कि ऐसा क्यों है। जितना भ्रष्टाचार है यहां उसको रोकने के लिये केवल ऐन्टी-करप्शन अफसर की नियुक्ति से ही काम नहीं चलेगा। जिस तरह से आप हमारे पीछे सी० आई० डी० लगाते हैं उसी प्रकार इन अफसरों के पीछे भी सी० आई० डी० लगाइये और देखिये कि ये लोग क्या करते हैं, मिनिस्टरों के पीछे लगाइये। बहुत से मिनिस्टरों के बच्चे जिनकी मार्केट वैल्यू २०० रुपये भी नहीं है ग्रेजुएट होते ही किसी अच्छी जगह

पर पहुंच कर १४, १५ सौ रुपया मारने लगते हैं, उनके साले, ससुरे और दूसरे रिश्तेदार किस प्रकार परमिट हासिल करते हैं, कैसे अपना काम बनाते हैं इन सब चीजों को सरकार को सी० आई० डी० लगा कर पता लगाना चाहिये। उसे देखना चाहिये कि वे कैसे रिश्वत लेते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो एक मामूली लेखपाल और कान्स्टेबिल तो उनको देख कर वैसा करेगा ही। यहां तो हमारे देश के प्रधान मंत्री के यहां भी कोई हिसाब किताब नहीं है। उनका ५०,००० रुपया रोज खर्च हो जाता है यूं ही और प्राइम मिनिस्टर फंड का कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन सब वहीं से चल रहा है। तो इसलिये मैं सदन से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार और उसके मंत्रियों को सीजर की बीवी की तरह से शुबहे के ऊपर रहना चाहिये और जितने मिनिस्टर और डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको ऐसा होना चाहिये कि जिनके ऊपर शुबहा किया ही न जा सके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब बनारस जिले में एक बांध बना दिया गया।

(इस समय ३ बज कर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लाखों रुपया खर्च करके बांध बांधा गया लेकिन वह एक साल में ढह गया। क्योंकि जो ठेकेदार बांध बनाते हैं, वह मिनिस्टरों के जरिये से आते हैं, कुछ माननीय मंत्रियों के लड़के ही जाते हैं। अगर आप वाकई में समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं तो जरा आप अपने दिल को टटोलें। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन अगर वित्त मंत्री जी इसका जवाब देना चाहें तो जवाब दें और इस बात को कहें कि उनके मिनिस्टरों के लड़के, भतीजे और रिश्तेदार किसी भी किस्म के शुबहे से ऊपर हैं, उनको कोई परमिट नहीं दिया गया। उनकी मारकेट वेल्यू से ज्यादा उनको नौकरी नहीं दी गयी। अगर ऐसी बात कहेंगे तो मैं समझ सकूंगा कि सरकार की नीयत साफ है और वह समाजवाद की ओर जाना चाहती है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस बात का अफसोस होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस वक्त यहां उपस्थित नहीं हैं। वे इस वक्त इन्फ्लुएंजा से बीमार हैं और शायद अभी कई दिनों तक काम करने लायक न होंगे। यह जाहिर बात है, गो मैं उनकी गैर-हाजिरी में उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी इस सामान्य वादविवाद में जो बातें कही गयीं, उनका जितना पूरा और ब्योरेवार उत्तर, वे दे सकते थे, मैं नहीं दे सकूंगा मुझे इस बात का भी दुःख है कि विरोधी पक्ष के नेता, माननीय त्रिलोकी सिंह जी, किन्हीं जरूरी काम की वजह से आज यहां इस वक्त उपस्थित नहीं हैं।

सामान्य विवाद ४ दिनों तक चलता रहा, बहुत सी बातें कही गयीं। कुछ उपयोगी सलाह भी हमको दी गयी। मसलन् अभी हाल में जो एक माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सिंचाई के छोटे साधनों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उनसे कहां तक काम चल जायगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी सलाह उपयोगी है और हम भी स्वयं उस पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की जो सलाह हमको दी गयी है, हम निश्चय ही उस पर गौर करेंगे और अगर वह सलाह व्यावहारिक प्रतीत हुई तो उस पर अमल करने का भी प्रयत्न करेंगे।

इसके साथ ही बहुत सी ऐसी बातें कही गयीं जो कि आज ही खत्म होने वाली नहीं हैं, बल्कि जब वोट आन अकाउन्ट्स का सिलसिला आरम्भ होगा और विभागीय बजट हमारे सामने आयेगा, तो जरूर ही किसी न किसी रूप में, वे बातें दुहराई जायंगी। उस मौके पर उस की बहस उचित ही है। मसलन् किसी को किसी खास सड़क की जरूरत महसूस होती है, सिंचाई की जरूरत है या किसी खास गांव वालों की कोई विशेष मांगें हों, उनके बारे में वोट आन अकाउन्ट्स ही समुचित मौका होता है और निश्चय ही उन विभागों के जो माननीय मंत्री हैं वे उन सब बातों का जवाब देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यथाशक्ति उन बातों की चर्चा करके सदन का समय न लूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह ठीक भी है कि सामान्य वादविवाद में ऐसी ही बातों का जिक्र होना चाहिये, जो साधारण तौर से विभागीय बजट पर विचार करते समय आसानी से नहीं लायी जा सकतीं। किसी समय ऐसा हो सकता है कि हम माननीय नारायण दत्त तिवारी की सलाह को मान कर स्वीडन की पद्धति का अनुकरण करें, हो सकता है कि उससे और आगे जा कर के हम कभी स्विट्जरलैंड की पद्धति का अनुकरण करें, जहां गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में महज एक एक्जीक्यूटिव कमेटी की हैसियत से काम करती है, वहां अलग-अलग पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस समय तो हम उचित हो या अनुचित हो, इंगलैण्ड की पद्धति का ही अनुसरण करें और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस ही हमारा धर्मग्रन्थ है। अच्छा है यदि हम इंगलैण्ड की जो प्रक्रिया है उसी का अनुसरण करें। इंगलैण्ड में यह मान कर काम होता है कि चाहे किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आज लिबरल पार्टी तो खतम हो गयी है—उसका नाम है लिबरल —लेकिन चाहे लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कंजरवेटिव पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, सभी देश का उत्थान करना चाहते हैं, देश का कल्याण करना चाहते हैं। हां, काम करने के तरीके में भेद होता है। प्रत्येक पार्टी यह समझती है कि हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो तरीका है, इस तरीके से देश का कल्याण हो सकता है और दूसरी पार्टीज जो तरीका बरत रही हैं उनसे देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिये वहाँ जब कोई बहस होती है तो छोटी बातों पर उनका ध्यान नहीं जाता। वे तो यह मान कर चलते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको तो सब सरकारें मानती हैं कि अगर किसी गलत चीज की तरफ ध्यान दिलाया जायगा तो वह तो ठीक हो ही जायगी। छोटी-छोटी बातों की तरफ वहां कुछ भी खयाल नहीं किया जाता है। हर पार्टी इस बात को मान कर काम करती है कि छोटी बातों के लिये सरकार के ध्यान दिलाने की बात नहीं है, वह तो ठीक हो जायगा। हां, जहां पर बड़ी-बड़ी नीतियों का सवाल है, जहां किसी पार्टी के सिद्धान्त का सवाल है, वहां पर प्रत्येक पार्टी इस बात को दिखलाना चाहती है कि फलां तरीके से काम करने से हमारा देश ज्यादा तरक्की कर सकता है। वहां केवल उन बातों की तरफ ही ध्यान जाता है और यह उचित भी है। अफसोस की बात है कि अभी हम उस तरीके को नहीं अपना सके हैं। इस किस्म के विवाद में जहां पर कि थोड़ा सा समय होता है, नीतियों और सिद्धान्तों की बातें तो क्या, ऐसी बातों की तरफ हमारा ध्यान जाता है जो उपेक्षा की दृष्टि से देखने लायक और छोटी-छोटी बातें हैं। अस्तु, उन सभी बातों की कहां तक चर्चा की जाय।

कुछ तो ऐसी बातें कही जाती हैं कि उनको कहने के लिये किसी प्रकार के अध्ययन की जरूरत नहीं है। मसलन् आप हमारे सामने, रूस, जर्मनी, चीन या किसी भी देश का बजट रख दें। कोई भी आदमी आंख बन्द कर के उस बजट की आलोचना कर सकता है और कह सकता है कि यह बजट क्रांतिकारी बजट नहीं है। जितनी देश और समाज के कल्याण की बात होनी चाहिये, उस तरह की कोई बात इस बजट में नहीं है। तो हमारे लिये उचित यही है कि हम ऐसी ही बात कहें जिससे देश का कल्याण हो सके।

यह दुर्भाग्य की बात है, या सौभाग्य की बात है कि बजट बनाने का मौका उधर के लोगों को नहीं मिला, लेकिन बजट में मोटी-मोटी बातों की तरफ ही ध्यान जाय, मुख्य मुख्य बातों की तरफ ही ध्यान जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और उससे बजट बनाने वालों को भी कुछ रोशनी मिलेगी। उससे हम यह भी समझ पावेंगे कि फलां जगह हमारी नीति गलत है, और फलां तरीके से हम अमुक काम करते तो सचमुच ज्यादा अच्छा फायदा होता, रुपए का अमुक उपयोग होता तो अधिक लाभ होता और समाज का कल्याण होता। इतना ही मैं कह सकता हूं ज्यादा कहने की तो हिम्मत नहीं है और न यह मेरा हक ही है कि मैं सामने बैठने वाले लोगों को उनके कर्त्तव्य की शिक्षा दूं, वह जरूर अच्छा समझते होंगे और उसका पालन भी करते रहे होंगे।

जिन बातों की बार-बार चर्चा आती है और हमेशा ही होती है उनमें एक बहुत बड़ी चीज है करप्शन या भ्रष्टाचार। मैं क्या बताऊं, कुछ मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जितना मैं भ्रष्टाचार से घबराता हूं उतना ही मैं भ्रष्टाचार की चर्चा से भी घबराता हूं। हाल की ही बात है कि एक दिन माननीय राजनारायण जी दफ्तर में मेरे कमरे में आये और उन्होंने एक बात कही जो बिलकुल ठीक थी। उन्होंने मुझ से यह भी कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि आप के दिमाग की बनावट कुछ ऐसी है कि आप यह नहीं सोच पाते कि सचमुच लोग इतनी बेईमानी करते होंगे, इतना भ्रष्टाचार करते होंगे, इतनी चोरी करते होंगे। जहां तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। मैं इस बात के लिये उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे सम्बन्ध में ऐसा खयाल किया और मैं समझता हूं उनका यह खयाल सही ही है। वाकई यह मेरी कमजोरी है कि मैं ऐसा सोच ही नहीं पाता और न सोचना चाहता ही हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिमाग वह ऐसा ही बनाये रखे। अगर मुझे अपने चारों तरफ बेईमानी दिखाई देने लगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई देने लगे, चारों तरफ चोरी दिखाई देने लगे और सब तरफ नैतिक पतन ही पतन दिखाई दे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर हम हर समय यह सोचने लगें कि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है, सब तरफ चोरी है, सब तरफ रिश्वत है तो हमारी आखों के सामने हमारे पतन का कितना खराब दृश्य होगा। हमारा ध्येय उस करप्शन की चर्चा नहीं, बल्कि उस खराबी को दृढ़ता के साथ कुचलने का होना चाहिये। मेरा खयाल है केवल इस प्रकार की बार-बार चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता, वरन् हमारी दृष्टि ही खराब हो जाती है। कभी कभी तो जब इस तरह की बातें मैं लोगों से सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सचमुच में ऐसा ही देखने लगूं तो मेरे मन में खयाल हो जायगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अन्दर ही बुराई है और मैं अपनी ही तस्वीर चारों तरफ देखता हूं। कभी-कभी तो मुझे वह चीज भी याद आ जाती है जब कि मिस मेयो की किताब मदर इंडिया निकली थी। उसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह तो एक ड्रेन इंसपेक्टर की रिपोर्ट है। कोई शहर है उसके अन्दर अच्छी-अच्छी इमारतें हैं, मन्दिर हैं सब कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो उस शहर का ड्रेन इंसपेक्टर है उसको तो सिवा गन्दी नाली के कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिये मैं तो बहुत डरता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि बार-बार हमेशा यही करप्शन की बात सोचते सोचते मेरी दृष्टि भी ड्रेन इंस्पेक्टर की सी हो जाय।

इधर कुछ दिनों से करप्शन के सम्बन्ध में कुछ चीजों का विशेष रूप से जिक्र हुआ। कुछ सरकारी अफसरों के मकान बनाने की बात है। अच्छा होता कि पब्लिकली उन बातों का जिक्र न होता, लेकिन हुआ और मैंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा और अगर कोई खास खराबी दिखायी पड़ी तो उसके बाद जो भी उचित ऐक्शन होगा, मैं लूंगा। एक बिन प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन में कहा था कि मैंने उन चीजों को देखा और मुझे कोई गलती नहीं मिली। मैं ऐसी आशा करता था कि इतना ही सूक्ष्म रूप से कहना काफी होना चाहिये था, क्योंकि जो कुछ हम यहां चर्चा करते हैं वह सदन का प्रिविलेज होता है, लेकिन किसी आदमी की इज्जत आसानी से बिगाड़ी जा सकती है। लेकिन जो आदमी यहां मौजूद नहीं उस आदमी को इज्जत बनाने में दुश्वारी होती है, ऐसा दुनिया का दस्तूर है। साधारण-तौर से खयाल होता है कि जरूर कुछ न कुछ बात रही होगी। जैसी अपनी इज्जत है वैसी ही दूसरे की इज्जत समझनी चाहिये। हम सब समाज में रहते हैं यह ध्यान रखना चाहिये। बहरहाल, वह भी बात शायद काफी समझी नहीं गयी। जो यहां पर जनरल डिस्कशन हुआ उसमें उसके सिलसिले में फिर उस चीज का जिक्र हुआ। इच्छा न रखते हुए, अपनी कुछ आदत के खिलाफ मैं कुछ थोड़ा सा उस विषय पर कहना चाहता हूं। जो मैंने जांच की थी उसके बाद माननीय राजनारायण मुझसे मिले और एक चीज का उन्होंने जिक्र किया। उसके पहले मुझे कुछ खयाल नहीं था। उसकी भी मैंने जांच कर ली और जो शिकायत हुई वह इस बात की शिकायत नहीं थी कि इन अफसरों में से किसी ने कोई सरकारी रुपया खाया है, बल्कि यह कि अपने पद का दुरुपयोग करके कई प्रकार के फायदे उठाये हैं। पद का दुरुपयोग दो तरह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से हो सकता है। एक तो डेलीबरेटली, जानबूझ कर होता है और एक दुरुपयोग वह हो सकता है जिससे हम और आप कोई नहीं बच सकते। किसी जगह आप जाते होंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आप से नहीं कह रहा हूं, दूसरे सदस्यों से कह रहा हूं हम में से कहीं कोई जाय, अगर किसी को मालूम हो जाय कि यह मेम्बर है, लोग जरा सा खयाल करेंगे। यह ऐसी चीज है जो अनकांशसली होती है, बगैर कोशिश किये होती है। लेकिन डेलीबरेटली अगर दुरुपयोग करते हैं तो बेशक दुरुपयोग है और गलत चीज है।

सबसे पहले जमीन की बाबत कहा गया कि वह उनको बहुत सस्ते दामों में मिली। जिस जगह पर मकान बने हैं उस जमीन का इतिहास यह है कि वह जमीन किसी जमाने में लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी। किसी जमाने में राजा साहब जहांगीराबाद ने ली और विवाह के वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को मेहर में वह जमीन दे दी। कुछ अफसरों ने मिल कर एक सोसाइटी बनायी और उस सोसाइटी के हाथ ८० हजार रुपये में वारिसों ने उस जमीन को बेचा। उसके बाद इन अफसरों के हाथ सात आठ आने स्क्वायर फुट के लगभग बेची गयी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने प्रत्येक आदमी से साढ़े सात सौ रुपया उसके ऊपर और लिया जो कि उन्होंने जमीन का दाम दिया था, इसलिये कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का नियम है कि अगर कोई जमीन एक ब्लाक में हो और कोई शख्स उसको ले और उसके टुकड़े-टुकड़े करना चाहे तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कानून के मुताबिक अधिकार है कि और चार्ज कर सकती है। उन्होंने उस जमीन पर प्रत्येक अफसर से साढ़े सात सौ रुपया और चार्ज किया। एक शर्त उन्होंने यह लगायी कि इस जमीन में तीस तीस फीट चौड़ी दो सड़कें भी बनायी जायं, उन्हीं के खर्चे से, बिजली के खम्भे बनाये जायं उन्हीं के खर्चे से, ड्रेन बनायी जांय वह भी उन्हीं के खर्चे से और बनाने के बाद वह ड्रेन, खम्भे और सड़कें म्युनिसिपल बोर्ड की सम्पति हो जायं। इसके ऊपर जो लगान था उसको उन्होंने ड्योढ़ा कर दिया। इस तरीके से यह जमीन करीब एक रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ी जब कि पास पड़ोस की जमीन की कीमत जो कुछ है उसका अन्दाजा एक चीज से हो सकता है कि जो गौतम पल्ली बसी हुई है, जिसमें सरकारी बंगले बने हैं, दो तीन वर्ष हुए गवर्नमेंट ने वह जमीन खरीदी थी। उसमें गवर्नमेंट को जो जमीन मिली है वह साढ़े तीन आने स्क्वायर फिट मिली है। इससे अन्दाजा हो सकता है जमीन की कीमत का, और जो उन अफसरों को देनी पड़ी।

दूसरी शिकायत यह थी कि लोहा, सीमेंट और कोयला यह सामान मिला। जरूर मिला। मकान लोहा, सीमेंट और कोयले से बनता है। एक चीज कहना भूल गया। जिस चीज का जिक्र श्री राजनारायण जी ने मुझसे पीछे किया था उसका भी जिक्र करदूं। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास नहीं कराया गया और म्युनिसिपैलिटी का पानी मुफ्त में खर्च किया गया। नमूने के लिये एक नक्शा मैं लेता आया हूं जो म्युनिसिपैलिटी को भेजा गया। म्युनिसिपैलिटी से पास हुआ। म्युनिसिपैलिटी के वाटर वर्क्स के सुपरिंटेंडेंट के हुक्म से पानी का मीटर बैठाया गया। पानी दिया गया। जिस तारीख को मकान का बनना खत्म हुआ उस तारीख के बाद मीटर हटाया गया और पानी का उनसे दाम लिया गया। नमूने के लिये एक यह मैं लेता आया हूं।

उसी तरह से सीमेंट इत्यादि की बात है। जैसा मैंने कहा सीमेंट वगैरह दिया गया, नहीं तो मकान बनता कैसे। उसके परमिट्स भी देखे मैंने। मैंने यह देखा है कि उसी जमाने में पब्लिक के लोगों को जिनमें कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, इस सदन के माननीय सदस्य भी इधर के भी और उधर के भी और बैठे हुए हैं, लिस्ट मेरे पास है, उनको भी परमिट्स मिले हैं। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। वह चीज कायदे के अन्दर है। मकान बनाने के लिए सरकार का आर्डर था। सन् १९४७-४८ में सर्कुलर निकला था कि मकान कोई बनाना चाहता है और खासकर कोई ऐसा आदमी जिसके पास मकान नहीं है तो जहां तक हो उसको सुविधा दी जाय। तो उनको मिला और जितना कि काम में नहीं आया उन्होंने वापस भी

कर दिया ।

एक शिकायत और की गई कि प्लाईवुड की लकड़ी सीतापुर से बहुत सी आयी और उसके साथ-साथ एक चीज का और जिक्र किया गया कि वहां पर एक कल्वर्ट बना दी गई। जाहिर बात है कि इसका इशारा इस तरफ था कि जो प्लाईवुड का कारखाना था उसकी सुविधा के लिये वह कल्वर्ट बनाई गई जिनके बदले में वह प्लाईवुड उनको दिया गया । जाकर देख आवे कि वह कल्वर्ट कहां बनी है ? एक बार सीतापुर की प्लानिंग कमेटी में सवाल उठा कि कोई कल्वर्ट बननी चाहिए, लेकिन कोई कल्वर्ट नहीं बनी । यह शिकायत गलत थी। इन बातों में जाना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता । लेकिन चूंकि लोगों ने इसमें जाना जरूरी समझा और इस बार फिर इसका चर्चा किया गया, इसलिये मैंने यह सारे ब्योरे दे देने मुनासिब समझे । वह सारा ब्यौरा मेरे पास मौजूद है । मकान का नकशा भी मेरे पास मौजूद है। इससे ज्यादा क्या ब्यौरा रह जाता है ? किसी शरीफ आदमी की इज्जत के बारे में और क्या कहा जाय ? हम और आप खुद ऐसी बातों में नहीं जाना चाहेंगे। कोई छोटा-मोटा अहलकार जिसको अपने अफसरों से शिकायत होती है वह अगर ऐसी बातें करता है तो ऐसे लोगों को मुंह लगाना उनके साथ अन्याय करना है। ऐसे लोगों को हमें फटकार देना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। दुनिया में हर जगह ऐसी बात होती है। आज केरल में एक गवर्नमेंट है। उसके भी अफसरों में वहीं अफसर हैं, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में काम किया, जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में काम किया, जिन्होंने पी० एस० पी० के जमाने में काम किया, आज केरल की गवर्नमेंट उनसे काम ले रही है। हर जगह यह बात समझी जाती है कि अफसर तो एक मशीनरी है। इसलिये जो मशीन है उसको बनाकर रखना चाहिए। उनमें कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक किया जाय। लेकिन उनकी इज्जत अपनी इज्जत है। जितनी ही हम उनको खुश करके रखेंगे उतना ही हम उनसे काम ले सकेंगे। इसलिये टैक्टिकल दृष्टि से भी गलत चीज है। अब मैं यह आशा करता हूं कि यह किस्सा तो खत्म होगा ही और आगे के लिये भी हम इस किस्म के किस्सों से अपने को ऊपर रखेंगे। उसी में हम समाज की ज्यादा सेवा कर सकेंगे ।

कुछ दोस्तों ने यह शिकायत की थी कि यह बजट कोई क्रान्तिकारी नहीं है, कुछ आशा-जनक नहीं है । यह बात सही है। क्रान्तिकारी भी नहीं है और आशा-जनक भी नहीं है। और यद्यपि थोड़ी सी दिलचस्पी मुझको ज्योतिष में है, लेकिन इस वक्त बगैर ज्योतिष के कहता हूं अपने कामनसेंस से कि अगले साल जो बजट पेश होगा वह भी क्रान्तिकारी नहीं होगा और आशाजनक भी नहीं होगा और उसके बाद के साल का भी नहीं होगा, अगर जिस निगाह से लोग देखते हैं उसी निगाह से देखना चाहा तो । जो बात की जाय वह परिस्थिति को देखकर की जानी चाहिए । क्रान्तिकारी कहते किसे हैं और आशाजनक किसे कहते हैं ? इस परि-स्थिति के अन्दर क्या चीज आशाजनक हो सकती है इसको देखकर कोई बात कही जानी चाहिए । हम लोग किसी स्वतंत्र देश का बजट बनाने नहीं बैठे हैं । हम लोग इस परि-स्थिति में नहीं हैं कि बजट को ठीक करने के लिये अगर जरूरत हो तो पेपर मनी बना सकें । हम स्वतंत्र देश के एक टुकड़े हैं, चाहे कितनी बड़ी हैसियत हमारी क्यों न हो । आखिर क्या बजट बनेगा ? आज से २, ३ वर्ष पहले बजट के बनाने की जो स्वतन्त्रता थी वह आज हमारे पास नहीं है । आज से ५, ७ वर्ष पहले जब कि प्लान का जमाना नहीं था, जो कुछ भी हमसे हो सकता था, जैसी हमारी आमदनी थी उसके मुताबिक जैसा भी हम चाहते सही या गलत बजट बनाते, लेकिन अब जब से कि प्लानिंग की बात आई है तबसे हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ बंध गये हैं । आज जो विकास के काम कहलाते हैं जिनको कि किसी जमाने में, अंग्रेजी राज्य में, नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहा करते थे, राष्ट्रीय निर्माण करने वाले विभाग, ये जितने भी विभाग हैं उनको देखें तो मालूम होगा कि उनमें कुल ४७, ४८ करोड़ की रकम है जिसमें से सिर्फ २२ करोड़ हमारे हैं और बाकी केन्द्रीय सरकार के हैं । अगर स्वतन्त्र देश हम होते तो वे आमदनी के जरिए जो कि आज केन्द्रीय सरकार के पास हैं वे हमारे पास होते । चूंकि ऐसा नहीं है इसलिये सिद्धान्त के रूप में स्पष्ट है कि बटवारा होना चाहिए । लेकिन जहां आज ४७, ४८ करोड़ रुपया विकास के कामों में खर्च हो रहा है चाहे उसको शिक्षा में कहिए, उद्योग में कहिए या स्वास्थ्य

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पर कहिये, उसमें से २२ करोड़ रुपये हमारे हैं और बाकी २६ करोड़ उनके हैं। ऐसी हालत में हमसे यह आशा करना कि हम कोई क्रान्तिकारी बात कर सकते हैं यह असम्भव बात है। न हम कर सकते हैं और न कोई दूसरा ही कर सकता है, किसी तरह से कुछ भी नहीं हो सकता है, हां, छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं। ऐसा उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि हम प्लान के अन्दर हैं और जब तक कि हमें केन्द्रीय सरकार से मिलकर चलना है। आज अखिल भारतीय जो तस्वीर है उसके अन्दर जब तक हमारी जगह है तब तक हम उसके बाहर नहीं जा सकते। न तो इस समय जा सकते हैं और न आगे ही जा सकते हैं। प्लान का बनाना बन्द हो जाय फिर जो हमारी आमदनी होगी और जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा बजट बनावेंगे, लेकिन इस समय हम चाहते हैं कि हर आदमी इस बात को समझ ले। हर समय थ्योरी की बात करना बड़ा सहल है, लेकिन जो कुछ भी होगा वह आल इन्डिया तस्वीर के भीतर होगा, चाहे क्रान्तिकारी बजट हो या क्रान्तिकारी बजट न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को विचार करना चाहिए चाहे यह बजट आशाजनक लगे या आशा-जनक न लगे। मैं समझता हूं कि इन लिमिटेशन्स के होते हुए बजट बुरा नहीं है और आशा-जनक यह बजट निश्चय ही है। हां, यह हमारा दावा बिलकुल गलत होगा अगर मैं कहूं कि हमने कोई समाजवाद कायम कर लिया है। अगर हम यह दावा करें तो यह १६ आने गलत होगा। सिर्फ ४, ६ वर्षों के अन्दर समाजवाद कायम कर लेना, मैं समझता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, अगर समाजवाद कायम होगा तो सारे भारतवर्ष में कायम होगा। उत्तर प्रदेश जो कुछ चलना भी चाहे तो छोटा सा कदम ही चल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज वह नहीं कर सकता जैसी कि हमारे सामने बैठे हुए सदस्य कहते हैं। जिस दृष्टि से हमारे सामने बैठे हुए सदस्य कहते हैं वे कदम नहीं उठाये जा सकते।

कभी कभी यह चर्चा होती है कि यह बजट सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाता है। अब इस प्रदेश में अमीर भी रहते हैं, उनको भी फायदा पहुंचता होगा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत काम जो हम करते हैं, थोड़ा सा ही सही, उसमें से कौन सा हमने अमीरों के साथ किया है? अगर ४,६ मील सड़क बन गई, कुछ खड़ंजा बिछ गया, प्राइमरी स्कूल खुल गये, आयुर्वेदिक स्कूल खोला गया तो उससे कौन सा फायदा करोड़पतियों को हो गया। इन सब बातों के कहने से अपनी आंखों के सामने गलत तस्वीर आती है। बहुत सी कमियां हैं लेकिन उनकी तस्वीर आपके सामने ठीक होनी चाहिये। हमारे सामने तस्वीर आनी चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं और जब वह चीज हमारे सामने ठीक आवे तब देखा जाय कि क्या कमी है, लेकिन जब एग्जैजेरेटेड तस्वीर हमारे सामने आ जाती है तो उसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी ने रोग ही नहीं समझा तो उसका इलाज ही नहीं हो सकता। इसलिये ठीक तस्वीर सामने होनी चाहिये।

इस बात का भी जिक्र आया कि हम इंडस्ट्री की बात बहुत करते हैं और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर इंडस्ट्री की तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। तो इसमें क्या शेखी करते हैं जो उद्योग की बात करते हैं। यह जरूर है, कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा। तो खाली हमारे लिये नहीं कहा गया, यह तो सारी स्टेट्स के लिये और केंद्र के लिये कहा गया और ठीक कहा गया। जहां तक शेखी की बात है तो मैंने तो कभी की नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि निष्पक्ष रूप से देखना चाहिये कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुछ फर्क हुआ है उत्तर प्रदेश में या नहीं, उद्योगों की तरफ कुछ विशेष ध्यान दिया गया है या नहीं। कम सही, लेकिन कुछ बढ़े हैं या नहीं? और जहां तक शेखी की बात है, अगर हम कोई उद्योग लाये हैं तो हम अकेले नहीं लाये हैं वह तो आपके बल पर लाये हैं। आज चाहे हम नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल से बात करते हैं, चाहे प्लानिंग कमीशन से बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं तो हम एक पार्टी की तरफ से नहीं

कहते, १०, २०, २५ मिनिस्टरों के बल पर बात नहीं करते, इधर जो लोग बैठे हुये हैं उनके बल पर बात नहीं करते, आपकी और सबकी तरफ से बात करते हैं। अगर हम कुछ ला सके हैं तो उसका श्रेय हमको नहीं है, आपको भी श्रेय है। हो सकता है कि हमारी आवाज दुर्बल हो लेकिन साथ ही इसके यह मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ हमारा प्रदेश उद्योग की तरफ बढ़ा है।

माननीय नारायणदत्त जी ने कुछ फिगर्स पढ़े। मिले-जुले फीगर्स पढ़ दिये कि फलां प्रदेश को इतना मिला और फलां को इतना मिला और उत्तर प्रदेश को प्राइवेट सेक्टर में केवल १२ लाख मिला।

श्री नारायणदत्त तिवारी--फारेन एक्सचेंज के लिये कहा था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१२ लाख मिला, बिलकुल सही बात है। लेकिन मेरी एक शिकायत रहती है कि जब वह फिगर्स पढ़ने लगते हैं तो आधी बात पढ़ के पढ़ना छोड़ देते हैं, इससे दिक्कत हो जाती है। यह जो कहा गया वह आधी बात कही गयी और यह नहीं कहा गया कि मैंने बाद को कहा था कि आपकी कोशिश से, आप लोगों की कोशिश से रिहैन्ड डेम भी उसमें शामिल हो गया है और १२ लाख से बढ़कर कई करोड़ रुपया हो गया है। इस बात का खयाल नहीं रहा कि ज्यादा तो नहीं सही, लेकिन हरदुआगंज में एक थरमल पावर स्टेशन के लिये भी फारेन एक्सचेंज मिल गया। तो वह चीज भी अगर सामने आ जाती, आधे पर न रुक जाते तो ज्यादा अच्छी तस्वीर आजाती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तब आपने यह नहीं कहा था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तब नहीं कहा था, बाद वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं आपने।

जैसा मैंने कहा, मैं अलग अलग विभागों के ब्योरे की बातों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन एक आध चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। यहां पर जिक्र आया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गांव ऊपर उठाये गये, जिन में से ४० गांव ऐसे थे जिनका वजूद ही नहीं। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो ऐसे ४० गांव जिनका अस्तित्व ही नहीं उनके लिये काफी रुपया खर्च हो गया, यह तो बड़े अंधेर की बात होती। तो कुछ थोड़ी सी रिसर्च करने पर--वैसे मैं रिसर्च करना जानता नहीं--मालूम हुआ कि चालीसों गांव मौजूद हैं। फर्क क्या हुआ वह फर्क यह है कि उन गांवों के नाम जो 'सर्वे आफ इंडिया' में लिखे हैं और जो हमारे कागज में लिखे हैं उनमें कुछ फर्क है। मिसाल के तौर पर सर्वे आफ इंडिया में एक गांव "चुटहन" या "छुटहन" है और हमारे यहां 'चुटोह" है। सर्वे आफ इंडिया में एक नाम 'रमवल" है और हमारे यहां 'रमोली' लिखा है। तो रमोली नाम का कोई गांव जाहिर है, कि सर्वे आफ इंडिया में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा परिश्रम किया जाय तो चालीसों गांव उन्हें मिल जाते। जैसे वहां एक गांव का नाम "मधुपुरवा" लिखा है और हमारे यहां "मधुपुरा" है। उनके यहां एक गांव "त्यारी" है वह हमारे यहां "प्यारी" हो गया। उसमें एक गांव "ढिकसी" है, उसको हमारे कागज में "ढिकई" लिखा है, "महेशपुर" को "महेपुर" लिखा है। तो भगवान की कृपा से ये चालीसों गांव और उनके रहने वाले मौजूद हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। प्लानिंग तथा एन० ई० एस० ब्लाक्स के संबंध में तो संभवतः जब प्लानिंग डिपार्टमेंट का बजट आयगा उस समय चर्चा होगी, इसलिये मैं इसका जिक्र नहीं करता हूं। लेकिन एक सिद्धांत की बात है, उसका जिक्र करता हूं, ब्योरे का जिक्र नहीं करता हूं। एक माननीय सदस्य ने, शायद सुल्तान आलम खां साहब ने, यह कहा, अगर मैं गलत न समझा होऊं कि जो काम ब्लाकों में हो रहा है उसको पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरा खयाल यह है कि मैं यह नहीं कह सकता कि पंचायतों से वह होगा या नहीं। लेकिन हमें यह ख्याल रखना चाहिये कि जहां ब्लाक्स की बात है तो यह एक आल इंडिया तस्वीर है,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हमें जो रुपया मिलता है वह एक आल इंडिया बेसिस पर मिलता है और खास-खास कामों के लिये मिलता है जैसे स्टाफ के लिये भी मिलता है; इसी तरह से सारे सूबों में जैसे मदरास, बंगाल आदि में मिलता है और सारे देश में एक ही पैटर्न है, इसलिये उनसे इस काम को हटाकर पंचायतों के सुपुर्द करना हमारे लिये संभव नहीं है ।

एक बात और है और उसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं और अब फिर करता हूं कि एक साहब ने शिकायत की थी कि गवर्नमेंट से बना हुआ प्लान प्लानिंग कमेटी के सामने आ जाता है । तो यह उनकी सही शिकायत है और हम चाहते हैं कि यह दूर होनी चाहिये । पहले प्लान के बारे में यह था कि :— "Government plan with people's co-operation" लेकिन अब हमारा प्रयत्न है कि दूसरा प्लान यह होना चाहिये कि "People's plan with Governments, co-operation." जो आज हमारा ढांचा है उसमें यह पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है । बहुत से माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सवाल भेजते हैं और वह भी मजबूर हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं और हमारी भी दिक्कतें हैं, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि यह चीज दूर होनी चाहिये । जो इनका इनीशियेटिव है वह यहां न रहकर नीचे चला जाना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि प्लान ऊपर से बना कर दे दिया जाय और प्लानिंग कमेटी खाली उस पर अमल करे । बल्कि उस कमेटी को ही प्लान बनाना चाहिये । उनको विश्वास होना चाहिये कि यह चीज हमारी है । हम इस चीज को निकाल रहे हैं, हम इस चीज को बना रहे हैं । हम अमल कर रहे हैं, यह होना चाहिये । हम सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह सूरत बदल जाय । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी की जगह एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन जाय जिसमें जनता के प्रतिनिधि होंगे । और उनको सारे अधिकार होंगे और केवल यह अधिकार कागज पर ही नहीं होंगे, जैसे आज कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तमाम दुनिया के अधिकार होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है । लेकिन इसके पास वही पैसा रहेगा जो प्लानिंग कमेटी के पास रहता है ताकि वह लोगों की इच्छा के मुताबिक प्लान बना सके और खर्चा कर सके । जितनी जल्दी हम इस चीज को कर सकेंगे उतनी ही हमें शान्ति मिलेगी । मैं समझता हूं कि जब हम लोग सब मिलकर ऐसा कर सकेंगे तो लोगों की शिकायतें दूर हो जायंगी और प्लानिंग का भी सही माने में उद्देश्य पूरा हो सकेगा ।

फिर भी एक बात से आप लोगों को संतोष होगा । अभी जो बलवंतराय कमेटी आई थी उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी । उन्होंने लिखा है कि कई बातों में जहां हमारे यहां कमियां हैं, उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत ऊंचा है । जहां तक गांव वालों के सहयोग की बात है उत्तर प्रदेश का ९८ प्रतिशत सहयोग है और कंट्रीब्यूशन ७२ से लेकर ७५ प्रतिशत है ।

अब और बातों का जिक्र करने में तो देर होगी । माननीय नारायणदत्त जी ने कई जरूरी बातों का जिक्र किया । उनकी मैं चर्चा इस लिये करना चाहता हूं कि शायद वह किसी ग्रांट में नहीं आयेगी और उनका फाइनेन्स से विशेष सम्बन्ध है । कोई भी राज्य हो यह बहुत जरूरी चीज है कि उसकी फाइनेन्सियल हालत ठीक हो, उसकी साख बहुत अच्छी हो । अगर किसी राज्य की साख बहुत अच्छी है तो सब बातें हो सकती हैं । मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं । एक चीज को असल में मैं कहना चाहता हूं । यहां कुछ जिक्र आया कोआपरेशन का और कुछ कोआपरेटिव फार्मिंग का । इन दोनों बातों के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं । यह बातें अकसर आती रहती हैं और अखबारों में आती रहती हैं, इसलिये अच्छा है अगर सदन के सामने इनका जरा जिक्र आ जाए ।

जहां तक कोआपरेशन के रूप का सम्बन्ध है हम खुद बहुत ज्यादा उससे संतुष्ट नहीं हैं। यह सही है कि जितना काम कोआपरेशन के जरिये से होना चाहिये वह नहीं हो सका। जीवन के जितने क्षेत्रों में कोआपरेशन को जाना चाहिये उतने क्षेत्रों में वह नहीं जा सका। जो कुछ किया भी उसमें कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरफ जरा ज्यादा ध्यान हुआ, लेकिन उससे भी जितने लोगों को फायदा पहुंचना चाहिये, वह उसके रूल्स हैं, नियम हैं जिनके कारण वह नहीं पहुंच सका। इस प्रश्न पर हम स्वयं विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नियमों में परिवर्तन किया जाय, ताकि पब्लिक मनी की रक्षा होते हुये अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे। हम खुद चाहते हैं कि अगर हमको सोशलिज्म की तरफ जाना है तो उसका एक बड़ा भारी कदम यह है कि जीवन के कई विभागों में कोआपरेशन को हमें ले आना होगा। तो हम सोच रहे हैं इस विषय में, और मैं ज्यादा नहीं कहता।

हां, कोआपरेटिव फ़ार्मिग की बाबत जरूर कहना चाहता हूं। देश में एक ऐसी विचार धारा है कि हमारा कल्याण कोआपरेटिव फ़ार्मिग के द्वारा ही हो सकता है। यों ऐसे भी लोग हैं जो कोआपरेटिव फ़ार्मिग से एक कदम आगे जाकर कलेक्टिव फ़ार्मिग की बात सोचते हैं---जैसा कि रूस में है। कलेक्टिव फ़ार्मिग की बात छोड़ दी जाय, लेकिन कोआपरेटिव फ़ार्मिग की तरफ़ बहुत लोगों का विचार है कि फ़ौरन कर देनी चाहिये। हमारे सामने कभी-कभी चीन की मिसाल आती है कि वहां के किसान बड़ी जल्दी तैयार हो गये और एक दिन में कोआपरेटिव फ़ार्मिग हो गयी, मैं क्या कह सकता हूं, चीन में गया नहीं। चीन में एक दिन में कोआपरेटिव फ़ार्मिग नहीं हो गयी, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन जिन बातों को मैंने पढ़ा और देखा है उससे मेरे मन में एक शंका ऐसी उठती है कि कोआपरेटिव फ़ार्मिग ऐसी कोई आसान चीज नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि महीना, १५ दिन के अन्दर चीन में कोआपरेटिव फ़ार्मिग हो गयी, हर काश्तकार ने अपने खेत को कोआपरेटिव्ज में डाल देना मन्जूर कर लिया, तो चीन का काश्तकार भी वैसा ही आदमी है जैसा कि हमारे भारत का काश्तकार है। हमने भी कई जगह प्रयोग किया। मैं एक अपना अनुभव आप लोगों को बताता हूं। आप जानते होंगे कि एक सोल्जर्स, सेलर्स ऐंड एयरमैन्स बोर्ड है। पहली लड़ाई जब हुई थी तो उस जमाने में बहुत से सोल्जर्स के लिये रुपया जमा हुआ। उसके पूरे ब्योरे में जाने की जरूरत नहीं पर १ करोड़ से कुछ ऊपर रुपया इकट्ठा हुआ था। उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी का मैं चेयरमैन था। हमारे प्रान्त में कुछ जगहों पर सोल्जर्स बसाये गये हैं। उनको मदद देने की जरूरत पड़ती है। तो आज से ४,५ साल पहले की बात है हमने कहा कि यहां पर कोआपरेटिव फ़ार्मिग की जाय और जो लोग कोआपरेटिव फ़ार्मिग के अन्दर नहीं आयेंगे उनकी मदद नहीं करेंगे या कम से कम उनकी शर्तें कुछ कड़ी कर देंगे। हो सकता है कि मेरी गलती हो चूंकि मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन वह हमारा प्रयोग बिल्कुल असफल रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक मर्तबा प्रयोग असफल होने से वह सारे देश के लिये असफल होगा। ऐसा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, परन्तु मेरा ऐसा खयाल है कि इस काम में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिये। सम्भव है कि हम जल्दी में कर डालें और पीछे हमें पछताना पड़े। ऐसा हमारा खयाल जरूर है कि हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुये आजकल जो खेती का तरीका है उसको एकदम बदल डालना, हर जगह कोआपरेटिव फ़ार्मिग कर देना बहुत अच्छा नहीं होगा। उसको धीरे-धीरे करना चाहिये। इसलिये हमने सोचा कि पहले ब्लाक्स में कोआपरेटिव फ़ार्मिग करनी चाहिये और देखा जाय कि वहां वह कहां तक सफल होती है। इस सम्बन्ध में चकबन्दी से सहायता ही मिलने वाली है। कोई नुकसान नहीं होने वाला है और अगर वह प्रयोग सफल नहीं होता है तो फिर हमारे लिये सोचने की बात होगी। इस सम्बन्ध में जो हमारे प्रदेश की नीति है उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आंख बन्द करके, महज इसलिये कि एक हवा उठ गई कि कोआपरेटिव फ़ार्मिग बहुत अच्छी चीज है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे कोआपरेटिव फार्मिग हो, चाहे कोआपरेशन की बात हो या चाहे और भी ऐसे तरीके हों जो समाजवाद की तरफ ले जाते हों, एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिये कि वहां पर काम करने वाले आदमियों की संख्या बढ़ेगी। यहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि सरकारी अफसरों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जिन माननीय सदस्यों ने इस बात का यहां पर जिक्र किया मेरा उनसे यह निवदन है कि वे उन देशों की तरफ नजर डालें जिन देशों में सचमुच समाजवाद की व्यवस्था चल रही है। समाजवाद की जो पुस्तकें हैं उनको भी देखें। वे देखगें कि शासन के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसा महात्मा गांधी कहा करते थे कि सच बात तो यह है कि सरकार ऐसी हो जो शासन में कम से कम हाथ डाले। आज से कुछ समय पहले जो राज्य होते थे उन राज्यों का यह काम था कि लोगों की रक्षा करें, न्याय की व्यवस्था करें और कुछ विद्वानों का भी सत्कार कर दें। और अगर कहीं पर कहत पड़ गया या और कोई मुसीबत आ गई तो थोड़ी सहायता प्रजा की कर दी। बस इतना ही उनका काम था। लोगों के जीवन के भीतर वह दखल नहीं देते थे। हो सकता है यह व्यवस्था उस दिन हो जाय जिस दिन सोशलिज्म पूरे तरीके से आ जाय 'व्हैन दि स्टेट शैल व्हिदर अव' जबकि स्टेट सूखे फूल की तरह से खत्म हो जाय। तब शायद ऐसी व्यवस्था कम से कम नहीं रहेगी कि जहां पर गवर्नमेंट गवर्न कर सके और करेगी तो बहुत कम गवर्न करेगी और जब वहां पर गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो फिर गवर्न कौन होगा। लेकिन इस बीच में जो व्यवस्था है तो उस शुरू की सोशलिज्म की स्टेज में सरकारी अफसरों की संख्या जरूर बढ़ेगी, क्योंकि सोशलिज्म के मायने यह होते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सरकार का प्रवेश करना, शिक्षा के काम में सरकार का प्रवेश, निर्माण के कार्य में सरकार का प्रवेश, मनोरंजन के कार्यों में सरकार का प्रवेश। इसलिये कोई भी जीवन का क्षेत्र नहीं रहता है जहां पर सरकार का प्रवेश न हो। इस सोशलिज्म की प्रारम्भ की स्टेज में इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि सरकार अफसरों को अधिक संख्या में रखे। हर एक सरकार को इसका प्रबन्ध करना पड़ता है। सरकारी अफसरों को रखना है तो वह इसलिये कि सरकार जो आज्ञा निकालती है तो वह यह देखती है कि उसकी आज्ञा का पालन सही तरीके हो रहा है या नहीं। अगर उस तरह से लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो फिर सरकार कानून बनाकर उसका पालन कराना चाहती है। उसके लिये और अफसरों को मुकर्रर करना होता है कि वह यह देखें कि कानून का पालन ठीक हो रहा है या नहीं। जैसा कि यहां पर कहा गया कि यहां के राज्य की ईमानदारी को देखने के लिये कोई सी०आइ०डी० रखी जाय। तो फिर उस सी०आई०डी० की देखभाल करने के लिये कोई और सी० आइ० डी० रखी जाय जो यह देखें कि वह रिश्वत तो नहीं लेती है। तो फिर इस तरह से अन्त नहीं होगा। बहरहाल सोशलिज्म एक ऐसी चीज है जिसके बीच के स्टेज में इन सब बातों की जरूरत होगी और उसके लिये लाजिम है कि सरकारी अहलकारों की संख्या बढ़े, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने की बात ऐसी सरकार के लिये होती है। सरकारी आदमियों को रखना पड़ेगा इससे कोई सरकार जो इस तरह से जीवन क्षेत्र में प्रवेश करती है, बच नहीं सकती। इसलिये हमको सोच विचार कर चलना है। अगर हमको सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है तो सरकारी अफसरों की संख्या जरूर बढ़गी।

अब मैं जैसा कि नारायणदत्त जी नें जिक्र किया और लोगों ने भी जिक्र किया कि यहां पर कभी एक्सेस का बजट बनता है तो कभी डेफिसिट बजट बनता है। बिलकुल सही है। इस प्रकार स बजट बनते हैं और बनते रहेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं जानते हैं और न जान सकते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनका पहले से अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। कभी आपत्ति आती है या और कोई खास बात हो जाती है। इतने आदमी यहां पर बैठे हैं सभी अपनी गृहस्थी चलाते हैं। एक विद्वान् आदमी है और दूरदर्शी भी है, क्या उसको यह अन्दाजा रहता है कि साल भर के अन्दर उतना ही खर्चा होगा जितना कि उसने साल भर के लिये रखा है? कभी घर में कोई

बीमार पड़ जाता है तो डाक्टरों को जो रुपया उसे नजर करना होता है पहले से उसका अन्दाजा नहीं किया जा सकता। या ऐसा होता है कि एक आदमी के बजाय दो आदमी घर में बीमार हो गये तो फिर ज्यादा खर्चा होता है। मैं यह उदाहरण के लिये कहता हूं कि बजट में आना पाई बैठाना असम्भव बात है। वही बात किसी सरकार के लिये भी हुआ करती है। हम बजट जितना ठीक हो सकता है बनाते हैं, ठीक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी खर्च नहीं हो पाता, कभी अन्दाजे से ज्यादा खर्च हो जाता है। तो यह कहना कि बिल्कुल ठीक-ठीक बजट बनाया जाय, यह हो नहीं सकता। वह कभी सरप्लस होगा और कभी डेफिसिट और यह जरूर होगा। लेकिन नारायणदत्त जी ने यह ठीक कहा था कि बजट का रिवीजन होना चाहिये। नया बजट मैनुअल बनना चाहिये। वह बन रहा है और रिवाइज हो रहा है। अभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, जो नये परिवर्तन हुए हैं उनको ध्यान में रख कर हम इस वक्त बजट बनाते रहें और जितनी जल्दी वह बजट मैनुअल बन जाय उसके बाद उस पर अमल करें।

एक और दिक्कत की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि सरेंडर करना पड़ता है और कभी एक्सेस हो जाता है। यह ठीक है लेकिन हमारे बस की बात यह है नहीं। आडिटर जनरल आफ इंडिया ने हमारे लिये एक ढांचा बना दिया है और उसी में हमको अपना बजट बनाना पड़ता है। हमारी मजबूरी है। जब तक आडिटर जनरल नया ढांचा न बना दे तब तक उन्हीं के बताये तरीके पर हम को अपना बजट बनाना पड़ेगा।

एक और बात की ओर उन्होंने इशारा किया कि आडिट और एकाउन्ट्स को अलग-अलग करना चाहिये। एकाउन्टेन्ट जनरल और आडिटर जनरल एक ही को नहीं होना चाहिये, इस बात को हमने सिद्धांत रूप में मान लिया है। जब आडिटर जनरल आफ इंडिया यहां आये थे लखनऊ तो उन से और मुझ से काफी बात हुई। लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो पता लगा कि इसके अलग करने में बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने कोशिश की और दूसरी स्टेट्स में कोशिश की, लेकिन उस के लिये किसी स्टेट की हिम्मत नहीं पड़ी कि उतना रुपया दे सके उसके लिये। यह समझते हुये भी कि यह सिस्टम ठीक नहीं है, हमको इसमें ही चलना है, इसलिये कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम इनको अलग-अलग कर सकें।

एक सवाल और था कि हमारा फाइनेंशियल ईयर पहली अप्रैल के बजाय अक्टूबर, नवम्बर से शुरू हो। इसके लिये प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के दरवाजे हम न जाने कितनी बार खटखटा चुके हैं। हमने कहा कि अच्छा होता कि हमारा फाइनेंन्शियल ईयर खरीफ की फसल के बाद अक्टूबर में शुरू हो जबकि फसली सन् शुरू होता है। बार-बार हमन कहा, लेकिन बार-बार गौर करने के बाद भी वह इसी नतीजे पर पहुंचे कि हम नहीं बदल सकते और जाहिर बात है कि जब सेंटर नहीं बदल सकता है तो हम भी नहीं बदल सकते।

इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत सी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाते हुये माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत सी फैक्टरियों के नाम ले लिये। अगर कोई और सदस्य यह बात कहता तो मैं मान भी लेता, लेकिन उनको तो इसकी बहुत सी कथा मालूम होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि इन में सरकार का बहुत सा रुपया डूबा हुआ है। डूबा है लेकिन उन के नाम सुन कर ही बहुत से सदस्यों को मालूम हो जायगा कि मामला क्या है। इन में से ज्यादातर फैक्टरियां हैं रामपुर, टेहरी और बनारस स्टेट में जब यह राज्य विलीन हुये तो उनका जो भी भला बुरा था वह सब हम को मिला और उन में यह कारखाने भी मिले। वहां के राजा और नवाबों ने इन कारखानों में शेयर खरीद रखे थे। क्यों खरीदे थे यह तो वे लोग जानें, लेकिन उन के शेयर थे और वे सब हम को मिले और यह सब हमारे पास पड़े हुये हैं। किसी कारखाने में ५,००० के शेयर हैं, किसी में १०,००० के, किसी में १०० शेयर हैं किसी में १,००० लेकिन यह सब कागजी शेयर हैं। बाजार में किसी भाव बिकते नहीं। हां, बाबिन फैक्टरी का जो जिक्र किया वह ठीक है, यह यू० पी० सरकार की फैक्टरी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

थी और सरकार का फारेस्ट विभाग इसको चलाता था। १९२३ तक यह चलती रही और बड़ा घाटा रहा। उस समय की सरकार में दो-तीन लोग थे जिनमें एक श्री जे०पी० श्रीवास्तव भी थे, उनके सुपुर्द किया इसको। सेकिन्ड वर्ल्ड वार आई तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन कभी फायदे से नहीं चली। बहरहाल, उस वक्त जो सरकार थी उस ने २० साल के लिये जे० पी० श्रीवास्तव ऐन्ड संस को इसका मैनेजिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया। हमारी गवर्नमेन्ट जब आई तो हमने कई तरह की शिकायतें सुनीं। हमने उनसे मैनेजिंग एजेंसी ले ली और उनके शेयर्स भी खरीद लिये। वह चीज पूरे तौर से हमारे हाथ में आ गई। लेकिन १९२३ से जैसा घाटा होता था वैसे ही होता रहा। बाबिन वहां बनता है जो कपड़े की मिलों में काम आता है। हिन्दुस्तान में कई कारखाने अपना बाबिन बनाने लगे। इसकी मशीनें बहुत पुरानी थीं और उसके माल की बिक्री नहीं हुई। हमने कोशिश की कि इससे कोई और काम जैसे लकड़ी चीरना है लें। मगर कोई काम नहीं हुआ। इसकी बिल्डिंग किराये पर दी है और आशा है कि पहली जनवरी से ३००० किराये का आवेगा। कोई ठीक प्रयोग उस मशीनरी का समझ में नहीं आता है। इस ओर हमारा कुछ भी और रुपया लगा हुआ नहीं है।

अब जरा सा जिक्र मैं कर्ज का कर देना चाहता हूं। कर्जे का नाम सुनकर किसी को भी घबराहट हो सकती है कि यू०पी० की हालत बहुत खराब है और दीवालिया गवर्नमेन्ट हो गई है। इसका ब्यौरा जो किताब यह सबको बांटी गई है इसके पेज १३१ पर दिया हुआ है। नारायण दत्त जी ने नीचे पढ़ा कि क़र्जा है ३२८ करोड़। ठीक है, लिखा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों का प्राविडेंट फंड होता है, उसका डिपाजिट होता है। जो मनुष्य पब्लिक फाइनेंस को कुछ जानता है वह जानता है कि सरकारी कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फंड दिया जाता है। कितना देना है, वह लिखा हुआ होता है। वह किसी से क़र्जे के नाम से नहीं लिया जाता है। सारे कर्मचारी एक साथ पेंशन भी नहीं लेते हैं। सदन को, गवर्नमेन्ट को, इस बात का ज्ञान रहे कि कितना रुपया प्राविडेंट फंड का देना है, इसलिये वह लिखा हुआ होता है। लोन का डिपाजिट्स २९ करोड़ का है जो महज कागज पर लिखा होता है और कभी देना नहीं पड़ता है। ६५ करोड़ रुपये की रक़म जमींदारी अबालिशन फंड के बांड्स की है। वह कर्जा नहीं है। इस सदन की राय से वह चीज हुई। जहां हमारी लैन्ड रेवेन्यू की ८ करोड़ आमदनी थी वहां १८,१९ करोड़ तक पहुंची, इसलिये उसके देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है कम्पेनसेशन बान्ड्स और रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट। इसे क़र्ज नहीं कहना चाहिये। इसे निकाल कर २३५ करोड़ बचते हैं। माननीय वित्त मंत्री की स्पीच आप लोगों ने पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ी और हमने बाजार से अगर ५ पैसे भी कर्ज लिये तो उसके लिये सिंकिंग फंड मौजूद है। यह हमारी साख का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से जो कर्जा लेते हैं उसके लिये कोई सिंकिंग फंड नहीं है। दूसरे उन्होंने कहा कि कैपिटल के द्वारा क़र्जा अदा नहीं करना चाहिये। थ्यौरी में यह बात सही है कि क़र्जे को रेवेन्यू से अदा करना चाहिये। २३५ करोड़ वाली सब चीजें रेवेन्यू से अदा की जाती हैं। आप रोज अखबारों में देखते हैं कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने इतने करोड़ रुपये का कर्जा लिया चूंकि फलां-फलां लोन इस साल खत्म होने वाले थे। एक कर्जा लेते हैं दूसरे के अदा करने को, जो कनवर्टीबिल लोन होता है। यह पब्लिक फाइनेन्स की ए० बी० सी० है और लोन के जरिये लोन अदा किया जाता है। हां, एक बात है। आज ही एक सज्जन से बात हो रही थी। लोन की शृंखला उस दिन खत्म होगी जब कभी अपनी माली हालत इतनी अच्छी होगी कि हमारी समझ में यही न आवे कि रुपये का क्या करें, तो सोचें कि लाओ क़र्जा ही अदा कर दें। उस दिन ऐसा हो जायगा। यह बिलकुल मामूली सी बात है। यह तो इसकी ए० बी० सी० है कि कैपिटल के जरिये से लोन अदा होता है।

अब मैं सिंकिंग फंड की बात पर आता हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने और दूसरे हमारेसाथियों ने देखा होगा कि आज से दो साल पहले जो लोन हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से

लेते थे, डेवलपमेंट के लिये, उस हर लोन के लिये हमने अपने बजटों में सिंकिंग फंड की रकम रखी है। दो साल हुए प्लानिंग कमीशन ने कहा कि सिंकिंग फंड न बनाओ। जब हमने उनसे कहा कि एक न एक दिन तो हमें वह देना ही है और जब हमको वह देना होगा तो एक दम से कहां से लायेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखा जायगा। ऐसा उन्होंने सब स्टेट्स को लिख कर भेज दिया कि सिंकिंग फंड न बनाया जाय। इसलिये दो वर्ष से गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो रुपया हम लेते हैं, उसके लिये कोई सिंकिंग फंड हम नहीं रखते। जब हमारा महाजन ही ऐसा कहता है तो फिर हमें उसकी क्या चिन्ता होनी चाहिये। शायद हमारे महाजन का वह रुपया लेने का इरादा ही न हो।

माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात का और जिक्र किया कि फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि नेचुरल केलेमिटीज का भी कोई फंड होना चाहिये। उस समय माननीय माल मंत्री जी से उनकी कुछ प्रेम की बातें हुई थीं, मैं उनको समझ नहीं पाया। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, वह फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के १७ वें चेप्टर के १८४ वें पैरा में उसका जिक्र है। उसमें कहा गया है कि--

"If any state has an existing fund, its scope should, if necessary, be widened to cover all natural calamities."

लेकिन हमारे यहां सन् ३६ में ही फेमिन ऐक्ट बना था जिसमें फेमिन फंड के बारे में जिक्र है। इस ऐक्ट के सेक्शन ५ (२) में इस प्रकार लिखा हुआ है--

"That the Fund should be spent also for relief of distress of a serious nature arising from drought, flood or other natural calamities."

तो १९३६ में जो कानून बना उसमें हमारे यहां फेमिन फंड वाली चीज रखी गयी जिसके बारे में फाइनेंस कमीशन ने अब कहा है। सन् ५६-५७ में हमने १०५ लाख रुपया उसमें डाला था और इस साल भी उसमें १६ लाख रुपया रखा है। इस प्रकार से हमने उस फंड को जीवित रखा है जिससे अगर जरूरत पड़े तो हम वान्टिंग न पाये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि ५० लाख रुपया रखा जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१०५ लाख डालने वाले भी तो हम ही हैं। इस प्रकार से जो सैद्धान्तिक बातें थीं उनका मैंने जिक्र कर दिया। अब केवल इतना और कह देना चाहता हूं और इन सब बातों की तरफ ध्यान देने के बाद, मैं ऐसी आशा करता हूं कि माननीय सदन जरूर इस राय पर पहुंचेगा कि आज चाहे इस गवर्नमेंट का कोई काम ऐसा हुआ हो या न हुआ हो जिसके लिये वह गर्व कर सके, गवर्नमेंट की बात जाने दीजिये, इस प्रदेश का रिकार्ड ऐसा है जिस पर कोई भी प्रदेश गर्व कर सकता है। गवर्नमेंट के रिकार्ड से प्रदेश का रिकार्ड ज्यादा महत्व रखता है। हमारी दिक्कतें हों लेकिन हमारे प्रदेश का जो रिकार्ड है, उस पर कोई भी प्रदेश गर्व कर सकता है। इस बात को हम मानते हैं कि हम अपने यहां समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं कर सके और हम यह भी दावा नहीं करते हैं कि ४ वर्ष के अन्दर-अन्दर यह हो जायगा। हम इस बात का भी दावा नहीं करते कि हमने इस प्रदेश की गरीबी दूर कर दी, हम इस बात का भी दावा नहीं करते कि इस प्रदेश में जितने बेकार हैं या करीब-करीब बेकार हैं उनकी बेकारी दूर कर दी, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि सब बातों को देखते हुये, जो हमारे पास साधनों की कमी है उनको देखते हुये, हम उस रास्ते पर जरूर बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना तो झूठे अभिमान की बात होगी, लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे हमारा प्रदेश अन्त में सुखी, समृद्ध और सम्पन्न हो सकेगा। लेकिन ये काम अकेले हमारे करने के नहीं हैं, मैं ट्रूइज्म के फारमूले को नहीं दोहराऊंगा और न उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने ही उसे अपनी बजट स्पीच में दोहराया, हम सब मिल कर उस काम को करें तभी वह काम हो सकता है। अंग्रेजी में है :

"Truism formula if we all put our shoulders together."

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

"हम सब इस काम के लिए एक कन्धा लगा कर काम करें" तभी यह काम हो सकता है। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं और आज भी हैं, सब की रायें एक सी नहीं होतीं, रायें अलग-अलग हो सकती हैं, पोलिटिकल रायें अलग-अलग हो सकती हैं, आर्थिक रायें अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन कोई किसी भी तरीके से शासन करे, यदि उत्तर प्रदेश आगे अच्छा हो, सुखी हो, और सम्पन्न हो तो उसी तरीके से शासन चलाने में शोभा की बात है। यदि उत्तर प्रदेश गरीब हो, दरिद्र हो तो उत्तर प्रदेश का शासन चलाना कोई शान की बात किसी भी सरकार के लिये नहीं हो सकती। अस्तु हमको चाहिये कि हम सब मिल कर उत्तर प्रदेश को सुखी और सम्पन्न बनाने की कोशिश करें। मतभेद तो बाद में दूर होते ही रहेंगे। मुझे आशा है कि भगवान हमें ऐसी शक्ति और बुद्धि देगा जिससे हम इस रास्ते पर ज्यादा अमल करें।

श्री अध्यक्ष— अब आज का कायक्रम समाप्त हुआ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिय स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६ पर)

सन् १६५७ में आगरा क्षेत्र में रजिस्टर्ड की गई सहकारी समितियों का ब्यौरा

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नंबर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टर्ड पता ग्राम	पोस्ट आफिस	तहसील
			जिला अलीगढ़			
१	५-६-५७	१२८६	जैदपुरा सहकारी समिति	जैदपुरा	जैदपुरा	खैर
२	,,	१२६०	नरहरपुरनं० २ स०स०	नरहरपुर	नं०२ वजीदपुर	सिकन्दराराव
३	८-६-५७	१२६१	पश्चिमी लोधा स०स०	पश्चिमी लोधा	लोधा	काले
४	१०-६-५७	१२६२	विजयगढ़ पश्चिमी सहकारी समिति	विजयगढ़	विजयगढ़	सिकन्दराराव
५	१३-६-५७	१२६३	पीपल का नगला सहकारी समिति	पीपल का नगला	अहमद्रपुर	काले
६	१४-६-५७	१२६४	गहनाव में मजराजात सहकारी समिति	गहनऊ	गहनऊ	इगलास
७	,,	१२६५	सलेमपुर सहकारी समिति	सलेमपुर	इगलसि	,,
८	,,	१२६६	लिघोली सहकारी समिति	लिघोली	,,	,,
६	,,	१२६७	चूहरपुर किमसा सहकारी समिति	चूहरपुर	किमसा-दंतोली	,,
१०	,,	१२६८	बलुआ बलोंथ स०स०	बलुआ बलोथ	भंगरा	,,
११	,,	१२६६	अजहरी दम्पुरा में मजराजात सह० स०	अजहरी	गोंडा	,,
१२	,,	१३००	कैमथल में मजराजात सहकारी समिति	कैमथल	गोंडा	,,
१३	,,	१३०१	बनेरपुर सहकारी स०स०	बनेरपुर	भंगरा	,,
१४	,,	१३०२	तलसेरा सहकारी समिति	तलसेरा	तलसेरा	,,
१५	,,	१३०३	अशरपुर तारापुर सहकारी समिति	अशरपुर तारापुर	ठमोटिया	,,
१६	,,	१३०४	चमद सहकारी समिति	चमद	भंगरा	,,
१७	,,	१३०५	नगला बिरखू सहकारी समिति	नगला बिरखू	नगला बिरखू	,,
१८	,,	१३०६	जंगली नगला पिपली सहकारी समिति	जंगली नगला	गहनऊ	,,
१६	,,	१३०७	दरबार सहकारी समिति	दरबार	गोंडा	,,
२०	,,	१३०८	खपरिया चितवारी सहकारी समिति	चिलवारी	जटवार	,,
२१	,,	१३०६	नगला जूझर में मजराजात सहकारी समिति	नगला जूझर	गोंडा	,,

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नंबर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टर्ड पता		
				ग्राम	पोस्ट आफिस	तहसील
२२	१४-६-५७	१३१०	अथुवा भुरंगा सहकारी समिति	भुरंगा	हरोटा	इगलास
२३	,,	१३११	घोंधा सहकारी समिति	घोंधा	गोंड़ा	,,
२४	,,	१३१२	बसौली सहकारी समिति	बसौली	नगला जमदेव	
२५	,,	१३१३	छोटी बल्लभ सहकारी समिति	छोटी बल्लभ	नगला बिरखू	,,
२६	२०-६-५७	१३१४	एम० अतनसनी सहकारी समिति	अतनसनी	मलब	खैर
२७	,,	१३१५	घंधोली सहकारी समिति	घंधोली	जैतपुरा	,,
२८	,,	१३१६	रजवान सहकारी समिति	रजवान	रजवान	इगलास
२९	,,	१३१७	कुआ गांव सहकारी समिति	कुआ गांव	इगलास	इगलास
३०	,,	१३१८	कल्यानपुर सहकारी समिति	कल्यानपुर	भारतपुर मजेरा	खैर
३१	,,	१३१९	मेवगरही सहकारी समिति	मेवगरही	मालब	,,
३२	,,	१३२०	हेतलपुर सहकारी समिति	हेतलपुर	जहरी	,,
३३	,,	१३२१	बिद्रिका सहकारी समिति	बिद्रिका	डेडामाई	इगलास
३४	,,	१३२२	एकताजपुर सहकारी समिति	एकताजपुर	फवरही	,,
३५	,,	१३२३	दरियापुर सहकारी समिति	दरियापुर	सालपुर	खैर
३६	,,	१३२४	जरहना सहकारी समिति	जरहना	सालपुर	,,
३७	,,	१३२५	नगला सरताज सहकारी समिति	नगला सरताज	राजाबाली	इगलास
३८	,,	१३२६	गढ़ी अन्नयान जोधा नगरा सहकारी समिति	गढ़ी अन्नयान	जाखर	इगलास
३९	२८-६-५७	१३२७	रामपुर सहकारी समिति	रामपुर	प्रदीपपुर	सिकन्दरराव
४०	,,	१३२८	महमूदपुरा सहकारी समिति	महमूदपुरा	किचौनरा	,,
४१	,,	१३२९	खेड़ा सुल्तानपुर सहकारी समिति	खेड़ा सुल्तानपुर	सिकन्दरराव	,,
४२	,,	१३३०	पीरा (ए०) सहकारी समिति	पीरा (ए०)	पीरा	,,

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नंबर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टड पता		
				ग्राम	पोस्ट आफिस	तहसील
४३	२८-६-५७	१३३१	बराहरी खुर्द सहकारी समिति	बराहरी खुर्द	भुरहरी बुजुर्ग	सिकन्दरारा व
४४	,,	१३३२	कासेर सहकारी समिति	कासेर	गिरौली	अतरौली
४५	,,	१३३३	शादीपुर कमरुआ सहकारी समिति	शादीपुर कमरुआ	मंगिरी	,,
४६	,,	१३३४	सूनामई पूर्वी सहकारी समिति	सूनामई पूर्वी	खास	काले
४७	,,	१३३५	भूतपूरा सहकारी समिति	भूतपुरा	ताबिल नगर	,,
४८	,,	१३३६	पूर्वी जलालपुर सहकारी समिति	पूर्वी जलालपुर	जहारी	खैर
४९	३०-६-५७	१३३७	नगरिया पालासलू सहकारी समिति	नगरिया पालासलू	कदौली	,,
५०	,,	१३३८	निथावारी सहकारी समिति	निथावारी	पचवरी	इगलास
५१	,,	१३३९	रथगांव सहकारी समिति	रथगांव	डेरी फार्म अलीगढ़	काले
५२	,,	१३४०	पैंदरा नवाबपुर सहकारी समिति	पैंदरा-नवाबपुर	जिरौली	अतरौली
५३	,,	१३४१	संगिला मिर्जापुर सहकारी समिति	संगिला मिर्जापुर	बेसवन	इगलास
५४	,,	१३४२	मक्रौल सहकारी समिति	मक्रौल	,,	,,
५५	,,	१३४३	नाह सहकारी समिति	नाह	नाह	अतरौली
५६	,,	१३४४	हंसी नगला सहकारी समिति	हंसी नगला	जिरौली बयान	,,
५७	,,	१३४५	गुलरिया सहकारी समिति	गुलरिया	फर्रा	,,
५८	,,	१३४६	मोला नगला सहकारी समिति	मोला नगला	देदामई	हाथरस
५९	६-७-५७	१३४७	मनेना उमेदपुर सहकारी समिति	मनेना उमेदपुर	बरहारी बुजुर्द	अतरौली
६०	१९-७-५७	१३४८	खेरिया बुजुर्ग सहकारी समिति	खेरिया बुजुर्ग	भारतपुर मझोरा	खैर
६१	,,	१३४९	बुलाकीपुर सहकारी समिति	बुलाकीपुर	नरायनपुर	खैर
६२	२७-८-५७	१३५०	तलीबनगर पूर्वी सहकारी सभिति	तलीबनगर	तलीबनगर	कोल

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्टेशन नंबर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टर्ड पता ग्राम	पौस्ट आफिस	तहसील
६३	२७-८-५७	१३५१	मुक्तगढ़ी सहकारी समिति	मुक्तगढ़ी	मदराक	कोल
६४	,,	१३५२	दरियापुर सहकारी समिति	दरियापुर	पंचीन	सिकन्दराराव
६५	३०-८-५७	१३५३	रुखाला सहकारी समिति	रुखाला	धनसारी	अतरौली
६६	,,	१३५४	नवगांव नं० २ सहकारी समिति	नवगांव नं० २	बड़ा गांव	,,
६७	,,	१३५५	दहेली सहकारी समिति	दहेली	छारी	,,
६८	,,	१३५६	गंगीरी सहकारी समिति	गंगीरी	गंगीरी	,,
६९	,,	१३५७	तालिमपुर सहकारी समिति	तालिमपुर	पोरा	सिकन्दराराव
७०	,,	१३५८	रामपुर दालपतपुर सहकारी समिति	रामपुर दालपतपुर	धूमसिंह जिरौली	अतरौली
७१	,,	१३५९	जामन नं० २ सहकारी समिति	जामन नं० २	जामन	इगलास
७२	१९-९-५७	१३६०	जिरौली मूढ़ सहकारी समिति	जिरौली मूढ़	जिरौली हीरासिंह	सिकन्दराराव
७३	२४-९-५७	१३६१	तामकोली सहकारी समिति	तामकोली	तामकोली	कौल
७४	३०-९-५७	१३६२	चकाथल सहकारी समिति	चकाथल	चकाथल	अतरौली
७५	३०-९-५७	१३६३	गनेशपुर गोविंदपुर सहकारी समिति	गनेशपुर गोविन्दपुर	जिरौली	अतरौली
७६	,,	१३६४	फजलपुर सहकारी समिति	फजलपुर	इज्जतपुर	,,
७७	,,	१३६५	काखेथाल सहकारी समिति	काखेथाल	लोहगढ़	,,
७८	,,	१३६६	नगला हरजी सहकारी समिति	नगला हरजी	,,	,,
७९	७-१०-५७	१३६७	चिरौली कान सहकारी समिति	चिरौली कान	इगलास	इगलास
८०	१२-१०-५७	१३६८	थीरामई सहकारी समिति	थीरामई	विजयगढ़	सिकन्दराराव
८१	,,	१३६९	कुरहला सहकारी समिति	कुरेहला	,,	,,
८२	,,	१३७०	सिहपुर सहकारी समिति	सिहपुर	,,	,,
८३	,,	१३७१	नगला तीसा सहकारी समिति	नगला तीसा	,,	,,

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नम्बर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टर्ड पता: ग्राम	पोस्ट आफिस	तहसील
८४	१६-१०-५७	१३७२	अरनिया सहकारी समिति	अरनिया	चांदधारी	इगलास
८५	,,	१३७३	भनौली सहकारी समिति	भनौली	इसमाइलपुर	खैर
८६	,,	१३७४	हैबतपुर सहकारी समिति	हैबतपुर	लोधा	,,
८७	,,	१३७५	मालेहपुर सहकारी समिति	मालेहपुर	जिरौली	अतरौली
८८	,,	१३७६	करनपुर सहकारी समिति	करनपुर	करनपुर	,,
८९		१३७७	बेहरौला सहकारी समिति	बेहरौला	खैर	खैर
९०	,,	१३७८	अकरावत सहकारी समिति	अकरावत	लौधा	,,
९१	,,	१३७९	सुहावली सहकारी समिति	सुहावली	सुहावली	सिकन्दराराव
९२	,,	१३८०	तालनगर सहकारी समिति	तालनगर	राजाबाल	इगलास
९३	,,	१३८१	बरहद सहकारी समिति	बरहद	विजयगढ़	सिकन्दराराव
९४	,,	१३८२	भवरा गोरबा सहकारी समिति	भवरा गोरवा	गुरसेन	इगलास
९५	,,	१३८३	करेका सहकारी समिति	करेका	चांदधारी	,,
९६	,,	१३८४	पाला साहिबाबाद पश्चिमी सहकारी समिति	पाला साहिबाबाद	अलीगढ़	कौल
९७	,,	१३८५	मकटूमपुर सहकारी समिति	मकटूमपुर	चांदधारी	इगलास
९८	,,	१३८६	नारु सहकारी समिति	नारु	विजयगढ़	सिकन्दराराव
९९	,,	१३८७	मधवा सहकारी समिति	मधवा	,,	,,
१००	,,	१३८८	जयथोली दक्षिणी सहकारी समिति	जयथोली दक्षिणी	चांदधारी	इगलास
१०१	,,	१३८९	बरन कलां सहकारी समिति	बरन कलां	विजयगढ़	सिकन्दराराव
१०२	,,	१३९०	सूजापुर सहकारी समिति	सूजापुर	लोधा	खैर
१०३	,,	१३९१	जरौध सहकारी समिति	जरौध	चांदधारी	इगलास
१०४	,,	१३९२	नौरी सहकारी समिति	नौरी	जिरौली धूर्मसिंह	अतरौली
१०५	,,	१३९३	नगला श्रीनगर मजरा चकाथल सहकारी समिति	नगला श्रीनगर	,,	,,

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नम्बर	समिति (सोसायटी) का नाम	ग्राम	रजिस्टर्ड पता: पोस्ट आफिस	रजिस्टर्ड पता: तहसील
१०६	,,	१३९४	बैजला सहारी समिति	बैजला	जिरौली धूर्सिंह	अतरौली
१०७	,,	१३९५	बरोथ सहकारी समिति	बरोथ	विजयगढ़	सिकन्दराराव
१०८	,,	१३९६	रैयत सहकारी समिति जार भोरा	रैयत	लोधा	खैर
१०९	,,	१३९७	नगला सहकारी समिति	नगला जार भोरा	गुसैवा	इगलास
११०	,,	१३९८	जयथोली उत्तर सहकारी समिति	जयथोली	चांदधारी	,,
१११	,,	१३९९	भनौली सहकारी समिति	भनौली	इसमाइलपुर	खैर
११२	,,	१४००	विजयगढ़ सहकारी समिति	विजयगढ़	विजयगढ़	सिकन्दराराव
११३	,,	१४०१	भालेहपुर सहकारी समिति	भालेहपुर	जिरौलीधूम	अतरौली
११४	,,	१४०२	छर्रा सहकारी समिति	छर्रा	छर्रा	,,
११५	,,	१४०३	चांदधारी सहकारी समिति	चांदधारी	चांदधारी	इगलास
११६	२६-१०-५७	१४०४	मगदा सहकारी समिति	मगदा	पयन्दापुर	,,
११७	१४-११-५७	१४०५	कल्यानपुर सहकारी समिति	कल्यानपुर	अतरौली रोड	कोल
११८	,,	१४०६	छोटा नगला सहकारी समिति	छोटा नगला	तालिबनगर	,,
११९	१४-११-५७	१४०७	जनसोई सहकारी समिति	जनसोई	पोरा	सिकन्दराराव
१२०	,,	१४०८	अर्नी सहकारी समिति	अर्नी	बरला	अतरौली
१२१	४-१२-५७	१४०९	भोजपुर गधिया सहकारी समिति	भोजपुर गधिया	जावन	कोल
१२२	,,	१४१०	पश्चिमी बैजन्ता सहकारी समिति	बैजन्ता	बैजन्ता	खैर
१२३	,,	१४११	बड़ा नदी नगला धर्मपुर स० स०	बड़ा नदी नगला	बुधन्सी	कोल
१२४	,,	१४१२	बहादुरपुर सहकारी समिति	बहादुरपुर	तालिबनगर	कोल
१२५	७-१२-५७	१४१३	मंधी सहकारी समिति	मंधी	सिकन्दराराव	सिकन्दराराव
१२६	,,	१४१४	पयन्दापुर सहकारी समिति	पयन्दापुर	पयन्दापुर	इगलास
१२७	,,	१४१५	रफीपुर सीपा सहकारी समिति	रफीपुर सीपा	उमरौली	कौल
१२८	,,	१४१६	सिरौली सहकारी समिति	सिरौली	भोकमपुर	अतरौली
१२९	,,	१४१७	मंझोला सहकारी समिति	मंझोला	गंगीरी	,,

क्रम-संख्या	रजिस्ट्रेशन की तिथि	रजिस्ट्रेशन नम्बर	समिति (सोसायटी) का नाम	रजिस्टर्ड पता		
				ग्राम	पोस्ट आफिस	तहसील
१३०	७-१२-५७	१४१८	सहाराखुर्द सहकारी समिति	सहारा खुर्द	चांदधारी	इगलास
१३१	,,	१४१९	पश्चिमी पलसेरा सहकारी समिति	पलसेरा	पलसेरा	खैर
१३२	,,	१४२०	कचौड़ा हिम्मतपुर सहकारी समिति	कचौरा हिमम्मतपुर	कचौरा	सिकन्दरारावं
१३३	,,	१४२१	पोरा (बी) सहकारी समिति	पोरा	पोरा	राव
१३४	१९-१२-५७	१४२२	मगदा सहकारी समिति	मगदा	पयन्दापुर	इगलास
१३५	,,	१४२३	भारहोरा नं० २ सहकारी समिति	भारहोरा नं० २	राजाबल	इगलास

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

बाराबंकी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यों की सूची

	लम्बाई	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
नई योजनायें		
१—स्थानीय सड़कों का पुनः निर्माण		
(क) बाराबंकी-हैदरगढ़ सड़क (मील संख्या १९ से २७ को छोड़कर)	१५ मील ५ फर्लांग	४.७२
२—नई पक्की सड़कों का निर्माण		
३—चीनी मिलों के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण		
सीमेन्ट-कांक्रीट ट्रेक		
(१) महादेवा-बानारकी सड़क	४ मील	१.९८
(२) बाराबंकी-पाडरा सड़क	४ मील	१.९८
असमाप्त योजनायें		
१—भारी यातायात के मिलों का सुधार		
बाराबंकी-देवा रोड	४ मील	..
२—बड़े पुल		
हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग में गोमती नदी पर	..	..

नोट—(१) योजना नमनशील (flexible) है और इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं।

(२) कमेटी से कमुराघाट तक एक सड़क १६।। बीघा का निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

प्रगति की सूची

कार्य	उन्नाव जिले में (लम्बाई २४ मील)	हरदोई जिले में (५ मील)
१—मिट्टी का कार्य ..	१६ मील	५ मील
२—पुलियाओं का कार्य ..	२ ,,	२ ,,
३—नीचे की तह के नाल की भराई ..	१६ ,,	४ १/२ ,,
४—नीचे की तह के नाल की कुटाई ..	६ ,,	४ १/२ ,,
५—बीच के तह की भराई ..	१४ ,,	४ १/२ ,,
६—बीच के तह की कुटाई ..	६ ,,	४ १/२ ,,
७—ऊपर के तह की भराई ..	६ ,,	३/४ ,,
८—ऊपर के तह की कुटाई ..	३ ,,	शून्य

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

जब से बस्ती जिले में परामर्शदात्री समितियां सीमेन्ट बांटने के लिये बनाई गई तब से तहसीलवार सीमेन्ट वितरण निम्नलिखित हैं

तहसील का नाम		पीरीयड (२ अप्रैल, ५७ से जून, ५७)	पीरीयड (३ जुलाई, ५७ से सितम्बर, ५७)	पीरीयड (४ अक्तूबर, ५७ से दिसम्बर, ५७)
हरैया	..	३५४ बोरे	४२५ बोरे	६०० बोरे
नौगढ़	..	३५४ ,,	३६५ ,,	६०० ,,
बांसी	..	३५४ ,,	४०० ,,	६०० ,,
खलीलाबाद	..	८८० ,,	७५० ,,	८२० ,,
डुमरियागंज	..	३५४ ,,	४३० ,,	६०० ,,
बस्ती	..	२,७६४ ,,	१,१६० ,,	१,६०० ,,
		५,०६० बोरे	३,५३० बोरे	४,८२० बोरे

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

जनवरी से जुलाई, १९५७ तक मुरादाबाद नगर तथा विभिन्न तहसीलों के बीच सीमेन्ट का वितरण

माह	तहसील						योग
	मुरादाबाद	अमरोहा	सम्भल	हसनपुर	ठाकुरद्वारा	बिलारी	
	(बोरे अंको में)						
जनवरी, १९५७ ..	२८००	१४००	..	१४००	..	..	५६००
फरवरी, १९५७ ..	१२८०	८६०	..	१३८०	१००	४६०	४०८०
मार्च, १९५७ ..	१६२०	८००	१८६०	८८०	२००	२२४०	७६००
अप्रैल, १९५७ ..	..	..	४६०	९००	..	९२०	२२८०
मई, १९५७ ..	२७६०	१८४०	..	४४०	..	..	५०४०
जन, १९५७ ..	१४००	१३८०	४६०	१८००	..	४६०	५५००
जुलाई, १९५७ ..	३११०	१७५४	१३८०	..	१०५०	३२२०	१०५१४
योग ..	१२९७०	८०३४	४१६०	६८००	१३५०	७३००	४०६१४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

सन् १९५६-५७ में जिला गोरखपुर में नियुक्त किए गए सस्ते गल्ले की दूकानदारों की सूची

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति	
गोरखपुर शहर		
१—श्री जयसिंह	गिरधरगंज	
२—श्री हजारीलाल हीरालाल	जटेशंकर	
३—श्री बासदेव १	तिवारीपुर	
४—श्री चरन सिंह	मोहादीपुर	
५—श्री लक्ष्मीनरायन गोयल	गोरखनाथ	
६—श्री गोरखप्रसाद	इस्माइलपुर	
७—श्री लियाकत हुसेन	जाकरा बाजार	निरस्त
सी० सी० स्टोर्स	,,	
८—श्री पारसनाथ	साहबगंज	निरस्त
डी०सी० डी० एफ०	जागरनाथपुर	
९—डी० सी० डी० एफ०	तुकमानपुर	
१०—श्री केसरदेव	रेलवे कालोनी	
११—श्री काशीप्रसाद जैसवाल	बक्सीपुर	
१२—श्री बासदेव २	नक्खास चौक	
१३—श्री नारायनप्रसाद प्रमेश्वरप्रसाद	गीता प्रेस रोड	
१४—श्री फूलचन्द सराफ	रायगंज	
१५—श्री कैलाश सरन गुप्ता	रहमतनगर	निरस्त
श्रीमती कान्ती देवी	दीवान बाजार	
१६—श्री भोलाप्रसाद	इलाहीबाग	
१७—श्री सीतलमल जैन	हरहावा फाटक	निरस्त
डी० सी० डी० एफ०	,,	
१८—श्री मदनलाल मेहरोत्रा	धर्मशाला बाजार	निरस्त
जी० आई० कालेज सी० सी० स्टोर	,,	
१९—श्री बसन्तकुमार	झरना टोला	
२०—श्री मेवालाल	बसन्तपुर	
२१—श्री शिवसरकेश लाल मनीशंकर	काजीपुर खुर्द	
२२—श्री लालजी अग्रवाल	बसारतपुर	
२३—श्री पटेश्वरीप्रसाद	मियां बाजार	
२४—श्रीमती मूर्ती देवी	असुरन पोखारा	
२५—जी० आई० कालेज	अलीनगर	
तहसील सदर		
१—श्री सूरजप्रकाश अग्रवाल	नौसार	
२—श्री सूरजप्रसाद	बैलघाट	
३—श्री चुन्नीलाल	पिपरौली	
४—श्री इकराम उल्ला	जसवाल	

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति	
५—श्री विश्वनाथ केदार	झंगहा	
६—श्री रामचन्द्र	कुसम्ही	
७—श्री बंसराज राम	पिपरा	
८—श्री ख्याली राम	जगतबेला	
९—श्री व्यास प्रसाद गुप्ता	सहजनवां	
१०—श्री जनक प्रसाद नरसिंह मुरारी श्री गया प्रसाद	दोहरिया	निरस्त
११—श्री शुभकरन पाठक	” मंझरिया	
१२—श्री कमलाकांत	कुसाहारा	
१३—श्री रामलाल	जे० बेनी माधो	
१४—श्री मोती राम	मनीराम	
१५—श्री सरजू कांत वृन्द नाथ शाही	मंझरिया	निलंबित
१६—श्री राम चरन	मिनावा	
१७—श्री महादेव प्रसाद	चौरीचौरा	
१८—श्री अब्दुल वारी अब्बासी	भठाठ	
१९—श्री शिव नारायन	गौरीडीह	
२०—श्री सहदेव ध्वज लक्ष्मी नारायन	कुई	
२१—श्री तेज बहादुर सिंह	भववापार	
२२—श्री पालक धरी सिंह	डीहाघाट	
२३—श्री महेश प्रकाश अग्रवाल (छेदी लाल)	जो० कौड़िया,	छोड़ दिया
२४—श्री मौजनाथ सिंह	जे० रानी सोहास	
२५—श्री सराजू राम (शिव शंकरधर दूबे)	थुनही (सरर)	छोड़ दिया
२६—श्री राज बली कानू	पचगांव	
२७—श्री राधे श्याम	तिघाड़ा	
२८—श्री बघेल राम (गोपाल राम)	विशुनपुर मटियौरा	निरस्त
२९—कोआपरेटिव सोसाइटी	सराहारी	
३०—सभापति त्रिपाथाई	नगावा	
३१—श्री छेदीलाल गोलेदार (रामदास)	गुलहरिया (एल गुलहरिया)	निरस्त
३२—श्री शेख औलाद अली	भरपाई	
३३—श्री राम विलास पांडे	उम्बगांव	
३४—श्री गुलाब चन्द	भीटी	
३५—श्री रामदास	डांगीपार	
३६—श्री राम अधार विश्वनाथ	बरगाहा	
३७—श्री शिव शंकर सिंह	मुरेरा ठाकुर राय	
३८—श्री हरीहर राम	नव्वा अव्वल	
३९—श्री शेखयाद अली	भीठी रौठ	
४०—श्री मोहन शाह	पाली	
४१—श्री राम एनियरसिंह, शंकर सिंह	घाघरसारा	
४२—श्री राम दास	भगसा	
४३—श्री चुन्नी लाल	बढ़ाया चौक	
४४—श्री सुधाकर पांडे	मिर्जापुर	
४५—श्री विशुनदत्त	अम्हैयया	

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति
४६—श्री उदित नरायन	बाघर
४७—श्री बगेश्वरी चतुर्वेदी	बेला
४८—श्री हीरा लाल गुप्ता	बेलवाखुर्द
४९—श्री राजा राम	ब्रह्मपुर
५०—श्री ईश्वर सरन	चारगांव
५१—श्री भोला प्रसाद	डुमरी
५२—श्री शंकराचार्य पाठक	गोराखास
५३—श्री कन्हई प्रसाद	घोड़ा डयोर
५४—श्री चन्द्रबली	हरैय्या
५५—श्री हनुमान प्रसाद	जे० चौरी
५६—श्री ज्योती प्रसाद	जे० डोमरी
५७—श्री राम नरेश सिंह	खजूरी
५८—श्री पुरषोतम पांडे	लक्षमनपुर
५९—श्री मानिकलाल	मारापार
६०—श्री लालमोहर	परमेवरपुर
६१—श्री छेदी लाल	,,
६२—श्री राम ललित	पतरा खास
६३—श्री झारखंडे	राजधानी
६४—श्री अयोध्या प्रसाद	रामडीहा
६५—श्री इन्द्रजीत सिंह	सरैय्या
६६—श्री हरी प्रसाद सिंह	सराय गुलारीहा
६७—श्री जयकृष्ण प्रसाद	सेमरा देवी प्रसाद
६८—श्री मनोहर लाल	तिनकोनिया
६९—श्री राम दुलारे राम दास	उस्का
७०—श्री नरसिंह मुरारी	*अहिरौला
७१—श्री महाबीर प्रसाद	छरांव

*जनवरी १९५८ से दुकान समाप्त कर दी गई । जो नाम ब्रेकट में दिये हुये हैं वह निरस्त दुकानों को चला रहे हैं ।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति

तहसील फरेंदा

१—श्री गिरधारी लाल गोयल	हाटा बेला हरैया निरस्त
श्री राम गोयल	ब्रिजमानगंज
२—श्री तिनक लाल	*लक्ष्मीपुर, निरस्त
३—श्री तिरथ सिंह	पैसिया (बकामियां)
श्री हरिभजन	पीपीगंज (साहबगंज)
४—श्री देवकीनाथ पांडे	भोरावरी
५—श्री नित्यानन्द पांडे	रिगौली
६—श्री हरिहर राम	मिश्रौलिया, निलम्बित
७—श्री गोमती	मछिलीगांव, निरस्त
श्री कुरू क्षेत्र	,, (खजुना)
८—श्री पूरनमल शर्मा	नौतनवा (जरा)
९—श्री विभूति राय, गोमती राम	फरेन्दा (छिताही बुजुर्ग)
१०—श्री राम लाल, काशी प्रसाद	धानी बाजार (कनापुर)
११—श्री साधु सरन पान्डेय	कम्पीरगंज निरस्त
श्री डी० एन० पान्डेय	,, छोड़ दी
श्री पारस नाथ पान्डेय	,,
१२—श्री राम लाल	रघुनाथपुर (बरगदावा विशुनपुर)
१३—श्री जटाशंकर	*बनदोह
१४—श्री कामेश्वर प्रसाद	धानी
१५—श्री महेन्द्र नाथ पान्डेय	रिगौली (खजुआगांव)
१६—श्री श्याम बिहारी	दशरथपुर (पैसिया)
१७—श्री गंगा प्रसाद	कल्याणपुर (मल्हुआ बेला)
१८—श्री हजारी लाल	*महादेव
१९—श्री सुरेश पान्डे	*दशरथपुर
२०—श्री बुद्ध सिंह	*अड्डा बाजार
२१—श्री तुलसी प्रसाद गोयल	अलमेचक (शिव लाही)
२२—श्री हवलदार अली	आनन्द नगर
२३—श्री परमात्मा प्रसाद	बहादुरी बाजार (श्री हरिहर-राम के स्थान पर नियुक्त किये गये)
२४—श्री मोहम्मद शकूर	*बलुआ
२५—श्री ईश्वर सिंह, कन्हैया लाल	बकैनियां (लक्ष्मीपुर)
२६—श्री ब्रिजनाथ प्रसाद	बन्कटा (पैसिया बुजुर्ग)
२७—श्री मदनलाल	बरगदवा
२८—श्री अवधेश प्रसाद	*इन्द्रपुर
२९—श्री बनबहादुर राय	कोलही (सुनहारियासों)
३०—श्री नन्द लाल	*लेहरा
३१—श्री गोली राम	लेजर महादेवा (फरेंदा बुजुर्ग)
३२—श्री अशोक कुमार	मनीकौरा

* तारांकित दूकानें खत्म कर दी गई हैं। ब्रेकट में दी हुई दूकानें अपनी असली जगह से हटा कर यहां स्थापित की गई हैं।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति
३३—श्री तहसीलदार खां	*मुघेरा
३४—श्री राम वृक्ष प्रसाद	नवापार (मोहम्दापुर)
३५—श्री सत्य नारायण सिंह	*देवघाटी निरस्त
३६—श्री अक्षर सिंह, राम रतन	रतनपुरवा (नौतनवा टाउन एरिया)
३७—श्री राम टहल	सवारधीरा (मिसरौलिया)
३८—श्री सुन्दर राम	सिंहपुर तरौनी (पिपरा परसौनी)
३९—श्री महेन्द्र नाथ	*सिनौरा
४०—श्री प्रताप सिंह राम उग्र	*तरैनी
४१—श्री बद्री प्रसाद पन्ना लाल	गोपालपुर
४२—श्री मदन गोपाल	नौतनवां
४३—श्री रघुवर प्रसाद	कोरिया बाजार

*तारांकित दूकानें खत्म कर दी गई हैं। ब्रेकट में दी हुई दुकानें अपनी असली जगह से हटा कर यहां स्थापित की गयी हैं।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति
तहसील बांसगांव	
१—श्री हीरा लाल गुप्त	गोलाबाजार निरस्त
श्री मोती लाल	
२—श्री श्याम बिहारी सिंह	सिसवा बाबो
३—श्री मुन्ना	बलीपार
४—श्री त्रिलोकी नाथ शुक्ला	शिकारी गंज
५—श्री मोती लाल गुप्ता	मझौलिया
६—श्री रामचन्द्र	कौरी राम
७—श्री बजरंगलाल भारतिवा	*खजानी
८—श्री केशव सिंह	पाटना
९—श्री बर्धन राम	मालोव
१०—श्री जगन्नाथ प्रसाद	बवरपार
११—श्री राज मंगल	मऊपुर
१२—श्री बल्लू प्रसाद	*देधीहा निरस्त
१३—श्री कमला प्रसाद सिंह	दरवा (डुमरी)
१४—श्री बलेश्वर प्रसाद ओझा	*कोयली साल
१५—श्री सुदामा प्रसाद	बांसगांव
१६—श्री उत्तम सिंह ईश्वर सिंह	*मुजउना
१७—श्री रामनरेश चन्द्र	मलहमपार
१८—श्री छेदीप्रसाद गुप्ता	भुरावल भैरोपुर को हटा दी गई,
१९—श्री विश्वनाथ जगरनाथ	बड़हलगंज
२०—श्री अम्बिका सिंह	गगाहा
२१—श्री भगवती प्रसाद	करबाल मझगन
२२—श्री भगवती प्रसाद गुप्ता	हाटा
२३—श्री महेश प्रसाद	अनवाल
२४—श्री बैजनाथ सिंह	बारानागर (चकसरैया)
२५—श्री पुरुषोत्तम प्रसाद	मदरिया
२६—श्री ज्योति प्रसाद गुप्ता	बासगांव (मरवतिया)
२७—श्री शम्भुराय	जानीपुर
२८—श्री कमलेश्वर नारायण सिंह	भैंसा बाजार
२९—श्री राम नारायण गुप्ता	शाहपुर
३०—श्री राम छीज दीक्षित, नदई सिंह	*नेटावर पट्टी
३१—श्री डी० बी० तिवारी	आराउन जगदीश
३२—श्री मुस्तफा खां	बरैयापार
३३—श्री राम धनी	बटैलगंज
३४—श्री राम धनी	भाटपार
३५—श्री रघुनन्दन त्रिपाठी	भटौली (रुद्रपुर)
३६—श्री बेदार नाथ	*भीटी
३७—श्री राम मनोहर सिंह	छतैई

*तारांकित दूकानें जनवरी, १९५८ से खत्म कर दी गईं। ब्रेकेट में दी हुई दुकानें अपनी असली जगह से हटा कर यहां स्थापित की गई हैं।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति
३८—श्री विजय प्रताप साही	बदरी (भसूवा)
३९—श्री जगदम्बा प्रसाद	देहराटिकार
४०—श्री राम नारायण गुप्ता	धसकी
४१—श्री राम शंकर मिश्रा	*गाजपुर
४२—श्री राम दुलारे	गिरधरपुर
४३—श्री गब्बू लाल	कनैचा
४४—श्री जगरनाथ यादव	देवरार बाबु (कटवई)
४५—श्री रामसिंह	गोपालपुर
४६—श्री राम सरज गुप्ता, शंकरसिंह	रेलघाट
४७—श्री गंगा प्रसाद	*हाटा बुजुर्ग
४८—श्री शिव मंगल	*जैन्तीपुर
४९—श्री शिवनाथ सिंह	जगदीशपुर (टिकहार)
५०—श्री भगवानदास नायक	महुआपार
५१—श्री दल सिंगर चन्द	पडाली
५२—श्री बासदेव प्रसाद गुप्ता	पिपरसन्डी
५३—श्री वाचसपती मिश्रा	*रायपुर
५४—श्री राम नाथ तिवारी	राजगढ़ (दुबावली)
५५—श्री सत्य नारायण	सत्र मोहन (रजवाल)
५६—श्री केदार नाथ	अनवाल (भरेया)
५७—श्री रामधनी	उरूवा
५८—श्री तसैं साहु	हैंनाही

* तारांकित दूकानें जनवरी, १९५८ से खत्म कर दी गईं । ब्रेकेट में दी हुई दुकाने अपनी असली जगह से हटा कर यहां स्थापित की गई हैं ।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति	
तहसील महराजगंज		
१—श्री मंगराऊ राम	* डोमरा	
२—श्री शिव पूजन राम	नरकटाहा	
३—श्री सुखराम	*बरहारा	
४—श्री करिया प्रसाद	रानीपुर	निरस्त
श्री रामदेव	रानीपुर	
५—श्री मदनलाल सिंहानिया	सिनवा बाजार	
६—श्री राम गोविंद	परतावल	
७—श्री सत्य नारायण रोंगाता	घुघली	
८—श्री मुरलीधर	निछलोल	
९—श्री जगरनाथ तुलसियान	सिसवा	
श्री अन्नत प्रसाद	,,	निरस्त
श्री परमेश्वर प्रसाद	,,	निरस्त
१०—श्री हनुमान प्रसाद	पनियारा	
११—श्री गब्बू लाल	चेहारी	
१२—श्री रामचन्द्र प्रसाद	महाराजगंज	
श्री शिव सरन संत	गंगो बाजार	निरस्त
१३—श्री राम नरायन गुप्ता	धनेवा धनेई	
१४—श्री हरीशंकर लाल	खुताहा	
१५—श्री जवाहर लाल	कटेहारी कलां	निरस्त
सुहेल अहमद	,,	
१६—श्री राम निहोरा	हारपुर पकरी	निरस्त
श्री चिरंज लाल कलकाटिया	,, ,,	
श्री राम स्वरूप टेबरीवाल	,, ,,	
श्री गनेश प्रसाद अयोध्या प्रसाद	,, ,,	
१७—श्री आत्मा राम टेबरीवाल	बरहाया	
१८—श्री बजरंग लाल रोंगाता	घुघली	
श्री विश्व नाथ रोंगाता	,,	निरस्त
१९—श्री मदन मोहन	*लक्ष्मीपुर	
२०—श्री बासदेव प्रसाद	बैकुंठपुर	
२१—श्री राम गोपाल रोंगाता	बरुआ खुर्द	
२२—श्री बद्री प्रसाद	भितौली	
२३—श्री रिकेश्वर प्रसाद	चौमुखा (बहसुआ)	
२४—श्री बलिभद्र प्रसाद बेचन	*चौक	
२५—श्री राम निहारा प्रसाद	छपिया	
२६—श्री पारस नन्द अग्रवाल	गरौरा	
२७—श्री रत्न लाल	गोपाला	
२८—श्री हर गोविंद	हरपुर तिवारी	
२९—श्री मोती लाल	करमहा	
३०—श्री मोहरी लाल	खरमौरा	
३१—श्री केदार नाथ	मतिहानिया चौधरी	
३२—श्री किशोरी प्रसाद, वैद्य प्रसाद	मिथौरा	
३३—श्री राम लखन	नबुआ	

*१ जनवरी, १९५८ से दूकानें समाप्त कर दी गई हैं।

दूकानदारों के नाम	दूकान की स्थिति
३४—श्री भग्गन	धर्मपुर
३५—श्री रत्ती	पैसिया इंद्रपुर
३६—श्री राजेन्द्र प्रसाद, भग्गन दास	पकरी विशनपुर
३७—श्री दीप नारायन दास, झिनका प्रसाद	राजवाल
३८—श्री भोला प्रसाद	सिंदुरिया
३९—श्री राम चन्द्र पान्डे	डेरहुई
४०—श्री केसर देव	श्याम डेवरांवां

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३०३ एल० ए०—१९५८-८२५ ।